संख्याः फिन(एल०ए०)एच(2)सी(15)(5)/22–खण्ड–10 -7781
हिमाचल प्रदेश सरकार,
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग।

प्रेषकः

निदेशक,
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग
कसुम्पटी, शिमला–171009.

प्रेषितः

आयुक्त,
नगर निगम हमीरपुर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक, शिमला–171009 30 DEC 2025

विषयः **नगर निगम हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र० के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2023 से 03/2025 बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको नगर निगम हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र० के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2023 से 03/2025 को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है। अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि आप उक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के सन्दर्भ में सटिप्पण उत्तर इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें।

उपरोक्त के यहां यह भी वर्णित है कि नगर निगम हमीरपुर के गत विभिन्न अवधियों के अत्याधिक संख्या में अनिर्णीत पैरे निपटारे हेतु लम्बित है। अतः इन अनिर्णित पैरों के निपटारे हेतु भी संपरीक्षा सुझावानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए क्योंकि माननीय स्थानीय निधि लेखा समिति, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–171004 द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।

भवदीय

(जितेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त निदेशक,
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
कसुम्पटी, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि, दिनांक, शिमला–171009,
प्रतिलिपि उक्त प्रतिवेदन की प्रति सहित :–

1. प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि०प्र० शिमला–171002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
3. उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–171004 को सूचनार्थ प्रेषित है।

(जितेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त निदेशक,
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
कसुम्पटी, शिमला–171009.

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य लेखा परीक्षा विभाग, ब्लाक नं० 38 एस.डी.ए.

कम्पलेक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009

नगर निगम हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025

नगर परिषद/निगम हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177001 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025

भाग–एक

1. **प्रारम्भिक**

(क) नगर परिषद हमीरपुर को स्तरोन्नत करते हुये हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्याः No- UD-A(1)- 15/2023 दिनाँक 23.12.2024 द्वारा नगर निगम बनाया गया है। परन्तु वर्तमान अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक विलय हेतु नये अधिसूचित क्षेत्रों का सीमांकन न होने के कारण धरातल पर उनका वास्तविक विलय नहीं हुआ था तथा नगर निगम द्वारा 31.03.2025 तक अपना कार्यक्षेत्र नगर परिषद के पुराने क्षेत्र तक ही सीमित रखने के कारण वर्तमान अंकेक्षण ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद/निगम हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद में निम्न पदाधिकारी प्रधान व आयुक्त के पद पर कार्यरत रहेः–

(i) प्रधान

क्र0सं0	नाम	तैनाती की अवधि
	श्री मनोज कुमार मिन्हास	01.04.2023 से 22.12.2024

(ii) आयुक्त एवँ आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री अक्षित गुप्ता	01.04.2023 से 01.09.2023
2	श्री संजय कुमार	02.09.2023 से 04.12.2023
3	श्री अजमेर ठाकुर	04.12.2023 से 14.01.2025

(iii) आयुक्त नगर निगम एवँ आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री राहुल चौहान, हि॰ प्र॰ से॰ (अतिरिक्त कार्यभार)	14.01.2025 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर निगम हमीरपुर के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं.	राशि (₹) लाखों मे
1	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के नियम 69 (1) (ए) के अनुसार नगर परिषद को निगम के रूप स्तरोन्नत किये जाने के पश्चात नये सम्मिलित किये गये क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के पास शेष निधियों तथा सम्पत्तियों को नगर निगम के स्वामित्व में लिया जाना अपेक्षित।	8.4	—
2	विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान राशि का अव्ययित शेष	9.2	71.59
3	विविध संसाधानों से आय वसूली हेतु शेष	13.1	471.59
4	सम्पत्तिकर की राशि कई वर्षों तक जमा न करवाने वाले 108 बकायेदारों के विरूद्ध अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई न करना	13.2	84.48
5	1 से 18 वर्षों दुकान किराये की राशि वसूली हेतु लम्बित होने पर भी कोई ठोस कार्रवाई न करना	13.3	78.26
6	शहरी बेघर नागरिकों के लिये निर्मित आश्रय (Shelter for Urban Homeless) के किराये की वसूली न करने के कारण नगर परिषद/निगम निधि को सम्भावित हानि।	13.5	30.24
7	वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में वाहन पार्किंग शुल्क की कम वसूली के कारण सम्भावित हानि।	13.6	5.31
8	श्री नेक मोहम्मद, मिस्त्री के गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक व अनियमित भुगतान।	14.1	3.29
9	तीन कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण करके दिये गये अनुचित लाभ तथा अधिक भुगतान बारे।	14.2	5.27
10	ग्यारह कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण करके दिये गये अनुचित लाभ तथा अधिक भुगतान बारे।	14.3	21.73

11	छः कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण करके दिये गये अनुचित लाभ तथा अधिक भुगतान बारे।	14.4	16.55
12	वर्ष 2024–25 में मै. सनटैन लाईफ को अधिक व अनियमित भुगतान करना	15.1.1	12.59
13	कचरा प्रबन्धन एवं निस्तारण के कार्य को संदिग्ध रूप से तीन अलग भागों में बांटकर वर्ष 2023–24 की तुलना में 2024–25 में कचरा प्रबन्धन एवं निस्तारण व्यय में आधारहीन वृद्धि करना	15.1.2	127.85
14	सफाई कार्य के लिये पाँच अलग–अलग बिलों द्वारा अनियमित व संदिग्ध भुगतान करने बारे।	15.4	1.69
15	नगर परिषद/निगम के बिजली बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा माँग की गई "गत बकाया राशि" (Normal Arrears) के लिये भुगतान करना	15.5	0.56
16	नगर परिषद/निगम द्वारा बिना बजट प्रावधान तथा समुचित निधि के निर्माण कार्यों के टैन्डर जारी करके आबंटित करना।	16.1	1151.01
17	विविध गणितीय चूकों तथा नियमों की अवहेलना के कारण विभिन्न निर्माण कार्य बिलों में अधिक व अनियमित भुगतान।	16.2	0.47
18	29 निर्माण कार्यों का निष्पादन में देरी होने पर भी संविदाकारों से अनुबन्ध की क्लॉज़ –2 के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि की कटौती न करना	16.3	17.56
19	निर्माण कार्य निष्पादन में सक्षम प्राधिकारी की संशोधित प्रशासनिक तथा व्यय स्वीकृति (AA&ES) के बिना किया गया अनियमित भुगतान	16.4	69.08
20	Rule 16 (XVII) of Himachal Pradesh Mineral Policy, 2024 के अनुसार निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी/भुगतान के सत्यापन के बिना 178 बिलों में नियमों की अवहेलना करते हुये अनियमित भुगतान।	16.6	824.62

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर निगम द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर अनुपालना हेतु अंकेक्षण पूर्व ही अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–23 दिनांकः 01/02/2025 द्वारा आयुक्त नगर निगम से अनुरोध किया गया था। दिनाँक 31.03.2023 को अवधि 04/1975 से लेकर 03/2023 तक के कुल 689 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों बारे अपेक्षित अनुपालना का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण में करवाया जाना था। इनमें से वर्तमान अंकेक्षण में अनुपालना के सत्यापन उपरान्त निर्णीत किये गये अनुच्छेदों के पश्चात भी उपरोक्त अवधि के लिये 214 अनुच्छेद अनिर्णीत हैं। इनके साथ–साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस अंकेक्षण में निर्णीत किये गये गत प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों पर की गई अनुपालना तथा शेष बचे अनिर्णीत अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर निगम हमीरपुर के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अवधि 29.03.2025 से 11.07.2025 तथा श्री बीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा 02.06.2025 से 11.07.2025 तक नगर निगम कार्यालय में सम्पन्न किया गया। नमूना अंकेक्षण जाँच हेतु आय के लिये 03/2024 व 03/2025 तथा व्यय के लिये 02/2024 व 10/2024 माह चयनित किये गये थे। चयनित अभिलेख के अतिरिक्त भी समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

क्र0सं0	रोकड़ बही	आय हेतु मास चयन	व्यय हेतु मास चयन
1	मुख्य रोकड़ बही	03/2024 व 03/2025	02/2024 व 10/2024
2	शहरी रोजगार केन्द्र (Cilty Livlihood Centre)	02/2024 व 10/2024	03/2024 व 10/2024
3	प्रधानमन्त्री आवास योजना–एकल नोडल खाता (माह अप्रैल 2023 में	05/2023 व 09/2024	05/2023 व 09/2024

	₹3940000/–का व्यय समायोजन प्रविष्टि होने के कारण व्यय हेतु माह 05/2023 का चयन किया गया है)		
4	राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना–एकल नोडल खाता (माह अप्रैल 2023 में ₹1864151 का व्यय समायोजन प्रविष्टि होने के कारण व्यय हेतु माह 01/2024 का चयन किया गया है)	01/2024 व 01/2025	01/2024 व 01/2025
5	राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना अमृत–एकल नोडल खाता (यह निधि दिनांक 18.07.2024 से आरम्भ हुई थी)	09/2024	09/2024
6	स्वच्छ भारत मिशन–एकल नोडल खाता (माह अप्रैल 2023 में ₹2854121/- का व्यय समायोजन प्रविष्टि होने के कारण व्यय हेतु माह 06/2023 का चयन किया गया है।)	06/2023 व 08/2024	06/2023 व 08/2024
7	पेंशन व ग्रैच्युटी निधि	03/2024 व 08/2024	02/2024 व 07/2024

*अस्वीकरण (**Disclaimer**): "यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण आयुक्त नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।"*

3. **अंकेक्षण शुल्क**

नगर निगम के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क संस्थापना व्यय के आधार पर ₹96,000/– आंका गया है। सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–122 दिनांकः 09/07/2025 द्वारा आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर से अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से यथाशीघ्र प्रेषित करने का आग्रह किया गया था।

4. **वित्तीय विवरणियाँ**

नगर निगम अधिनियम–1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निकाय लेखा संहिता (Accounts Manual) के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण हेतु निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–23 दिनांकः 01/02/2025 द्वारा अनुरोध करने पर प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	बैलेन्स शीट (Balance Sheet)	केवल वर्ष 2023–24 के लिये प्रस्तुत की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	केवल वर्ष 2023–24 के लिये प्रस्तुत की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	केवल वर्ष 2023–24 के लिये प्रस्तुत की गई
5	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	केवल वर्ष 2023–24 के लिये प्रस्तुत की गई
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator)	प्रस्तुत नहीं की गई

5. **दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करना:–**

नगर निगम हमीरपुर के अवधि 04/2023 से 03/2025 के लेखा खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं UD-H(C)-

15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किये जाने सम्बन्धी जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुये लेखा खातों का अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक शहरी विकास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखों का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6. तुलन–पत्र

नगर निगम के तुलन पत्र पर अंकेक्षण टिप्पणियाँ:–

निदेशक, शहरी विकास, हि०प्र० के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की अनुपालना में नगर निगम द्वारा अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत वर्ष 2023–24 के लेखों के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अन्तिम लेखों (Final Accounts certified by Chartered Accountant for the year 2023-24) (**परिशिष्ट "2"**) के अवलोकन पर पाया गया कि यह निम्न वर्णित विसंगतियों के कारण नगर निगम की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण व वास्तविक चित्र (True and fair picture of the financial status of the MC) प्रदर्शित नहीं करते हैं।

1. तुलन पत्र के सम्पत्ति पक्ष में स्थाई सम्पत्तियाँ ₹9,97,66,066/– के मूल्य की दर्शाई गई हैं जबकि अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख के अनुसार नगर निगम के पास 138 दुकानें, कार्यालय भवन, शहरी रोजगार केन्द्र भवन, कार्यकारी अधिकारी आवास, विश्राम गृह, टाउन हाल, 10 सामुदायिक भवन, शेल्टर फॉर अर्बन होमलैस, रैन बसेरा, 4 वाहन पार्किंग, 2 पार्क 12 शौचालय, गौसदन तथा स्लॉटर हाउस आदि कई स्थाई सम्पत्तियाँ हैं जिनके लिये उक्त राशि का मूल्यांकन उचित प्रतीत नहीं होता है और सम्भवतः यह मात्र अनुमानित मूल्य है जोकि मात्र औपचारिकता निभाने भर के प्रयोजन हेतु दर्ज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दुकानों का बकाया किराया, सम्पत्ति कर बकाया आदि लेनदारियाँ भी नगर निगम लेखों में तो विद्यमान थीं परन्तु यह सब तुलन पत्र (Balance Sheet) में दर्ज नहीं हैं।
2. इसी प्रकार देयता पक्ष में भी केवल तुलन पत्र की सम्पत्तियों का शेष दर्शाकर औपचारिकता निभाई गई है।

यह लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा ऐसे में वर्ष 2023–24 के प्रमाणित अन्तिम लेखे नगर निगम हमीरपुर की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं। अतः इस सम्बन्ध में यथोचित स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष 2024–25 के प्रमाणित अन्तिम लेखे अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

7. **नगर निगम हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2023–24 के लेखों का हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रमाणन**

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग ऑडिट कोड, 2022 के नियम 10.1 तथा 10.5 की अनुपालना में नगर निगम हमीरपुर के केवल वर्ष 2023–24 के लेखों को निम्नानुसार सशर्त प्रमाणित किया जाता है ***क्योंकि वर्ष 2024–25 के अन्तिम लेखों (तुलन–पत्र, आय–व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा इत्यादि) के प्रस्तुत न किये जाने के कारण इनका प्रमाणन सम्भव नहीं हो पाया है :–***

Final Accounts of Municipal Corporation Hamirpur, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

Certificate of the Assistant Controller (Audit),

(i) I have audited the attached Annual Final Accounts i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure Account with supporting forms, of the Municipal Corporation Hamirpur, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh for the year 2023-24 as per the provisions of amendment to the Section 255(1) of Himachal Pradesh Municipal Council Act 1994 on the recommendation of 11th Finance Commission and the Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh office Notification No. 1-376/81-Fin(LA) Vol.-IV dated 16-10-2008. Preparation of these accounts is the responsibility of the ULB's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my audit.

(ii) I have conducted my audit in accordance with the auditing standards and guidelines issued by the Director, Himachal Pradesh State Audit Department. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on the test basis, evidences

supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

(iii) On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of test audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that,

"Except for the matters described in the basis for the qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Final Accounts i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure Account with supporting forms give a true and fair view of the state of affair of the Municipal Corporation Hamirpur, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh for the year 2023-24".

8. **वित्तीय स्थिति**

आयुक्त नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–23 दिनांकः 01/02/2025 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "3 से 5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर निगम द्वारा अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक मुख्य रोकड़ बही के अतिरिक्त छः अन्य रोकड़ बहियों का भी अनुरक्षण किया गया था जिनमें विविध परियोजना निधियों तथा पैन्शन व ग्रैच्यूटी निधि का लेनदेन दर्ज किया जा रहा था। इन सभी रोकड़ बहियों में दर्ज लेन–देन के आधार पर इनकी वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणियां आगामी उप अनुच्छेदों में वर्णित हैः–

(8.1) मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–3)

नगर परिषद/निगम की स्वः–स्त्रोतों से आय व्यय की वित्तीय स्थिति

शीर्ष		2023–24	2024–25
प्रारम्भिक शेष (₹)	1	61686372.74	90867844.73
स्वः–स्त्रोतों से आय (₹)	2	22452995.00	27949423.35
निवेश पर अर्जित ब्याज (₹)	3	11687432.00	5606367.10
वर्ष में कुल आय (₹) (2+3)	4	34140427.00	33555790.45

प्रारम्भिक शेष सहित कुल योग (1+4)	**5**	95826799.74	124423635.18
वर्ष में कुल व्यय (₹)	6	4958955.01	37679630.22
अन्तशेष (₹) (5–6)	**7**	90867844.73	86744004.96

नगर परिषद की अनुदानों से आय व्यय की वित्तीय स्थिति

(वह अनुदान जिनका लेखाँकन मुख्य रोकड़ बही में किया जाता है)

शीर्ष		**2023–24**	**2024–25**
प्रारम्भिक शेष (₹) **(अनुदानों की वित्तीय स्थिति में दी गई विस्तृत गणना अनुसार)**	1	86713457.00	63077865.00
अनुदानों से आय (₹)	2	92123045.00	91123131.00
प्रारम्भिक शेष सहित कुल योग (1+2)	**3**	178836502.00	154200996.00
वर्ष में कुल व्यय (₹)	4	115758637.00	147046859.00
अन्तशेष (₹) (3–4)	**5**	63077865.00	7154137.00

नगर परिषद की कुल संसाधनों (स्वः स्त्रोत व अनुदान) से आय व्यय की समेकित वित्तीय स्थितिः–

शीर्ष		**2023–24**	**2024–25**
प्रारम्भिक शेष (₹) **(अवधि 04/2021 से 03/2023 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार)**	1	**148399829.74**	**153945709.73**
समेकित आय (₹) से	2	**126263472.00**	**124678921.45**
प्रारम्भिक शेष सहित कुल योग (1+2)	**3**	**274663301.74**	**278624631.18**
समेकित व्यय (₹)	4	**120717592.01**	**184726489.22**
अन्तशेष (₹) (3–4)	**5**	**153945709.73**	**93898141.96**

(8.2) दिनांक 31.03.2024 को नगर निगम की मुख्य रोकड़ बही अनुसार बैंक बचत खातों में उपलब्ध निधि का विवरण (परिशिष्ट–4)

	बैंक खाता विवरण	राशि (₹)
1	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया 1821	4432440.10
2	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया 2639	5521508.32
3	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया 4111	26696.33
4	भारतीय स्टेट बैंक 4619	69484.53
5	एच0डी0एफ0सी0 बैंक 1412	454838.00
6	एच0डी0एफ0सी0 बैंक 1225	881927.35
7	एच0डी0एफ0सी0 बैंक 3021	1018.00
8	एच0डी0एफ0सी0 बैंक 8688	340096.97
9	आई सी आई सी आई बैंक 1562	119670.00
10	आई सी आई सी आई बैंक 1546	330902.96
11	आई सी आई सी आई बैंक 0005	35148775.00
12	ऐक्सिस बैंक 7745	42179.00
13	ऐक्सिस बैंक 430	17438917.00
14	इन्डस इन्ड बैंक 4119	12933.10
15	ग्रामीण बैंक	28148568.00
16	महाराष्ट्रा बैंक 8376	19336.00
17	आई डी बी आई बैंक 7828	64196.00
18	बैंक ऑफ बरोड़ा 5531	1103933.00
19	बैंक ऑफ बरोड़ा 5723	180102.00
	बचत खातों के अन्तशेष का कुल योग	**94337523.66**
निगम द्वारा दिनांक 31.03.2025 को सावधि जमा में निवेशित राशि		0
हस्तगत राशि		0
सावधि निवेश तथा बचत खातों के शेष के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को कुल जमा राशि:–		**94337523.66**

(8.3) बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट "5")

	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष	**93898141.96**
	(+) जमा:– चैक जो जारी किये गये परन्तु 31 मार्च तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नही किये गये थे।	
	BOB 5723 Cheque No. 5962 6/01/25	10000.00
	Nirmla Devi CPF 1/2/25 CBI 1821	3238.00
	Nirmla Devi CPF 01/03/25	3238.00
	ADV. Cheque 28/3/25	5000.00
	Leave in Cashment Babu Ram 29/3/25	565160.00
	उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष	**94484777.96**
	(–) घटाव:– रोकड़ बही में दर्ज ऑनलाईन माध्यम अथवा चैक से प्राप्त आय जो 31 मार्च तक बैंक में जमा नहीं हुई थी।	
	House Tax 28/3/25 G.8 748/46	– 10125.00
	House Tax 28/3/25 G.8 751/15T17	– 133455.00
	House Tax 28/3/25	– 3675.00
	उपरोक्त घटाव के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष	**94337522.96**
	गत उप–अनुच्छेद 5.1.2 के अनुसार निगम के पास दिनांक 31.03. 2024 को उपलब्ध कुल निधि	**94337523.66**
	अन्तर	**–0.70**

(8.4) नगर परिषद को निगम के रूप स्तरोन्नत किये जाने के पश्चात नये सम्मिलित किये गये क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के पास शेष निधियों तथा सम्पत्तियों को नगर निगम के स्वामित्व में लिया जाना अपेक्षित।

नगर परिषद हमीरपुर को स्तरोन्नत करते हुये हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: No- UD-A(1)- 15/2023 दिनाँक 23.012.2024 द्वारा नगर निगम बनाया गया

है। इसी के साथ नगर परिषद के क्षेत्र में विस्तार करते हुये आस–पास की 15 ग्राम पंचायतों (धलोट, बोहनी, बरोहा, डुग्घा, बजूरी, दरूही, अणु, सासन, पुडतियाल, बल्ह, बस्सी झनियारा, मती टीहरा, मरनांग, सराहकड़ तथा ख्याह लोहाखड़ियां) का पूर्ण अथवा अंशिक विलय करते हुये 3680.60 हैक्टेयर क्षेत्र को नगर निगम में सम्मिलित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के नियम 69 (1) (ए) के अनुसार:

Constitution of Corporation fund.- (1) Save as otherwise provided in this Act, -

(a) all funds which immediately before the declaration and constitution of the Corporation under sections 3 and 4 of this Act vested in any body or local authority in the municipal area or any part thereof or rural area or a part thereof, if any ;

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि दिनांक 23.12.2024 को नगर निगम हमीरपुर के अस्तित्व में आने के दिन से नगर निगम निधि में न केवल पूर्ववर्ती नगर परिषद् की निधि का ही परन्तु सम्मिलित की गई ग्राम पंचायतों की उस दिन की निधि का भी विलय किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत लेखों के अवलोकन पर पाया गया है कि नगर निगम निधि में मात्र नगर परिषद निधि को ही सम्मिलित किया गया है तथा विलय की गई ग्राम पंचायतों की निधि वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक सम्मिलित नहीं की गई थी।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–99 दिनांकः 22/05/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः नये सम्मिलित किये गये क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के पास शेष निधियों तथा सम्पत्तियों को नगर निगम के स्वामित्व में यथाशीघ्र लिया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(8.5) अनावश्यक रूप से 26 बैंक बचत खातों का संचालन करना

परिशिष्ट "6" में दिये विवरणानुसार नगर निगम द्वारा दिनांक 31.03.2025 को 26 बैंक बचत खातों का संचालन किया जा रहा था। इनमें से 4 बैंक खाते पी एफ एम एस के लिये एकल नोडल खातों के रूप में संचालित है जबकि शेष 22 में से 12 खातों की लेन–देन विवरणियों के अवलोकन पर पाया गया है कि अंकेक्षणावधि में इनमें नाममात्र का ही लेन–देन किया गया था। यह

स्पष्ट करता है कि नगर निगम को इन खातों की कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से इन खातों के संचालन का स्पष्टता कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा इसके कारण रोकड़ बही अनुरक्षण तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करने में अधिक त्रुटियों की संभावना भी बनी रहती है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–109 दिनांकः 09/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्याः 634/Audit Memo 2023-25/MCH/2025 दिनाँक 18.06.2025 द्वारा सूचित किया कि नगर निगम द्वारा 8 बैंक खातों को बन्द करवा दिया गया है। परन्तु अभी शेष 18 खाते आवश्यकता से अधिक प्रतीत होते हैं। अतः इनकी आवश्यकता के बारे में भी पुनर्विचार करते हुये कुल संख्या को यथासम्भव सीमित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(8.6) शहरी रोजगार केन्द्र (स्वः–स्त्रोत) निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–7):–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ बैंक ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/ भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2023–24	106415.88	1169286.88	1275702.76	911659.80	364042.96
2024–25	364042.96	21218824.00	21582866.96	19673125.20	1909741.76

(8.7) शहरी रोजगार केन्द्र (स्वः–स्त्रोत) निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–8)

विवरण	राशि (₹)
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया हमीरपुर बचत खाता संख्या 3767588226	1894635.92
पँजाब नेशनल बैंक हमीरपुर बचत खाता संख्या 0211000100148741	15105.84
बैंकों में जमा कुल राशि	1909741.76
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2025 का अन्तशेष	1909741.76
अन्तर	शून्य

(8.8) प्रधानमन्त्री आवास योजना (एकल नोडल खाता) निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–9):–

Year	Remarks	Opening Balance (₹)	Receipt (₹)	Total (3+4) (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (5-6) (₹)
2023-24	As per para 8 (क) Annexure (ख–7) of the Audit Report for the period 04/21 to 03/23	4589.50				

	As per para 10 (i) Annexure (X) of of the Audit Report for the period 04/21 to 03/23	3940000.00				
	Total Opening balance as on 01-04-2023	3944589.50	1315066.00	5259655.50	5255000.00	4655.50
Note:						
1. A balance of the fund shown in Para 10(i) is actually budget allocation under PMAY - SNA (PFMS) Account which was actully not received by the Municipal Committee. But erroneously shown as receipt and resulted in the fake closing balance of ₹3940000/-.						
2. Hence, to rectify this error an adjustment entry of ₹3940000/- has been recorded in expenditure side in the month of 04/2023 of the financial position.						
2024-25		4655.50	750200.00	754855.50	750076.70	4778.80

(8.9) प्रधानमन्त्री आवास योजना (एकल नोडल खाता) निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–10):–

विवरण	राशि (₹)
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया हमीरपुर बचत खाता संख्या 3565734551	4778.80
यूको बैंक हमीरपुर बचत खाता संख्या 12550110043219	0.00
बैंकों में जमा कुल राशि	4778.80
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2025 का अन्तशेष	4778.80
अन्तर	शून्य

(8.10) राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना– दयानन्द अन्तोदय योजना (एकल नोडल खाता) निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–11):–

Year	Remarks	Opening Balance (₹)	Receipt (₹)	Total (3+4) (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (5-6) (₹)
2023-24	As per para 7 (क) Annexure (ख–6) of the Audit Report for the period 04/21 to 03/23	0.00				
	As per para 10 (I) Annexure (X) of of the Audit Report for the period 04/21 to 03/23	1864151.00				
	Total Opening balance as on 01-04-2023	1864151.00	59529.00	1923680.00	1923680.00	0.00

Note:						
1. A balance of the fund shown in Para 10(i) is actually budget allocation under NULM (DAY)- SNA (PFMS) Account which was actully not received by the Municipal Committee. But erroneously shown as receipt and resulted in the fake closing balance of ₹1864151/-.						
2. Hence, to rectify this error an adjustment entry of ₹1864151/- has been recorded in expenditure side in the month of 04/2023 of the financial position.						
2024-25		0.00	15578.00	15578.00	15578.00	0.00

(8.11) राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना– दयानन्द अन्तोदय योजना (एकल नोडल खाता) निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–12):–

विवरण	राशि (₹)
इन्डियन बैंक दी मॉल शिमला बचत खाता संख्या 7156677575	0.00
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2025 का अन्तशेष	0.00
अन्तर	शून्य

(8.12) राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना– अमृत (एकल नोडल खाता) निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–13):–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ बैंक ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिप्पणी:– राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना– अमृत (एकल नोडल खाता) निधि नगर निगम हमीरपुर में दिनॉक 18.07.2024 से आरम्भ हुई थी।					
2024–25	0.00	320967.00	320967.00	320967.00	0.00

(8.13) राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना– अमृत (एकल नोडल खाता) निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–14):–

विवरण	राशि (₹)
बैंक ऑफ बरोड़ा हमीरपुर बचत खाता संख्या 69260100006128	0.00
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2025 का अन्तशेष	0.00
अन्तर	शून्य

(8.14) स्वच्छ भारत मिशन (एकल नोडल खाता) निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–15):–

Year	Remarks	Opening Balance (₹)	Receipt (₹)	Total (3+4) (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (5-6) (₹)
2023-24	As per para 7 (क) Annexure (ख–6) of the Audit Report for the period 04/21 to 03/23	0.00				
	As per para 10 (i) Annexure (X) of of the Audit Report for the period 04/21 to 03/23	2854121.00				
	Total Opening balance as on 01-04-2023	2854121.00	1171071.00	4025192.00	4025192.00	0.00
Note:						
1. A balance of the fund shown in Para 10(i) is actually budget allocation under NULM (DAY)- SNA (PFMS) Account which was actully not received by the Municipal Committee. But erroneously shown as receipt and resulted in the fake closing balance of ₹1864151/- on 31-03-2023.						
2. Hence, to rectify this error an adjustment entry of ₹2854121/- has been recorded in expenditure side in the month of 04/2023 of the financial position.						
2024-25		0.00	12752.00	12752.00	12752.00	0.00

(8.15) स्वच्छ भारत मिशन (एकल नोडल खाता) निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–16):–

विवरण	राशि (₹)
एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर बचत खाता संख्या 50100463601772	0.00
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2025 का अन्तशेष	0.00
अन्तर	शून्य

(8.16) पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–17):–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ बैंक ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2022–23	1486460.85	4198673.00	5685133.85	4022294.00	1662839.85
2023–24	1662839.85	12331714.00	13994553.85	9057111.00	4937442.85

टिप्पणीः–
1. पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि के लिये नगर निगम हमीरपुर द्वारा रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था। 2. केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत लैजर खातों का ही अनुरक्षण किया गया था। 3. पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति का संकलन बैंक खाते में दर्ज लेनदेन के आधार पर किया गया है।

(8.17) पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–18):–

विवरण	राशि (₹)
इन्डियन बैंक हमीरपुर बचत खाता संख्या 21229268678	4937442.85
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	4937442.85
अन्तर	शून्य

(8.18) नगर निगम कर्मचारियों के सन्दर्भ में पैन्शन व ग्रैच्युटी, सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि की रोकड़ बही का अनुरक्षण न करना

आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक / रा॰ले॰प॰–शिमला / अंके. अधि. / 2025 / –23 दिनांकः 01 / 02 / 2025 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–"19"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर निगम कर्मचारियों से सम्बन्धित पैन्शन व ग्रैच्युटी के भाग को आयुक्त के नाम से खोले गये बैंक खाते में जबकि कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि अभिदान (नियोक्ता अंश सहित) की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के व्यक्तिगत बचत बैंक खाते, जो कि आयुक्त के नाम गिरवी है, में जमा करवाया जाता है। दिनांक 31.03.2025 को इन बचत खातों के कुल शेष का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	पैन्शन व ग्रैच्युटी निधि का दिनांक 31.03.2025 को कुल शेष	49,37,443
2	10 कर्मचारियों के आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा सामान्य भविष्य निधि का दिनांक 31.03.2025 को कुल शेष	70,17,910
3	23 कर्मचारियों के आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा अंशदायी पैन्शन निधि (नियोक्ता अंश सहित) का दिनांक 31.03.2025 को कुल शेष	1,69,73,560

इन खातों के सन्दर्भ में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैः–

1. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर निगम कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली भविष्य निधि से

सम्बन्धित कटौतियों व आहरण पद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस सन्दर्भ में लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है।

2. उपरोक्त नियमों में प्रावधित भविष्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी॰ एफ॰ 7 – 1 से पी॰ एफ॰ 12 में बनाए जाने वाले खातों / लैजर का नगर निगम द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है।
3. उपरोक्त अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, लेखांकन, बैंक में जमा, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि व जाँच नहीं की जा सकी है।
4. इसी प्रकार अंशदायी पैन्शन निधि मासिक अभिदान, जिसमें कर्मचारी तथा नगर निगम दोनों का अभिदान, सम्मिलित है को ''पैन्शन फण्ड नियामक एवँ विकास प्रधिकरण'' द्वारा संचालित एन. पी. एस. खाता (NPS Account with "Pension Fund Regulatory and Development Authority) खोल कर उसमें प्रत्येक माह जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम से NPS Account खुलवाये ही नहीं गये हैं और दोनों प्रकार के अभिदान की राशि उपरोक्त बचत खातों में ही जमा करवाई जा रही है। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है परन्तु साथ ही कर्मचारियों के सेवानिवृति पश्चात के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है क्योंकि इस परिस्थिति में यह सुनिश्चित है कि उन्हें किसी भी प्रकार की पैन्शन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

अतः अब इस अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने तथा कर्मचारियों के नाम से NPS Account नहीं खुलवाने के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए इसे भविष्य अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

9. अनुदान

आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक / रा॰ले॰प॰–शिमला / अंके. अधि. / 2025 / –23 दिनांक: 01 / 02 / 2025 के सन्दर्भ में **''परिशिष्ट–20 से 23''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 04 / 2023 से 03 / 2025 प्राप्त तथा व्यय किये गये अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(9.1) सामान्य रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–20):–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2023–24	95376318.50	94668711.00	190045029.50	126962509.00	63082520.50
2024–25	63082520.50	92222628.00	155305148.50	148146232.70	7158915.80

दिनाँक 31.03.2025 के उपरोक्त अन्तशेष का निधिवार विवरण निम्न प्रकार से है (परिशिष्ट–22):–

क्रम	निधि	अन्तशेष (₹)
1	जिलाधीश के माध्यम से प्राप्त अनुदान	2825615.00
2	राष्ट्रीय/राज्य आपदा राहत निधि	4328522.00
3	प्रधानमन्त्री आवास योजना निधि	4778.80
	कुल योग:–	7158915.80

टिप्पणी:–

दिनाँक 01.04.2023 को अनुदानों के उपरोक्त दर्शाये गये ₹ 9,53,76,318.50/- के प्रारम्भिक शेष की संशोधित गणना निम्न प्रकार से की गई है।

Note: Correction to the opening balance of GIA as on 01-04-2023	
1. The closing balance as on 31-03-2023 was shown as ₹103289616/- in the Consolidated Financial Statement of Grants in Aid for the period 04/2021 to 03/2023 in परिशिष्ट "ग–1".	**103289616.00**
2. But the actual closing balance as on 31-03-2023 was ₹95371729/- as per the statements for individual Grants in Aid as given in परिशिष्ट "ग" Page 109 to 125 of the Audit Report for the period 04/2021 to 03/2023. Besides this a balance of ₹4589.50/- in GIA of PMAY Fund was also given in para 8 (क) of audit report for the period 04/2021 to 03/2023. That makes the total opening balance of GIA ₹95376318.50/	**95376318.50**
3. This difference of ₹7917887/- as detailed in Para 10(iv) of the Audit Report for the period 04/2021 to 03/2023 was a result of difference in the opening balance as on 01-04-2021. It actually was ₹48229959/- rather than ₹56147846/-. This difference was explained and verified in th last audit. The opening balances of individual Grants in Aid were rectified in परिशिष्ट "ग" Page 109 to 125 of the Audit Report for the period 04/2021 to 03/2023. However, the final result of this error was not accounted for inadvertantly in the consolidated Financial Position of GIA in Para 10 (i) of the Audit report for the period 04/2021 to 03/2023.	
4. The The above Closing balance of ₹95371729/- as given in परिशिष्ट "ग" Page 109 to 125 of the Audit Report for the period 04/2021 to 03/2023 includes the following types of GIA on the basis of their Accounting by the Municipal Corporation:-	

5. Grants routed through Single Nodal Accounts by the Director, Urban Development, HP		
(a) PMAY – SNA as given in परिशिष्ट "ग" Page 109 to 125n = ₹ 39,40,000		
(b) PMAY Fund balance as given in para 8 (क) of audit report for the period 04/2021 to 03/2023 = ₹4589.50/-		
(c) Total opening balance of PMAY Fund = ₹3944589.50/-	₹ 39,44,589.50	
(ii) NULM - SNA	₹ 18,64,151.00	
(iii) SBM - SNA	₹ 28,54,121.00	
Total for Above		**₹ 86,62,861.50**
6. Grants routed through Bank Accounts maintained in the name of Commissioner/EO and accounted for in the main cash book of MC.		
(i) 15th CFC Grant Untide	₹ 1,21,88,590.00	
(ii) 15th CFC Grant tide	₹ 2,38,28,750.00	
(iii) 6th SFC Grant	₹ 1,56,78,447.00	
(iv) DC Grant	₹ 38,61,219.00	
(v) ULB Road Grant	₹ 6,29,753.00	
(vi) SDMA/NDMA Fund	₹ 1,00,00,000.00	
(vii) Park	₹ 80,53,718.00	
(viii) 14th CFC	₹ 4,04,821.00	
(ix) SWM	₹ 1,13,30,559.00	
(x) Covid - 19	₹ 7,13,000.00	
(xi) Plastic Waste	₹ 24,600.00	
Total for Above		**₹ 8,67,13,457.00**
Grand Total for Balance of GIA as on 01-04-2023 as given in परिशिष्ट "ग" Page 109 to 125 of the Audit Report for the period 04/2021 to 03/2023.		**₹ 9,53,76,318.50**
7. This correction does not affect the overall balance of the Municipal Corporation which remains same as ₹148399829.74/-.		

(9.2) विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की ₹71.59 लाख राशि का अव्ययित शेषः—

परिशिष्ट "20 व 23" पर संलग्न विस्तृत विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि दिनांक 31.03.2025 को कुल अव्ययित **₹71,58,915.80/—** की अनुदान राशि शेष थी। अतः इस अव्ययित अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए।

(9.3) ₹1481.46 लाख के अनुदान व्यय के पश्चात भी वर्ष 2024—25 के लिये कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर निगम द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "21"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2024—25 में कुल **₹14,81,46,232.70/—** का व्यय प्राप्त अनुदानों में से किया गया था परन्तु इस अवधि में, उक्त **परिशिष्ट के अन्तिम कॉलम अनुसार**, किसी भी व्यय के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित वित्तपोषक संस्थाओं को प्रेषित नहीं किये गये थे। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित करने के साथ—साथ इनकी सत्यापना भी आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰—शिमला/अंके. अधि. /2025/—110 दिनांकः 09/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस मामले में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

10. निवेश

(10.1) नगर निगम निधियों से किये गये निवेश का विवरण।

आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰—शिमला/अंके. अधि./2025/—23 दिनांकः 01/02/2025 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "4"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 को नगर निगम की निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि शून्य थी।

(10.2) अतिरिक्त नगर निगम निधि को सावधि जमा योजना में निवेश करने की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण सम्भावित ब्याज आय की हानि

गत अनुच्छेद 8.1 में दिये गये विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दोनों वित्त वर्षों के अन्त में नगर परिषद द्वारा स्वः–संसाधनों से जुटाई गई एक बड़ी राशि बचत खातों में जमा रखी गई थी। दिनांक 31.3.2025 को भी नगर निगम के पास स्व संसाधनों के बचत खातों में ₹8,67,44,004.96/– की शेष राशि बचत खातों में ही जमा थी।

यदि सामयिक आवश्यकता के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाता तो निश्चित रूप से ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सकती थी, परन्तु नगर निगम द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा इस राशि को केवल बैंक बचत खातों में जमा रखा गया था। परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली सम्भावित अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नगर निगम की सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर शेष उपलब्ध राशि को अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करने का प्रयत्न किया जाये ताकि परिषद को यह अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–109 दिनांकः 09/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्याः 634/Audit Memo 2023-25/MCH/2025 दिनाँक 18.06.2025 द्वारा सूचित किया है कि नगर निगम द्वारा सभी बैंक खातों में ऑटो स्वीप सुविधा ले ली गई है जिसमें एक न्यूनतम राशि के अतिरिक्त राशि पर बैंक द्वारा स्वतः सावधि निवेश का ब्याज दिया जाता है। अतः इस ब्याज की वसूली यथासमय सुनिश्चित करने हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित करने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि बैंक इस ब्याज पर **"स्त्रोत पर आयकर"** की कटौती न करे। अंकेक्षण को अनुपालना से तदानुसार अवगत करवाया जाये।

11. नगर निगम के वर्ष 2023–24 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ :–

आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–23 दिनांकः 01/02/2025 के सन्दर्भ में निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास

विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के बजट की उपलब्ध करवाई गई प्रतियों के अवलोकन पश्चात निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:–

(11.1) बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय–व्यय की तुलना :–

आय व्यय का शीर्ष	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25
आय		
स्वः–स्त्रोतों से प्रस्तावित आय	32203700	43686000
स्वः–स्त्रोतों से वास्तविक आय	35309714	54774614
अन्तर	**3106014** **(9.64% अधिक्य)**	**11088614** **(25.38% अधिक्य)**
अनुदानों से प्रस्तावित आय	100000000	170000000
अनुदानों से वास्तविक आय	94668711	92222628
अन्तर	**5331289** **(5.33% कमी)**	**77777372** **(45.75% कमी)**
व्यय		
कुल प्रस्तावित व्यय	128122000	228755000
कुल वास्तविक व्यय	132833124	205498988
अन्तर	**4711124** **(3.68% अधिक्य)**	**23256012** **(10.17% कमी)**

(11.2) अनुमोदन

नगर परिषद/निगम के वर्ष 2023–24 के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये कार्यालय पत्र संख्याः UD-HI(1)-7/2011-I- 140-141 दिनाँक 02.01.2024 द्वारा तथा वर्ष 2024–25 के लिये पत्र संख्याः UD-HI(1)-7/2011-I- 19470-71 दिनाँक 01.10.2024 द्वारा किया गया है।

(11.3) बजट प्राक्कलन क्रमशः नौ तथा छः माह से भी अधिक विलम्ब से अनुमोदित करवानाः–

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) व 249(5) के प्रावधानानुसार नगर परिषद का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की जिलाधीश

के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के बजट की अनुमोदित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश हमीरपुर के माध्यम से यह क्रमशः पत्र संख्या: DCH-UDB/2023-637 दिनाँक 30.11.2023 तथा DCH-UDB/2024-432 दिनाँक 17.09.2024 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने पर गत उप–अनुच्छेद 10.2 में दिये विवरणानुसार नौ तथा छः माह से भी अधिक विलम्ब से अनुमोदित किये गये थे। देरी से बजट अनुमोदित करवाने से सारी बजट प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है।

(11.4) बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता :–

गत उप–अनुच्छेद (11.1) में वर्णित प्रस्तावित बजट अनुमानों तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुदान आय जोकि अनुमान से अधिक है, के अपवाद के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने से नगर निगम दूर है। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि

1. *नगर निगम द्वारा या तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये; अथवा*
2. *प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये; अथवा*
3. *अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण नगरवासियों को अपेक्षित सुविधाएँ देने में विफलता रही।*

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर निगम हमीरपुर द्वारा बजट को लेकर किसी प्रकार की गम्भीरता का भाव नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. नगर निगम की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण :–

नगर निगम की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2022–23	111999453	89329879
2023–24	256241897	132833124
2024–25	271676164	205498988

13. आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ :–

नगर निगम द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2025 में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:–

(13.1) विविध संसाधानों से ₹471.59 लाख की आय वसूली हेतु शेष

आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–23 दिनांकः 01/02/2025 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2025 को निम्न तालिका अनुसार संक्षिप्त रूप में संकलित विविध संसाधनों से **₹4,71,60,965/–** की आय वसूली हेतु शेष थी। इस वसूली का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "24 से 29"** पर उपलब्ध है।

क्रम	आय की मद	परिशिष्ट संख्या	दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	सम्पत्ति कर (अधिभार सहित)	**परिशिष्ट "24"**	24071834
2	दुकानों का किराया	**परिशिष्ट "25 व 26"**	11751571
3	तहबाजारी शुल्क	**परिशिष्ट "27"**	1569240
4	घरद्वार कचरा संग्रहण शुल्क	**परिशिष्ट "28"**	8959065
5	मोबाईल टावर स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क	**परिशिष्ट "29"**	807451
	कुल योगः		**47159161**

(13.2) सम्पत्तिकर बकाया, माँग व प्राप्ति तथा अभिलेख अनुरक्षण में पाई गई अनियमितताओं बारे।

1. **सम्पत्तिकर की ₹84.48 लाख की राशि 3 से 66 वर्षों तक जमा न करवाने वाले 108 बकायेदारों के विरूद्ध अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई न करना:–**

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा अभिलेख की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 को सम्पत्तिकर की वसूली हेतु शेष कुल **₹2,40,71,834/–** के बकाया में से **₹84,47,552/–** की राशि तो केवल 108 बकायेदारों के विरूद्ध ही शेष थी जिसे पिछले ***3 से 66 वर्षों तक चुकता नहीं किया गया था।*** इस राशि का विस्तृत विवरण

परिशिष्ट "30" पर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों द्वारा करों की शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इनकी अनुपालना नहीं हुई है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन बकायेदारों से इस राशि की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

2. **₹7.25 लाख की वसूली शेष होने पर भी वर्ष 2023–24 व 2024–25 के लिये 17 बकायेदारों की गृहकर माँग दर्ज न करनाः–**

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा अभिलेख की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि **परिशिष्ट "31"** पर वर्णित 17 बकायेदारों के विरूद्ध दिनांक 31.03.2025 को ₹7,24,887/– का सम्पत्तिकर वसूली हेतु शेष होने पर भी इनके विरूद्ध वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के लिये नई गृहकर माँग रजिस्टर में दर्ज नहीं करने के कारण नगर निगम निधि को अनुचित हानि हुई है।

3. **वर्ष 2023–24 व 2024–25 में नवनिर्मित भवनों का सम्पत्तिकर निर्धारण न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के नियम 65 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के नियम 84 के अनुसार नगर परिषद/निगम अपने क्षेत्राधीन भवनों पर सम्पत्तिकर निर्धारण तथा वसूली हेतु प्राधिकृत हैं। यह कर निर्धारण किसी भी नवनिर्मित भवन के लिये बिजली तथा पानी कनैक्शन का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 की **परिशिष्ट "24"** पर प्रस्तुत सम्पत्तिकर माँग, प्राप्ति व अन्तशेष विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन दोनों ही वर्षों में ₹1,47,15,039/– की राशि माँग के रूप में दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त यदि अवधि 04/2021 से 03/2023 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद 11(1–ख) का अवलोकन किया जाये तो इन दो वर्षों में भी सम्पत्तिकर माँग के रूप में यहि राशि दर्ज थी। इससे स्पष्ट है कि नगर परिषद/निगम द्वारा इन चार वर्षों में अपने क्षेत्र में नवनिर्मित एक भी भवन के लिये सम्पत्तिकर निर्धारण नहीं किया गया था। आय के सीमित संसाधनों से जूझती नगर परिषद/निगम द्वारा आय के इस महत्वपूर्ण स्त्रोत का दोहन न करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है।

अतः नगर निगम परिक्षेत्र में नवनिर्मित भवनों का सम्पत्ति कर निर्धारण करके, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4. **दिनाँक 31.03.2025 को माँग व प्राप्ति रजिस्टर का अद्यतन न करते हुये अन्तशेष की गणना करके दर्ज न करना:–**

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि सम्पत्तिकर माँग व प्राप्ति रजिस्टर का अद्यतन करते हुये दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु बकाया अन्तशेष की गणना करके दर्ज नहीं किया गया था। इस अनियमितता के कारण बकाया सम्पत्तिकर वसूली की अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत सूचना का सत्यापन सम्भव नहीं हो पाया है।

सम्पत्तिकर बकाया, माँग व प्राप्ति तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षण में पाई गई उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/रा•ले•प•–शिमला/अंके. अधि./2025/–100 दिनांकः 24/05/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस मामले में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(13.3) दुकान/भवन तथा अन्य परिसम्पत्तियों के बकाया किराया, माँग व प्राप्ति तथा अभिलेख अनुरक्षण में पाई गई अनियमितताओं बारे।

1. 1 से 18 वर्षों (7 से 212 माह) तक ₹78.26 लाख की दुकान किराये की राशि वसूली हेतु लम्बित होने पर भी कोई ठोस कार्रवाई न करना:–

दुकान किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर तथा प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि 148 किरायेदारों से कुल ₹1,17,53,371/– की बकाया किराया राशि में से **परिशिष्ट "32"** पर दिये विवरणानुसार **₹78,25,847/–(66.58%)** की राशि 63 किरायेदारों द्वारा पिछले ***7 से लेकर 212 माह (18 वर्ष)*** से चुकता नहीं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरायेदार बकाया किराये का भुगतान करने के इच्छुक ही नहीं है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन किरायेदारों से बकाया किराये की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

2. **वसूली हेतु किराये के अन्तशेष की ₹13855/– राशि को कम दर्शाकर किरायेदारों को अनुचित लाभ देना:–** दुकान किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर तथा प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित 5 किरायेदारों से दिनाँक 31.03.2025 को वसूली हेतु अन्तशेष की **₹13855/–** की राशि को कम दर्शाकर बकायेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

क्रम	दुकानदार का नाम	दुकान संख्या/पता	31.03.2025 को माँग व संग्रहण रजिस्टर में दर्ज अन्तशेष (₹)	31.03. 2025 को वास्तविक अन्तशेष (₹)	कम दर्शाया गया अन्तशेष (₹)
1	Sh vinod kumar	Shop no-8 ward no 5 lower bazaar Nehru school to bhota chowk	0	1800	1800
2	Sh Hari singh	Shop no-8 ward no 5 lower bazaar Nehru school to bhota chowk	24748	25475	727
3	Sh kehar singh	Shop 5 ward no-2 near MC rest house	27995	29792	1797
4	Sh Abhishek gupta	Shop no 9 ward no-6 near gandi gate sarai	40828	49828	9000
5	Sh Sandeep pathania	Shop no 3 ward no 2 near MC rest house	174876	175407	531
				TOTAL	**13855**

3. **₹38.23 लाख की वसूली शेष होने पर भी वर्ष 2023–24 व 2024–25 के लिये 15 बकायेदारों की किराया माँग दर्ज न करना:–**

दुकान किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर तथा प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "33"** पर वर्णित 15 बकायेदारों के विरूद्ध दिनांक 31.03.2025 को ₹38,23,037/–का किराया वसूली हेतु शेष होने पर भी इनके विरूद्ध वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के लिये नई किराया माँग रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी। इस कारण नगर निगम निधि को अनुचित हानि हुई। अतः इन किरायेदारों की मांग वर्तमान अवधि तक दर्ज करके, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. **मुख्य रोकड़ बही तथा किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज किराया वसूली की राशि में वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में क्रमशः ₹75974/– व ₹238864/– के अन्तर बारे:–**

दुकान किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर तथा प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही प्रविष्टियों के अनुसार तैयार माहवार आय व्यय के आंकड़ों तथा किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर के आधार पर तैयार सूचना अनुसार किराया वसूली विवरणी में दर्शाई गई किराया वसूली की राशि में निम्न तालिका अनुसार वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में क्रमशः ₹75,974/– व ₹2,38,864/– का अन्तर पाया गया है। यह अन्तर स्पष्ट करता है कि किराया वसूली का अभिलेख उचित तरीके से अनुरक्षित नहीं है और रोकड़िये तथा किराया वसूली शाखा में आपसी तालमेल की कमी के कारण वसूल राशि का सम्पूर्ण मिलान नहीं किया जाता है।

क्रम	वर्ष	रोकड़ बही प्रविष्टियों के अनुसार तैयार माहवार आय व्यय के आंकड़ों अनुसार किराया वसूली (₹)	किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर के आधार पर तैयार सूचना अनुसार किराया वसूली (₹)	अन्तर (₹)	टिप्पणी
1	2023–24	2407012	2331038	75974	रोकड़ में अधिक किराया वसूली दर्ज है।
2	2024–25	3686638	3925502	238864	रोकड़ में कम किराया वसूली दर्ज है।

अतः उपरोक्त अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. **किरायेदारों के साथ किये गये नवीनतम अनुबन्ध अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:–** अंकेक्षण द्वारा बारम्बार मौखिक तथा लिखित अनुरोध करने पर भी किरायेदारों के साथ किये गये नवीनतम किराया अनुबन्ध अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे। इनके अभाव में अंकेक्षण द्वारा किराया वसूली की की माँग तथा यथासमय मासिक/वार्षिक किराया वृद्धि का सत्यापन नहीं किया जा सका है।

6. **खाली दुकानों को किराये पर देने बारे:–** अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 को चार दुकाने किराये पर नहीं दिये जाने के कारण खाली थीं। इन्हे किराये पर न

देने के कारण नगर निगम निधि को निरन्तर वित्तीय हानि हो रही है। अतः इस चूक बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन्हे यथाशीघ्र किराये पर देकर वस्तुस्थिति से तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख के अनुरक्षण में पाई गई उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰लें॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–98 दिनांकः 19/05/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्याः 909/Audit Memo/2023-25/MCH/2025 दिनाँक 04.07.2025 द्वारा सूचित किया कि इन आपत्तियों के सन्दर्भ में या तो आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है अथवा शीघ्र ही आरम्भ कर दी जायेगी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त नियमानुसार अनुपालना सुनिश्चित करके तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.4) तहबाजारी के बारे में अंकेक्षण टिप्पणियाँ।

1. रेहड़ी फड़ी वाले फुटकर व्यापारियों की संख्या का अद्यतन न करना

तहबाजारी के अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "27"** में दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में पंजीकृत फुटकर व्यापारियों की संख्या स्थाई रूप से 192 दर्शाई गई है। मौखिक रूप से बताया गया कि यह संख्या पिछले कई वर्षों से स्थिर है क्योंकि इन व्यापारियों का पंजीकरण लगभग 12 वर्ष पूर्व किया गया था और उसके पश्चात इनकी वास्तविक संख्या जानने के लिये न तो कोई सर्वे किया गया और न ही कोई नया पंजीकरण किया गया है। नया सर्वे तथा पंजीकरण नहीं करने से तहबाजारी के प्रस्तुत अभिलेख तथा आंकड़े निम्नलिखित कारणों से अवास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं:–

- ❖ यह एक तथ्य है कि फुटकर व्यापारियों में से कुछ तो स्थाई होते हैं और कुछ अस्थाई;
- ❖ इसी प्रकार इतने वर्षों में कुछ व्यापारी व्यावसाय छोड़ चुके होंगे, कुछ अन्य व्यावसाय में अथवा अन्य स्थान पर जा चुके होंगे और कुछ की मृत्यु हो चुकी होगी;
- ❖ कुछ फुटकर व्यापारी मात्र मेले अथवा त्यौहारी मौसम में ही व्यावसाय के लिये आते हैं।
- ❖ कुछ नए फुटकर व्यापारी नगर निगम परिधि/परिक्षेत्र में भी जुड़े होंगे।

इन कारणों से इतने वर्षों से फुटकर व्यापारियों की संख्या को स्थाई रूप से 192 दर्शाना प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय अभाव तथा उदासीनता को दर्शाता है और आय के इस महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण एक औपचारिकता मात्र निभाने के लिये किया गया है। इन्ही कारणें से

दिनांक 31.03.2025 को तहबाजारी की वसूली हेतु शेष दर्शाई गई **₹15,69,240/–** की राशि भी अवास्तविक प्रतीत होती है।

2. रेहड़ी फड़ी वाले फुटकर व्यापारियों की पंजीकरण को निरन्तर प्रक्रिया के रूप में न अपनाना:–

तहबाजारी संग्रहण की उपरोक्त **परिशिष्ट "27"** में प्रस्तुत सूचनानुसार नगर निगम द्वारा तहबाजारी की मद में वर्ष 2023–24 में **₹9,64,240/–** तथा 2024–25 में **₹8,90,720/–** की राशि वसूल की गई जबकि दिनांक 31.03.2025 को **₹15,69,240/–** की राशि वसूली हेतु शेष थी। अभिलेख की जाँच में पाया कि तहबाजारी की वसूली पूर्णतयः खोखा तथा रेहड़ी फड़ी व्यावसायियों की कृपादृष्टि पर छोड़ रखी गई है। कोई फुटकर व्यापारी तहबाजारी का भुगतान करता है अथवा नहीं इसके प्रबन्धकीय नियन्त्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। नगर निगम के पास तहबाजारी रसीदों के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख इस वसूली की माँग व संग्रहण के सत्यापन हेतु संकलित नहीं है। जबकि ***Street Vendors (Protection of Livlihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014*** में दिये प्रावधानानुसार आय के इस एक महत्वपूर्ण स्त्रोत के उचित वित्तीय प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित किया जाना अपेक्षित था।

- *उपरोक्त अधिनियम नियम 3 के अनुसार Town Vending Committee प्रथम सर्वे के पश्चात प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार फुटकर व्यापारियों का सर्वे करेगी।*
- *नियम 3 के अनुसार Town Vending Committee द्वारा सभी चयनित फुटकर व्यापारियों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करेगी।*
- *नियम 8 के अनुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र के लिये निर्धारित शुल्क वसूल किया जायेगा।*
- *नियम 9 के अनुसार प्रमाण पत्र का निर्धारित अवधि पर नवीनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा।*
- *नियम 6 के अनुसार प्रत्येक फुटकर व्यवसायी का वर्गीकरण स्थायी (Stationary), घुमन्तु (Mobile) तथा अन्य (Any Other) के रूप में करते हुये उन्हें व्यावसाय हेतु स्थान विशेष चिन्हित करना होगा।*
- *तहबाजारी के लिये माँग व संग्रहण के वित्तीय नियन्त्रण हेतु संकलित रजिस्टर का अनुरक्षण करना।*

परन्तु नगर निगम द्वारा न तो इन नियमों का पालन किया गया था और न ही कोई व्यवस्था स्थापित करते हुये संकलित अभिलेख अनुरक्षित किया गया था। इस कारण वसूल की गई राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–120 दिनांकः 04/07/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस मामले में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(13.5) शहरी बेघर नागरिकों के लिये निर्मित आश्रय (Shelter for Urban Homeless) के किराये की वसूली न करने के कारण नगर परिषद/निगम निधि को ₹30.24 लाख की सम्भावित हानि।

नगर परिषद/निगम के अवधि 04/2023 से 03/2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख तथा सूचना **(परिशिष्ट "34")** की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद/निगम द्वारा राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन निधि से शहरी निराश्रितों के लिये आश्रय (Shelter for Urban Homeless) निर्माण करवाया गया था जिसमें 30 बिस्तर (गद्दों, चद्दर, तकिया, कम्बल इत्यादि सहित) लगाये गये थे। इस आश्रय में आने वाले अतिथियों के लिये ₹100/– की प्रतिदिन प्रति बिस्तर की किराया दर निर्धारित की गई थी। यह आश्रय दिनाँक 22.04.2021 को डा॰ राधा कृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर के नियन्त्रण में दे दिया गया था जिसका कारण महाविद्यालय में स्थान की कमी बताया गया। परन्तु इसका नियन्त्रण आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को देने के पश्चात वर्तमान अंकेक्षण तक इस सम्पत्ति के प्रयोग के लिये नगर परिषद/निगम द्वारा किसी प्रकार की किराया माँग नहीं की गई है। इस कारण जहाँ एक ओर इस भवन के निर्माण का उद्देश्य 22.04.2021 के पश्चात सफल नहीं हो सका वहीं दूसरी ओर नगर परिषद निधि को निम्न गणना अनुसार ₹30,24,000/– की सम्भावित हानि हुई है।

क्रम	वर्ष	वर्ष में अधिकतम दिनों की संख्या	30 बिस्तरों की दर से वर्ष में अतिथियों की अधिकतम संख्या	70% टॉक्यूपैन्सी की दर से सम्भावित अतिथियों की संख्या	₹100/– की प्रतिदिन प्रति बिस्तर की दर से वर्ष में कुल अपेक्षित किराया वसूली (₹)
1	2021–22	344	10320	7224	722400
2	2022–23	365	10950	7665	766500

3	2023–24	366	10980	7686	768600
4	2024–25	365	10950	7665	766500
	कुल योग	**1440**	**43200**	**30240**	**3024000**

उपरोक्त अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–121 दिनांकः 09/07/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस मामले में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(13.6) वाहन पार्किंग से अर्जित आय में पाई गई अनियमितताएँ।

नगर परिषद/निगम के अवधि 04/2023 से 03/2025 तक के लेखों के अंकेक्षण दौरान वाहन पार्किंग से अर्जित आय के अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. **वर्ष 2024–25 की आय में 2023–24 की तुलना में ₹6.40 लाख की कमी आना:–**

   वर्ष 2023–24 में नगर निगम द्वारा वाहन पार्किंग से ₹11,52,155/– की आय अर्जित की थी जबकि वर्ष 2024–25 में यह कम होकर मात्र ₹5,12,236/– रह गई है। आय अर्जन में इस ₹6,39,919/– की कमी के सत्यापन हेतु कोई अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. **वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में वाहन पार्किंग शुल्क की कम वसूली के कारण ₹5.31 लाख का सम्भावित हानिः–** नगर निगम के पास वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में निम्न तालिका में वर्णित चार वाहन पार्किंगें थीं जिनमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख अनुसार लगभग 108 कारें पार्क की जा सकती हैं।

क्रम	वाहन पर्किंग का नाम/पता	अधिकतम वाहन/ कार पार्किंग क्षमता	**औसतन 12 घण्टे की ₹40/– प्रति कार पार्किंग दर से औसत 80% ऑक्यूपैन्सी के आधार पर एक वर्ष में सम्भावित आय। [(No. of cars X ₹40 X365) X 80%]**
1	टाउन हॉल पार्किंग	30	350400
2	सब्जी मण्डी पार्किंग	15	175200

3	पी डबल्यू डी कॉलोनी के नज़दीक पार्किंग	25	292000
4	नगर परिषद सराय पार्किंग (दो मंजिलें)	24	280320
	एक वर्ष में कुल सम्भावित आयः–	**108**	**1097920**
	दो वर्ष में कुल सम्भावित आयः–		**2195840**
	वास्तव में अर्जित कुल आय (1152155+512236)		**1664391**
	कम अर्जित आय के रूप में सम्भाावित हानि		**531449**

कार पार्किंग शुल्क हेतु 1, 6, 12 तथा 24 घण्टे के लिये क्रमशः ₹15, ₹25, ₹40 तथा ₹60 की दरें निर्धारित की गई थीं। परन्तु गणना को सरल रखते हुये औसतन 12 घण्टे की ₹40/– प्रति कार पार्किंग दर से **औसत 80% ऑक्यूपैन्सी के आधार** पर उपरोक्त गणना अनुसार इन दो वर्षों में कुल ₹21,95,840/– की आय कार पार्किंग से अर्जित किया जाना सम्भाावित था। परन्तु वास्तविक आय मात्र ₹16,64,391/– ही अर्जित की गई थी। इससे प्रतीत होता है कि प्रबन्धकीय चूक अथवा अन्य कारणों से नगर निगम निधि को इन दो वर्षों में कार पार्किंग शुल्क की मद में ₹5,31,449/– की सम्भाावित हानि हुई है।

3. नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर एकत्र वाहन पार्किंग शुल्क की आय का अभिलेख संकलित न करनाः– कार पार्किंग माँग व संग्रहण रजिस्टर में केवल वर्ष 2023–24 के लिये ठेके पर दी गई पार्किंगों से अर्जित आय की प्रविष्टियाँ ही दर्ज हैं। वर्ष 2024–25 में पार्किंग शुल्क की वसूली नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर की गई थी जिसके लिये माँग व प्राप्ति का विस्तृत अभिलेख अनुरक्षित नहीं है। केवल रसीदें तथा रोकड़ बही में आय की प्रविष्टियाँ ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई। इस कारण अर्जित आय का सम्पूर्ण सत्यापन नहीं हो पाया है।

उपोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/रा•ले•प•—शिमला/अंके. अधि./2025/—111 दिनांकः 13/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस मामले में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(13.7) शराब उपकर की वसूली न होना

आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/रा•ले•प•—शिमला/अंके. अधि./2025/—23 दिनांकः 01/02/2025 के उत्तर में प्रस्तुत आय व्यय के आँकड़ों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर निगम को शराब उपकर की मद में वर्ष 2023—24 तथा 2024—25 में कोई प्राप्ति सम्बन्धित विभाग से नहीं हुई थी। अतः आय के इस संसाधन के दोहन हेतु प्राथमिकता के आधार पर मामला सम्बन्धित विभागों साथ उठाकर वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(13.8) विद्युत उपकर की वसूली न होना

आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/रा•ले•प•—शिमला/अंके. अधि./2025/—23 दिनांकः 01/02/2025 के उत्तर में प्रस्तुत आय व्यय के आँकड़ों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर निगम को विद्युत उपकर की मद में वर्ष 2023—24 में कोई प्राप्ति सम्बन्धित विभाग से नहीं हुई थी। अतः आय के इस संसाधन के दोहन हेतु प्राथमिकता के आधार पर मामला सम्बन्धित विभाग के साथ उठाकर वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(13.9) सफाई व्यवस्था पर व्यय तथा एकत्र शुल्क पर अंकेक्षण टिप्पणियाँ:—

आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/रा•ले•प•—शिमला/अंके. अधि./2025/—105 दिनांकः 31/05/2025 के सन्दर्भ में पत्र संख्याः MCH/477 दिनाँक 03.06.2025 **(परिशिष्ट "35")** द्वारा सूचित किया गया कि नगर निगम द्वारा वर्ष 2023—24 तथा 2024—25 में 3723.468 (1350.500+2372.968) मीट्रिक टन बायोडिग्रेडेबल तथा 2927.274 (985.500+1941.774) मीट्रिक टन (कुल 6650.742 मीट्रिक टन) ठोस अपशिष्ट के सन्ग्रहण तथा निस्तारण पर कुल **₹5,64,07,039/— (21811148+34595891)** की राशि व्यय की गई थी।

परन्तु घर द्वार कचरा संग्रहण शुल्क के माँग व प्राप्ति रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि नगर निगम द्वारा आवासीय भवनों से ₹60/– तथा व्यावसायिक भवनों के लिये ₹80/– से ₹2000/– की मासिक दर से इन दो वर्षों में कुल **₹1,29,23,184/– (5015900+7907284)** की राशि की वसूली की गई थी जबकि **₹89,59,069/–** की राशि की वसूली शेष थी। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत कचरा संग्रहण शुल्क की व्यवस्था इसलिये रखी गई है ताकि नागरिकों की भी सफाई व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा उन्हें भी अपने दायित्व का बोध रहे। शुल्क दरों से स्पष्ट है कि दो वर्षों में सफाई व्यवस्था पर किये गये **₹564.07** लाख के व्यय की तुलना में यह **₹129** लाख की प्रतिपूर्ती नाममात्र (23%) ही है तथा उसमें भी सभी नागरिको से शुल्क वसूली यथासमय न करना कतई तर्कसंगत नहीं है। प्रस्तुत अभिलेख तथा सफाई व्यवस्था हेतु अपनाई गई व्यवस्था के विश्लेषण से स्पष्ट है कि;

1. नगर निगम को कचरा संग्रहण शुल्क की दरों को संशोधित करके तर्कसंगत तथा व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है; तथा
2. सभी नागरिको को इस शुल्क का भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये ताकि इस पर किये जा रहे व्यय में से अधिकतम राशि की प्रतिपूर्ती सम्भव हो सके।

अतः इस अनियमितता के बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करना तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(13.10) नगर निगम हमीरपुर की स्वः स्त्रोतों के आय के संग्रहण तथा अभिलेखन में पाई प्रमुख विसंगतियों का सार तथा आय संसाधनों को सुदृढ़ तथा व्यवस्थित करने की नितान्त आवश्यकता के लिए अंकेक्षण के सुझाव।

हिमाचल प्रदेश में शहरी नगर निकाय शहरी क्षेत्रों में विकास और जीवन गुणवत्ता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी प्रदेश में अधिकतर निकाय वित्तीय बाधाओं का सामना करते है जोकि आवश्यक सेवायें देने तथा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने की उनकी क्षमताओं को सीमित करता है। नगर निकाय आय के दो महत्वपूर्ण स्वः स्त्रोत संसाधन तथा सरकारी अनुदान हैं। इसमें से स्वः स्त्रोत संसाधनों का जितना अधिक सुदृढ़िकरण किया जायेगा उतनी ही अधिक वित्तीय स्वतन्त्रता नगर निकाय के पास होगी। आय स्त्रोतों का विस्तार और विविधीकरण उनकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिये महत्वपूर्ण है। नगर निगम हमीरपुर के सन्दर्भ में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अंकेक्षण सुझाव से पूर्व अंकेक्षणावधि के दो वर्षों में नगर निगम हमीरपुर की स्वः स्त्रोतों

तथा अनुदानों से प्राप्त आय के परस्पर सहसम्बन्ध की विवेचना आवश्यक है और जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में निगम अपनी आवश्यकताओं तथा विकास योजनाओं के निष्पादन हेतु अधिकतर सरकारी अनुदानों पर ही निर्भर है। इन दोनो स्त्रोतों के सहसम्बन्ध को सार रूप में निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

	2023–24	2024–25
स्वः–स्त्रोतों से आय (ब्याज के बिना) (₹)	22452995	27949423
अनुदानों से आय (₹)	92123045	91123131
कुल योग (₹)	**114576040**	**119072554**
कुल आय की तुलना में स्वः–स्त्रोतों से आय की प्रतिशतता	**20%**	**23%**

आय संसाधनों के सुदृढिकरण एवं विविधीकरण हेतु किसी सुझाव से पूर्व यह समझ लेना भी उचित होगा कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम किन–किन सम्भावित स्त्रोतों से आय सृजित करने के लिये प्राधिकृत है। सन्दर्भ हेतु इन स्त्रोतों को निम्न प्रकार से सार रूप में परिभाषित किया जा सकता है:–

1. **स्वः–स्त्रोतः** स्वस्त्रोतों के प्रमुख घटक निम्न प्रकार से है।

(क) कर राजस्वः

1. सम्पत्ति कर (Property Tax):– यह नगर निगम आय का प्रमुख स्त्रोत है जिसे गृहकर भी कहा जाता है। इसका निर्धारण सम्पत्तियों के मूल्य पर वार्षिक दर के आधार पर किया जाता है।
2. व्यवसाय कर (Professional Tax):– यह विभिन्न व्यवसाय में संलिप्त व्यवसायियों के लिये वार्षिक दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
3. वाहन कर (Vehicle Tax):– नगर निगम सीमाओं के भीतर पंजीकृत वाहनों के लिये यह कर वसूल कर सकता है।
4. अन्य कर (Other Taxes):– विज्ञापन कर, मनोरंजन/सीनेमा कर, आदि कर इनमें शामिल हो सकते हैं।

(ख) गैर कर राजस्व (शुल्क):

1. तहबाजारी (Tehbazari):– रेहड़ी फड़ी वाले फुटकर व्यापारियों से नगर निगम/सरकार की खाली भूमि पर चिन्हित स्थान पर व्यापार करने की अनुमति के बदले यह शुल्क दैनिक दर के आधार पर वसूल किया जाता है।
2. किराया (Rent):– नगर निगम द्वारा निर्मित अपनी दुकानों, अन्य सम्पत्तियों तथा खाली भूमि को विविध व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक गतिविधियों के लिये यह किराया वसूल किया जाता है।
3. भवन योजना अनुमोदन शुल्क (Map Approval Fees) :– नगर निगम सीमाओं के भीतर निर्मित किये जाने वाले नये भवनों के नगर निगम तथा नगर नियोजन विभाग के नियमों के अनुसार अनुमोदन के लिये यह शुल्क वसूल किया जाता है।
4. व्यापार लाईसैंस (Trade License) :– नगर निगम सीमाओं के भीतर कार्यरत व्यवसायियो को उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सेवाओं के शुल्क के रूप में यह वसूल किया जाता है।
5. कुत्ता/पशु पंजीकरण शुल्क (Dog/Animal Registration Fees) :– नगर सीमाओं के भीतर पालतू पशुओं के अनिवार्य पंजीकरण के रूप में वसूल किया जायेगा।
6. वाहन पार्किंग शुल्क (Vehicle Parking Fees) :– नगर निगम द्वारा अपनी खाली भूमि पर निर्मित पार्किंगों तथा सड़कों के किनारे उपलब्ध खाली स्थानों को पार्किंग हेतु चिन्हित करके यह शुल्क वसूल किया जाता है।
7. विज्ञापन शुल्क (Advertisement Fees) :– यह शुल्क नगर निगम सीमा के भीतर चिन्हित स्थानों पर विज्ञापन/होर्डिंग प्रदर्शन पर वसूल किया जाता है।
8. ब्याज व लाभाँश (Interest & Dividend) :– नगर निगम निधि में से सामयिक आवश्यकता के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को बैंक सावधि जमा योजनाओं अथवा राज्य/केन्द्र सरकार की निवेश योजनाओं में निवेशित करने पर यह आय प्राप्त होगी।

(ग) अन्य स्त्रोत (Other Resources):-

1. दान (Donations) विभिन्न संस्थाओं तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से किसी विशेष सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ती हेतु यह प्राप्त हो सकता है।

2. विकास शुल्क (Development Fees) :– नगर सीमाओं के भीतर बुनियादी ढाँचे के विकास की अनुमति के लिये यह शुल्क वसूल किया जाता है।

3. विविध नियमों की अवहेलना पर दण्ड राशि वसूली (Fine on violation of Rules and Regulations):– नगर नियोजन, कचरा प्रबन्धन, प्लास्टिक व पॉलीथीन प्रयोग तथा अन्य इसी प्रकार के विविध प्रावधानों की अवहेलना पर यह दण्ड राशि वसूल की जाती है।

4. बिजली तथा शराब उपकर (Electricity and Liquor Cess):– यह उपकर नगर निगम सीमा के भीतर उपयोग की बिजली के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तथा शराब बिक्री पर आबकारी एवं कराधान विभाग से वसूल किया जाता है।

2. **सरकारी अनुदान (Government Grants in Aid):–**

राज्य तथा केन्द्र सरकार से विभिन्न विकास परियोजनाओं के निष्पादन तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह अनुदान प्राप्त होते हैं।

आय संसाधनों के सुदृढ़िकरण एवं विविधीकरण हेतु अंकेक्षण सुझावः– नगर निगम हमीरपुर के आय संसाधनों के सुदृढ़िकरण एवं विविधीकरण हेतु निम्नलिखित अंकेक्षण सुझाव प्रस्तावित हैः–

1. कर संग्रहण को युक्तिसंगत व अनुकूलित करना (Rationalizing and optimizing tax collection):– नगर निगम हमीरपुर द्वारा मात्र सम्पत्तिकर की ही वसूली की जा रही है। सम्पत्तिकर संग्रहण हेतु भी कोई अधिक गम्भीर प्रयत्न किये गये परिलक्षित नहीं होते हैं। **परिशिष्ट "24"** पर प्रस्तुत दो वर्षों की सम्पत्तिकर माँग व संग्रहण विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनो वर्षों में ₹147.15 लाख की वार्षिक माँग के विरूद्ध वर्ष 2023–254 में ₹98.36 लाख तथा 2024–25 में ₹128.28 लाख का संग्रहण हुआ था। दिनाँक 31.03.2025 को भी ₹240.72 लाख की राशि वसूली हेतु शेष थी। चूंकि सम्पत्तिकर माँग व संग्रहण अभिलेख का अद्यतन नगर निगम द्वारा नहीं किया था इसलिये यह आँकडे भी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं हैं। अतः इस कर के यथासमय संग्रहण व बकाया वसूली हेतु हेतु हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के नियम 123 से 143 कार्रवाई सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु आधुनिक तकनीक आधारित एक सटीक तथा कुशल व्यवस्था स्थापित की जाये।

2. अन्य करों, जिनका दोहन नहीं किया गया, के अधिरोपण तथा संग्रहण हेतु कोई गम्भीर प्रयत्न करना:– सम्पत्तिकर के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के नियम 84 में प्रावधित व्यवसाय कर, वाहन कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन/सीनेमा कर, आदि अन्य करों के अधिरोपण तथा संग्रहण हेतु कोई प्रयत्न किया गया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः इन करों के अधिरोपण तथा वसूली हेतु यथाशीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

3. गैर कर आय के सभी संसाधनों का दोहन न करना:– गैर कर आय संग्रहण के अवलोकन पर पाया गया है कि नगर निगम हमीरपुर द्वारा दुकान/सम्पत्ति किराया, तहबाजारी, भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क तथा कचरा प्रबन्धन शुल्क के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में प्रावधित अन्य किसी भी गैर कर आय के संसाधन के दोहन हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। इन तीन स्त्रोतों से आय संग्रहण की स्थिति भी कुछ अधिक सन्तोषजनक नहीं है। दिनांक 31.03.2025 को इन तीन स्त्रोतों से ₹2,22,79,876/– (11751571+1569240+8959065) की राशि वसूली हेतु शेष थी। इनके संग्रहण तथा अभिलेख में पाई गई त्रुटियों बारे विस्तृत चर्चा गत उप–अनुच्छेदों में की जा चुकी है। अतः इन स्त्रोतों से आय के यथासमय संग्रहण व बकाया वसूली हेतु हेतु हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के नियम 123 से 143 कार्रवाई सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु आधुनिक तकनीक आधारित एक सटीक तथा कुशल व्यवस्था स्थापित की जाये।

4. अन्य गैर कर आय स्त्रोत जिनका दोहन नहीं किया गया था:–

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में प्रावधित अन्य गैर कर आय स्त्रोत जिनका दोहन नहीं किया गया था उनका विवरण उपरोक्त उद्धृत है। नगर पालिका/निगम द्वारा अपने स्तर अधिरोपित किये जाने वाले व्यवसाय लाईसैंस शुल्क, कुत्ता/पशु पंजीकरण शुल्क, विज्ञापन शुल्क, विकास शुल्क, विविध नियमों की अवहेलना पर दण्ड राशि, आदि शुल्कों की तो वसूली हेतु कोई प्रयास किया ही नहीं गया था अपितु इसमें भी अतिशयोक्ति तो यह है कि बिजली तथा शराब उपकर की वसूली हेतु भी सम्बन्धित विभागों के साथ पिछले लगभग चार वर्षों से मामला तक नहीं उठाया गया था। अतः इन शुल्कों के अधिरोपण तथा वसूली हेतु यथाशीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

5. गैर कर आय के स्त्रोतों की दरों तथा उपयोगकर्ता शुल्कों का नियमित रूप से संशोधन तथा अद्यतन करना:– सम्पत्ति/दुकान किराया, पार्किंग शुल्क तथा सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कचरा संग्रहण एवं प्रबन्धन शुल्क आदि की दरों में नियमित रूप से संशोधन तथा परिचालन लागत के अनुरूप

इनका अद्यतन किया जाना आवश्यक है। इसके बिना इन विशिष्ट सेवाओं के स्तर को बनाये रखना सम्भव नहीं है।

6. कर तथा शुल्क अधिरोपण तथा संग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण:– कर तथा शुल्क अधिरोपण तथा संग्रहण प्रक्रिया को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुये यथासम्भव पारदर्शी तथा सरल बनाकर अनुपालना को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

14. संस्थापना व्यय।

(14.1) श्री नेक मोहम्मद, मिस्त्री के गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹3.29 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान।

श्री नेक मोहम्मद, मिस्त्री की सेवा पँजिका जाँच में पाया गया है कि **परिशिष्ट "36"** पर संलग्न विवरण अनुसार उनके गलत वेतन निर्धारण के कारण **दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2025 तक ₹329216/–** का अधिक भुगतान वेतन व भत्तों के रूप में किया गया था जिसकी विस्तृत गणना **परिशिष्ट "37"** पर संलग्न है। उनके वेतन निर्धारण/संशोधन में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई हैं।

1. श्री नेक मोहम्मद को दिनांक 01.10.2012 से वेतन पुर्नसंशोधन का कोई लाभ नहीं मिला था। वेतन संशोधन नियम, 2022 के आधार पर इन्होंने वेतन संशोधन हेतु 2.59 फैक्टर का विकल्प चुना था जिसके नियम 7 के अनुसार इस फैक्टर के विकल्प के साथ इनके दिनांक 31.12.2015 के वास्तविक वेतन के आधार पर वेतन संशोधन किया जाना था।
2. दिनांक 31.12.2015 को कर्मचारी ₹10300/– (8350+1950 ग्रेड पे) वास्तविक वेतन के रूप में आहरित कर रहा था जो उक्त फैक्टर के साथ ₹26677/– बनता है। इसके आधार पर उनका वेतन पे मैट्रिक्स के लेवल 4 के सैल 10 में ₹26900/– के लिये संशोधित किया जाना अपेक्षित था।
3. परन्तु नगर निगम द्वारा श्री नेक मोहम्मद का दिनाँक 31.12.2015 का आहरित वेतन ₹10400/– लेकर पे मैट्रिक्स के लेवल 4 के सैल 11 में ₹27700/– के लिये संशोधित किया गया था।
4. इसके साथ ही श्री नेक मोहम्मद को 01.01.2016 से वेतन संशोधन का लाभ देते समय दिनांक 22.08.2016 को 9 वर्ष तथा 22.08.2021 को 14 वर्ष सेवाकाल पूर्ण करने पर ACPS का लाभ भी दिया गया है।

5. परन्तु सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि यह लाभ उन्हें संशोधन पूर्व के वेतनमान में कभी जारी ही नहीं किया गया था। इस योजना में उन्हें मात्र 22.08.2011 को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर ही लाभ दिया गया था।
6. इससे स्पष्ट है कि 9 तथा 14 वर्ष के लाभ को जारी करने के लिये नियमानुसार अपेक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुती तथा सक्षम प्राधिकारी का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं हुआ है।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त श्री नेक मोहम्मद के वेतन संशोधन आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं किया गया है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–92 दिनांक: 22/04/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्या: 1038/Audit Memo2023-25/MCH/2025 दिनाँक 11.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया है। चूंकि यह अधिक व अनियमित भुगतान वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया है जिसके बकाया का सम्पूर्ण वास्तविक भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अतः श्री नेक मोहम्मद के वेतन संशोधन आदेश में नियमानुसार आवश्यक संशोधन करके पहले से गणना किये गये बकाया भुगतान तथा उपरोक्त वर्णित वसूली का सम्मेलन करके ही वास्तविक बकाया राशि का भुगतान अथवा अधिक हुये भुगतान की वसूली की जाये। उपरोक्त अधिक व अनियमित भुगतान की गणना दिनाँक 31.03.2025 तक के लिये की गई है। इसके बाद के अनियमित भुगतान की गणना नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर करके कुल राशि की वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(14.2) तीन कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण करके दिये गये ₹5.27 लाख के अनुचित लाभ तथा अधिक भुगतान बारे।

नगर निगम में कार्यरत निम्न तालिका में वर्णित 3 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की अंकेक्षण जाँच में पाया गया है कि सन्दर्भित परिशिष्टों पर संलग्न विवरण अनुसार उनके गलत वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 20.11.2012 से 31.03.2025 तक ₹175639/– प्रत्येक की दर से कुल ₹526917/– का अधिक भुगतान वेतन व भत्तों के रूप में किया गया था।

क्रम	कर्मचारी कर नाम व पदनाम	प्रथम नियुक्ति की दिनांक	गलत वेतन निर्धारण की अवधि	वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान (₹)	सन्दर्भित परिशिष्ट
1	श्री राकेश कुमार, सफाई कर्मी	20.11.2008	20.11.2012 से 31.03.2025	**175639**	**परिशिष्ट "38 व 39"**
2	श्रीमति कुन्ता देवी, सेवादार	20.11.2008	20.11.2012 से 31.03.2025	**175639**	**परिशिष्ट "40 व 41"**
3	श्रीमति शामा देवी, सफाई कर्मी	20.11.2008	20.11.2012 से 31.03.2025	**175639**	**परिशिष्ट "42 व 43"**
	कुल अधिक भुगतान			**526917**	

उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई थी:–

1. क्रमाँक 1 से 3 पर वर्णित कर्मचारियों को वेतन पुर्नसंशोधन का लाभ जारी करते हुये दिनांक 01.10.2012 से उनकी ग्रेड पे ₹1300/– से बढ़ाकर ₹1650/– कर दी गई थी। इस ग्रेड पे संशोधन उपरान्त, हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin(PR)-B(7)-64/2010 दिनांक 26.02.2013 द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर इन कर्मचारियों को ACPS (4-9-14) के अनुसार 4 वर्ष के सेवाकाल पर वास्तविक रूप से कोई लाभ देय नहीं था।
2. वेतन संशोधन नियम, 2022 में इन कर्मचारियों द्वारा चुने गये 2.59 फैक्टर के विकल्प के आधार पर नियम 7 के अनुसार इनके वेतन का दिनांक 01.10.2012 से नोशनल आधार पर पुर्ननिर्धारण किया जाना था जिसमें वार्षिक वेतनवृद्धि के अतिरिक्त कोई लाभ देय नहीं था।
3. परन्तु नगर निगम द्वारा उपरोक्त दिनांक 26.02.2013 के निर्देशों की अवहेलना करते हुये इन कर्मचारियों का वेतन पुर्ननिर्धारण करते समय दिनांक 20.11.2012 को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर ACPS (4-9-14) के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा ₹1400/– ग्रेड पे का लाभ नोशनल आधार पर जारी किया गया है।
4. नोशनल वेतन निर्धारण में ACPS का अनियमित लाभ जारी किये जाने के कारण दिनांक 01.01.2016 के ₹8000/– के वेतन के साथ इन सभी का वेतन संशोधन पे मैट्रिक्स के लेवल 1 के सैल 6 में ₹20900/– के लिये किया था।

5. जबकि वास्तव में यह वेतन संशोधन (4 वर्ष के ACPS लाभ के बिना) ₹7660/– के अपेक्षित नोशनल वेतन के आधार पर पे मैट्रिक्स के लेवल 1 के सैल 6 में ₹20300/– के लिये किया जाना था।
6. इसके साथ ही इन कर्मचारियों को 01.01.2016 से वेतन संशोधन का लाभ देते समय दिनांक 20.11.2017 को 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर ACPS का लाभ भी दिया गया है।
7. परन्तु सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि यह लाभ उन्हें संशोधन पूर्व के वेतनमान में कभी जारी ही नही किया गया था।
8. इससे स्पष्ट है कि 9 वर्ष के ACPS लाभ को जारी करने के लिये नियमानुसार अपेक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुती तथा सक्षम प्राधिकारी का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं हुआ है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त इन सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं किया गया है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–93 दिनांकः 22/04/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर मे आयुक्त द्वारा पत्र संख्याः 1038/Audit Memo2023-25/MCH/2025 दिनाँक 11.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया है। चूंकि यह अधिक व अनियमित भुगतान वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया है जिसके बकाया का सम्पूर्ण वास्तविक भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अतः इन सभी के वेतन संशोधन आदेश में नियमानुसार आवश्यक संशोधन करके पहले से गणना किये गये बकाया भुगतान तथा उपरोक्त वर्णित वसूली का समामेलन करके ही वास्तविक बकाया राशि का भुगतान अथवा अधिक हुये भुगतान की वसूली की जाये। उपरोक्त अधिक व अनियमित भुगतान की गणना दिनाँक 31.03.2025 तक के लिये की गई है। इसके बाद के अनियमित भुगतान की गणना नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर करके कुल राशि की वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(14.3) ग्यारह कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण करके दिये गये ₹21.73 लाख के अनुचित लाभ तथा अधिक भुगतान बारे।

नगर निगम में कार्यरत निम्न तालिका में वर्णित 11 कर्मचारियों की सेवा पैंजिकाओं की अंकेक्षण जाँच में पाया गया है कि सन्दर्भित परिशिष्टों पर संलग्न विवरण अनुसार उनके गलत वेतन

निर्धारण के कारण वर्णित अवधि में वर्ष 2011 से लेकर 31.03.2025 तक कुल ₹2173394/– का अधिक भुगतान वेतन व भत्तों के रूप में किया गया था।

क्रम	कर्मचारी कर नाम व पदनाम	प्रथम नियुक्ति की दिनांक	गलत वेतन निर्धारण की अवधि	वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान (₹)	सन्दर्भित परिशिष्ट
1	श्री संजीव कुमार पुत्र प्रेम लाल, बेलदार	26.07.2007	26.07.2011 से 31.03.2025	**199765**	**परिशिष्ट "44 व 45"**
2	श्री बुधू राम, सफाई कर्मी	26.07.2007	26.07.2011 से 31.03.2025	**199765**	**परिशिष्ट "46 व 47"**
3	श्री राजकुमार, सफाई कर्मी	27.07.2007	27.07.2011 से 31.03.2025	**199666**	**परिशिष्ट "48 व 49"**
4	श्री सुरेश कुमार, बेलदार	26.07.2007	26.07.2011 से 31.03.2025	**199765**	**परिशिष्ट "50 व 51"**
5	श्री रन्जीत सिंह, बेलदार	23.08.2007	23.08.2011 से 31.03.2025	**196557**	**परिशिष्ट "52 व 53"**
6	श्री सत्त पॉल, बेलदार	21.08.2007	21.08.2011 से 31.03.2025	**196754**	**परिशिष्ट "54 व 55"**
7	श्री संजीव कुमार पुत्र मिल्खी राम, बेलदार	22.08.2007	22.08.2011 से 31.03.2025	**196655**	**परिशिष्ट "56 व 57"**
8	श्री सुनील कुमार, बेलदार	22.08.2007	22.08.2011 से 31.03.2025	**196655**	**परिशिष्ट "58 व 59"**
9	श्री विजय कुमार, बेलदार	22.08.2007	22.08.2011 से 31.03.2025	**196655**	**परिशिष्ट "60 व 61"**
10	श्री दीप कुमार, बेलदार	22.08.2007	22.08.2011 से 31.03.2025	**196655**	**परिशिष्ट "62 व 63"**
11	श्री नरेश कुमार, बेलदार	12.09.2007	12.09.2011 से 31.03.2025	**194502**	**परिशिष्ट "64 व 65"**
कुल अधिक भुगतान				**2173394**	

उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई थी–

1. इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2007 में होने के कारण वर्ष 2011 में 4 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात इन्हें ACPS (4-9-14) का लाभ जारी करते समय ₹4900–10680 के पे बैण्ड में एक वेतनवृद्धि के साथ ₹1400/– की ग्रेड पे दी जानी अपेक्षित थी। परन्तु इसके स्थान पर इन्हें निर्धारित दिनांक से ₹1650/– की ग्रेड पे का लाभ दिया गया था। इस गलत वेतन निर्धारण का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।
2. इसके साथ ही इन कर्मचारियों को 01.01.2016 से वेतन संशोधन का लाभ देते समय वर्ष 2016 में 9 वर्ष के सेवाकाल तथा वर्ष 2021 में 14 वर्ष के सेवाकाल पूर्ण करने पर ACPS का लाभ भी दिया गया है।
3. परन्तु सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि यह लाभ उन्हें संशोधन पूर्व के वेतनमान में कभी जारी ही नही किया गया था।
4. इससे स्पष्ट है कि 9 तथा 14 वर्ष के ACPS लाभ को जारी करने के लिये नियमानुसार अपेक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुती तथा सक्षम प्राधिकारी का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं हुआ है।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त इन सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं किया गया है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–94 दिनांक: 22/04/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्या: 1038/Audit Memo2023-25/MCH/2025 दिनॉक 11.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया है। उपरोक्त अधिक व अनियमित भुगतान की गणना दिनॉक 31.03.2025 तक के लिये की गई है। इसके बाद के अनियमित भुगतान की गणना नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर करके कुल राशि की वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(14.4) छः कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण करके दिये गये ₹16.55 लाख के अनुचित लाभ तथा अधिक भुगतान बारे।

नगर निगम में कार्यरत निम्न तालिका में वर्णित 6 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की अंकेक्षण जॉच में पाया गया है कि सन्दर्भित परिशिष्टों पर संलग्न विवरण अनुसार उनके गलत वेतन निर्धारण

के कारण दिनाँक 01.01.2016 से 31.03.2025 तक कुल ₹1654722/– का अधिक भुगतान वेतन व भत्तों के रूप में किया गया था।

क्रम	कर्मचारी कर नाम व पदनाम	प्रथम नियुक्ति की दिनांक	गलत वेतन निर्धारण की अवधि	वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान (₹)	सन्दर्भित परिशिष्ट
1	श्री कमलजीत, सफाई कर्मी	01.01.1998	01.01.2016 से 31.03.2025	**280188**	परिशिष्ट "66 व 67"
2	श्री राम लाल, सफाई कर्मी	01.01.1998	01.01.2016 से 31.03.2025	**280188**	परिशिष्ट "68 व 69"
3	श्री बलवन्त, सफाई कर्मी	01.04.1998	01.01.2016 से 31.03.2025	**277950**	परिशिष्ट "70 व 71"
4	श्री गुरदाश, सफाई कर्मी	01.04.1998	01.01.2016 से 31.03.2025	**277950**	परिशिष्ट "72 व 73"
5	श्री रवी कुमार, सफाई कर्मी	01.04.1999	01.01.2016 से 31.03.2025	**269223**	परिशिष्ट "74 व 75"
6	श्री पवन कुमार, सफाई कर्मी	01.04.1999	01.01.2016 से 31.03.2025	**269223**	परिशिष्ट "76 व 77"
			कुल अधिक भुगतान	**1654722**	

उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई थीं:–

1. इन कर्मचारियों को 01.01.2016 से वेतन संशोधन का लाभ देते समय प्रथम चार को वर्ष 2012 तथा शेष दो को 2013 में 14 वर्ष के सेवाकाल पूर्ण करने पर ACPS का लाभ दिया गया है।
2. परन्तु सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि यह लाभ उन्हें संशोधन पूर्व के वेतनमान में कभी जारी ही नही किया गया था।
3. इससे स्पष्ट है कि 14 वर्ष के ACPS लाभ को जारी करने के लिये नियमानुसार अपेक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुती तथा सक्षम प्राधिकारी का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं हुआ है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त इन सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं किया गया है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–95 दिनांक: 22/04/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्या: 1038/Audit Memo2023-25/MCH/2025 दिनाँक 11.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया है। उपरोक्त अधिक व अनियमित भुगतान की गणना दिनाँक 31.03.2025 तक के लिये की गई है। इसके बाद के अनियमित भुगतान की गणना नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर करके कुल राशि की वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(14.5) श्री तिलक राज, सफाई कर्मी के वेतन निर्धारण तथा सेवापंजिका में पाई गई अनियमितताओं के बारे में।

नगर निगम में कार्यरत श्री तिलक राज, सफाई कर्मी की सेवा पँजिका की अंकेक्षण जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. सेवा पंजिका के खण्ड 1 के पृष्ठ 4–5 पर दर्ज विवरण के अनुसार श्री तिलक राज ने नियुक्ति उपरान्त 22.08.1986 को कार्यग्रहण किया था।
2. परन्तु सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि पृष्ठ 10–11 पर दिनांक 01.01.1986 से लागू वेतन संशोधन का लाभ जारी करते समय उनका वेतन निर्धारण 01.09.1986 से किया गया था।
3. तत्पश्चात उनकी वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक स्थाई रूप से 1 सितम्बर कर दी गई है। परन्तु इस परिवर्तन से सम्बन्धित कोई टिप्पणी सेवा पंजिका में दर्ज नहीं है।
4. श्री तिलक राज को 22.08.1994 को 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रथम प्रवीणता वेतनवृद्धि (First Proficiency Step Up) का लाभ जारी किया जाना था जोकि नहीं दिया गया है।
5. इसी प्रकार दिनांक 22.08.2002 को 16 वर्ष के कार्यकाल पश्चात ACPS लाभ दिया जाना था जोकि नहीं दिया गया है।
6. दिनांक 27.08.2009 से उनके वेतन का पुनर्निधारण नई ACPS (4-9-14) के प्रावधानों के अनुसार इन तीनों लाभों के साथ किया जाना अपेक्षित था परन्तु यह नहीं किया गया है।
7. दिनांक 01.09.2019 से उनकी ग्रेड पे को बिना किसी टिप्पणी अथवा आदेश के ₹1650 से बढ़ाकर ₹1900/– कर दिया गया था।

8. उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है कि श्री तिलक राज का वेतन निर्धारण नियुक्ति की दिनांक से ही अनियमित किया गया है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–96 दिनांक: 22/04/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्या: 1038/Audit Memo2023-25/MCH/2025 दिनाँक 11.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया है। अतः इस सन्दर्भ में यथाशीघ्र अनुपालना सुनिश्चित करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(14.6) अवकाश खातों में गलत गणना करके कर्मचारियों को दिये गये अनुचित लाभ बारे।

नगर निगम में कार्यरत निम्न तालिका में वर्णित कर्मचारियों की सेवा पँजिकाओं में अवकाश खातों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया है कि गलत गणना करके अवकाश का अन्तशेष बढ़ाकर इन्हें अनुचित लाभ दिया गया था।

क्रम संख्या	कर्मचारी कर नाम व पदनाम	अन्तिम प्रविष्टि की अवधि/ दिनाँक	दर्शाया गया शेष (दिन)	वास्तविक शेष (दिन)	अधिक अवकाश का अनुचित लाभ (दिन)
1	श्री जगन नाथ, चालक	01.01.2025 से 30.06.2025	270	238	32
2	श्री शमशेर सिंह, बेलदार	01.01.2025 से 30.06.2025	232	165	67
3	श्री बलवन्त कुमार, बेलदार	01.01.2025 से 30.06.2025	311	279	32

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–91 दिनांक: 22/04/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्या: 1038/Audit Memo2023-25/MCH/2025 दिनाँक 11.07.2025 द्वारा की गई अनुपालना से अवगत करवाने पर वर्तमान अंकेक्षण में इसका सत्यापन कर लिया गया। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

(14.7) नगर निगम कर्मचारियों के वेतन से अवधि 04/2023 से 03/2025 के बीच प्रावधानानुसार वैधानिक कटौतियाँ न करना

नगर निगम के अवधि 04/2023 से 03/2025 के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत वेतन भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन से सरकार द्वारा प्रावधित निम्नलिखित वैधानिक कटौतियाँ नहीं की गई थीः–

1. सामूहिक बीमा योजना अंशदान (Group Insurance Scheme Premium) की कटौती कुल 33 स्थाई कर्मचारियों में से केवल पाँच सफाई कर्मचारियों के वेतन से ही की जा रही है। शेष 28 में से किसी भी स्थाई कर्मचारी के वेतन से यह कटौती नहीं की गई है।
2. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 के नवम्बर माह से सभी स्थाई, अस्थाई, अनुबन्धित, दिहाड़ीदार, अंशकालिक आदि सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आरम्भ की थी। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन–आई एफ–(एफ)/9–5/2012 दिनाँक 10.11.2023 के अनुसार उक्त सभी कर्मचारियों के माह 11/2023 के वेतन से ₹200/– प्रीमियम प्रतिवर्ष काटा जाना था। परन्तु अवधि 04/2023 से 03/2025 के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन से सरकार द्वारा प्रावधित यह वैधानिक कटौती नहीं की गई है।
3. नगर निगम द्वारा अपने स्थाई कर्मचारियों को वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ माह जनवरी 2016 से जारी करके जनवरी 2022 से इसका नकद भुगतान किया जा रहा है। परन्तु पैन्शन निधि में 12% तथा ग्रैच्यूटी निधि में 5% की दर से अन्तरित किया जाने वाला नियोक्ता अंशदान माह 11/2023 तक वेतन संशोधन नियम–2009 के वैतनमान/पै–बैण्ड के अधिकतम स्तर के आधार पर ही किया गया था जोकि तर्कसंगत नहीं है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/रा•ले•प•–शिमला/अंके. अधि. /2025/–107 दिनांकः 09/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा द्वारा पत्र संख्याः 884/Audit Memo 2023-25/MCH/2025 दिनाँक 03.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.8) नगर परिषद/निगम कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की देयता बारे।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या FIN(C)B(7)1/2012 दिनाँक 28.02.2012 के अनुसार नगर परिषद/निगम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी जो मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उनसे प्रतिवर्ष विहित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा जिनके पति अथवा पत्नी सरकारी/ अर्धसरकारी/ बोर्ड/ कॉरपोरेशन/स्वायत संस्थानों आदि में सेवारत हैं उनसे मकान किराया भत्ता से सम्बन्धित "संयुक्त घोषणा पत्र" जोकि उस पति/पत्नी के आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, को प्राप्त करना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में इस प्रकार कोई प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र उपलब्ध नही पाया गया था। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण

प्रतिवेदन के अनुच्छेद 17(ख) में आपत्ति उठाये जाने पर भी अभी तक अनुपालना नहीं की गई थी। इस विसंगति के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–116 दिनांकः 19/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्याः 1038/Audit Memo2023-25/MCH/2025 दिनाँक 11.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.9) नगर परिषद/निगम कर्मचारियों को अलग–अलग दर से चिकित्सा भत्ते का भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 04/2023 से 03/2025 में नगर परिषद/निगम के सभी कर्मचारियों को ₹350/– की मासिक दर से चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया गया था परन्तु श्री सुशील कुमार, चालक को यह भुगतान ₹400/– की मासिक दर से किया गया था। इस विसंगति के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–114 दिनांकः 17/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्याः 884/Audit Memo 2023-25/MCH/2025 दिनाँक 03.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.10) नगर परिषद/निगम कर्मचारियों को उनकी सेवापंजी में दर्ज मूल वेतन से कम अथवा अधिक मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान करना

व्यय अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/2024 में भुगतान किये गये 01/2024 के वेतन बिलों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित कर्मचारियों को उनकी सेवापंजी में दर्ज मूल वेतन से कम अथवा अधिक मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान किया गया था। इस विसंगति के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–114 दिनांकः 17/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा द्वारा पत्र संख्याः 884/Audit Memo 2023-25/MCH/2025 दिनाँक 03.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वास्तव में भुगतान किया गया मूल वेतन (₹)	सेवा पंजिका में दर्ज मूल वेतन (₹)	अन्तर (₹)	टिप्पणी
1	जगन नाथ, चालक	28840	28800	40	अधिक भुगतान
2	विजय कुमार, चालक	28840	28800	40	अधिक भुगतान
3	बाबू राम, बेलदार	38625	38600	25	अधिक भुगतान
4	सुरेश कुमार, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
5	संजीव कुमार, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
6	नेक मोहम्मद, मिस्त्री	35440	37400	1960	कम भुगतान
7	सुनील कुमार, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
8	संजीव कुमार, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
9	रणजीत सिंह, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
10	दीप कुमार, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
11	विजय कुमार, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
12	सतपाल, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
13	नरेश कुमार, बेलदार	29570	29600	30	कम भुगतान
14	बुधु राम, सफाई कर्मी	29570	29600	30	कम भुगतान
15	राजकुमार, सफाई कर्मी	29570	29600	30	कम भुगतान
16	शमा देवी, सफाई कर्मी	27170	27200	30	कम भुगतान
17	राकेश कुमार, सफाई कर्मी	27170	27200	30	कम भुगतान
18	कुंता देवी, सेवादार	27170	27200	30	कम भुगतान
19	शमशेर सिंह, बेलदार	22150	22100	50	अधिक भुगतान
20	निर्मला देवी, बेलदार	22150	22100	50	अधिक भुगतान
21	राजेश कुमार, सफाई कर्मी	22150	22100	50	अधिक भुगतान
22	तिलक राज, सफाई कर्मी	47490	48900	1410	कम भुगतान

23	पवन कुमार, सफाई कर्मी	39760	39800	40	कम भुगतान
24	बलदेव सिंह, सफाई कर्मी	39760	39800	40	कम भुगतान
25	रवि कुमार, सफाई कर्मी	39760	39800	40	कम भुगतान

(14.11) नगर निगम के पेंशन भुगतान बिलों में पाई गई अनियमितताओं बारे।

नगर निगम के अवधि 04/2023 से 03/2025 के पेंशन भुगतान बिलों के अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई थीं।

1. **कम पेंशन भुगतान करनाः–** अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाये गये पेंशन भुगतान बिलों की जाँच में पाया गया कि अतिरिक्त पेंशन तथा पेंशन भत्ता लाभ की गलत गणना अथवा गणना नही करने के कारण **परिशिष्ट "78"** पर संलग्न विवरणानुसार माह 02/2025 देय 03/2025 में ₹8996/– का कम भुगतान किया गया था। यह कम भुगतान समस्त अंकेक्षणावधि के प्रत्येक माह में अलग–अलग दर से किया गया था।
2. **पारिवारिक पेंशन के साथ महँगाई राहत का भुगतान न करनाः–** श्रीमति बिमला देवी को उनके स्वर्गीय पति चेत राम, सेवानिवृत सफाई कर्मी तथा श्रीमति बिमलेश कुमारी को उनके स्वर्गीय पति लक्ष्मी दास, सेवानिवृत सफाई कर्मी की मृत्यु पश्चात ₹3500/– की मासिक दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। परन्तु इसके साथ नियमानुसार देय महँगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया था।
3. **अतिरिक्त पेंशन तथा पेंशन भत्ते का लाभ जारी नहीं किया जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापन संख्याः No. Fin(Pen)A(3)-1/09-Part-I dated 14.10.2009 के नियम 5.7 के प्रावधानानुसार सभी पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों को 80, 85, 90, 95 तथा 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% तथा 100% की दर से अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार ज्ञापन संख्याः No. Fin(Pen)A(3)-1/09- dated 23.04.2014 के अनुच्छेद 1 के प्रावधानानुसार सभी पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों को 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से पेंशन भत्ते का लाभ दिया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाये गये विवरणानुसार दिनाँक 31. 03.2025 को कुल 29 पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों में से 1 दावेदार 81 वर्ष से अधिक आयु

पूर्ण कर चुके थे। इसी प्रकार 15 दावेदार 65 से लेकर 80 वर्ष तक की आयु सीमा में आते हैं जबकि एक पारिवारिक पेंशन भोगी की जन्म तिथि उपलब्ध न होने के कारण आयु की जानकारी नहीं थी। परन्तु नगर निगम द्वारा किसी भी पात्र पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगी को उपरोक्त वर्णित लाभ पात्रता अनुसार जारी नहीं किये गये थे।

4. **पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र वाँछितः–** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष जुलाई माह में पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है जिसके अभाव में अगस्त माह से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही पेंशन भुगतान रोक दिया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर निगम द्वारा वर्ष 2023–24 व 2024–25 में पेंशन भुगतान के अभिलेख के अवलोकन पर उक्त जीवन प्रमाण पत्र अनुपलब्ध पाये गये थे।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/रा•ले•प•–शिमला/अंके. अधि. /2025/–97 दिनांकः 13/05/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्याः 1038/Audit Memo2023-25/MCH/2025 दिनाँक 11.07.2025 द्वारा सूचित किया कि माह 06/2025 से क्रमाँक 1 व 2 पर दर्ज त्रुटि का सुधार कर लिया गया है परन्तु इससे पूर्व की अवधि के लिये अभी तक अनुपालना शेष है। इसके अतिरिक्त क्रमाँक 3 व 4 के बारे में शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया है। अतः इस सन्दर्भ में यथाशीघ्र अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

15. व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ:–

(15.1) नगर निगम द्वारा किये गये कचरा प्रबन्धन एवँ निस्तारण पर किये गये ₹564.07 लाख के व्यय में पाई गई अनियमितताओं के बारे में।

आयुक्त नगर निगम के कार्यालय पत्र संख्याः एम सी एच/–477 दिनाँक 03.06.2025 **(परिशिष्ट–79 से 81)** द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा कचरा प्रबन्धन एवँ निस्तारण से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. **वर्ष 2024–25 में मै. सनटैन लाईफ को ₹12.59 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करनाः–** प्रस्तुत सूचना के आधार पर **परिशिष्ट–79** पर संकलित विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2024–25 में कुल 3994.742 मीट्रिक टन कचरे का उत्सर्जन हुआ जिसमें से 3247. 446 का निस्तारण मै. सनटैन लाईफ कम्पनी द्वारा किया गया था। कम्पनी के साथ किये गये कचरा निस्तारण अनुबन्ध के अनुसार कम्पनी को निस्तारित **(Processed)** कचरे के लिये

₹1662/– प्रति मीट्रिक टन की दर से **₹53,97,255/–** भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसके स्थान कुल उत्सर्जित (Generated) कचरे की मात्रा के लिये ₹66,56,518/– का भुगतान किया गया था। इस प्रकार कम्पनी को ₹12,59,263/– का अधिक व अनियमित/संदिग्ध भुगतान करके अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

2. **कचरा प्रबन्धन एवँ निस्तारण के कार्य को संदिग्ध रूप से तीन अलग भागों में बांटकर वर्ष 2023–24 की तुलना में 2024–25 में कचरा प्रबन्धन एवँ निस्तारण व्यय में ₹127.85 लाख की आधारहीन वृद्धि करना:–** नगर निगम द्वारा वर्ष 2023–24 में कचरा प्रबन्धन एवँ निस्तारण पर ₹2,18,11,148/– का व्यय किया गया था जबकि 2024–25 में यही व्यय 59% बढ़कर ₹3,45,95,891/– हो गया था। यह वृद्धि किस कारण से हुई है इसका प्रत्यक्ष औचित्य स्पष्ट करने वाला कोई अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। परन्तु प्रस्तुत सूचना के आधार पर **परिशिष्ट–80** पर संकलित विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 में जहाँ कचरा संग्रहण, ढुलान तथा निस्तारण तीनो कार्य ₹18,03,371/– प्रतिमास की निर्धारित दर से कुल ₹218.11 लाख मे किये गये थे वहीं वर्ष 2024–25 में इन तीनों कार्यों को तीन अलग–अलग संस्थाओं में बांटकर कुल व्यय में अनावश्यक एवँ संदिग्ध रूप से ₹1,27,84,743/– की वृद्धि करते हुये कुल ₹345.96 लाख मे निष्पादित करवाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य का यह संदिग्ध बंटवारा जानबूझ कर व्यय में अनावश्यक वृद्धि करके किसी व्यक्ति/संस्था विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ही किया गया था।

3. **वर्ष 2023–24 की तुलना में 2024–25 में कचरा उत्सर्जन की मात्रा में अप्रत्याशित रूप से लगभग दोगुनी वृद्धि:–**

प्रस्तुत सूचना के आधार पर **परिशिष्ट–81** पर संकलित विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 में जहाँ 6.4 मीट्रिक टन प्रतिदिन की स्थाई दर से 2336 मीट्रिक टन कचरा उत्सर्जन हुआ था वहीं 2024–25 मे यह मात्रा बढ़कर 11.821 मीट्रिक टन प्रतिदिन की औसत दर से 4314.742 मीट्रिक टन पर पहुँच गई। कचरा उत्सर्जन की दैनिक मात्रा में यह लगभग दोगुनी अप्रत्याशित वृद्धि अत्याधिक संदिग्ध तथा अविश्वसनीय प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023–24 में सारा साल 6.4 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा उत्सर्जन की स्थाई दर भी अत्याधिक संदेहास्पद प्रतीत होती है।

4. वर्ष 2024–25 में उत्सर्जित कचरे के वजन का सत्यापन नगर निगम द्वारा न किया जाना:–

दिनाँक 20.05.2024 से मै. सनटैन लाईफ कम्पनी द्वारा कचरा निस्तारण का कार्य आरम्भ किये जाने से उनके द्वारा ही उत्सर्जित कचरे का वजन किया गया है जिसकी वजन पर्चियाँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गईं। परन्तु प्रतीत होता है कि यह कार्य कम्पनी के भरोसे पर ही पूरी तरह छोड़ दिया गया है क्योंकि यह वजन नगर निगम के किसी कर्मचारी/अधिकारी की उपस्थिति में हुआ हो ऐसा कोई अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किया गया था और इस सत्यापन के अभाव में यह मात्रा संदिग्ध प्रतीत होती है क्योकि जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है कि वर्ष 2023–24 की तुलना में 2024–25 में कचरा उत्सर्जन की दैनिक मात्रा में अप्रत्याशित रूप से लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है और मै॰ सनटैन लाईफ कम्पनी को भुगतान उत्सर्जित एवँ निस्तारित कचरा मात्रा के आधार पर किया जाना निर्धारित है।

5. **वर्ष 2023–24 में उत्सर्जित कचरे के वजन के सत्यापन हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध न होना:–** अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया है कि वर्ष 2023–24 में उत्सर्जित कचरे की मात्रा का वास्तविक वजन करने के स्थान पर प्रतीत होता है कि मात्र खानापूर्ती के उद्देश्य से 6.4 मीट्रिक टन प्रतिदिन की स्थाई दर से इसकी अनुमानित मात्रा ही अभिलेख में दर्ज की गई है क्योंकि इसके वजन के सत्यापन हेतु किसी प्रकार का अभिलेख अथवा वजन पर्चियाँ आदि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

6. **कचरा ढुलान हेतु प्रस्तुत संविदा के साथ व्यावसायिक यात्री वाहनों Motor Cab (Light Passanger Vehicle) के पंजीकरण, बीमा तथा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुये अवैध तरीके से कार्य पाना तथा वास्तव में ढुलान हेतु अन्य वाहनों का प्रयोग किया जाना:–** वर्ष 2024–25 में कचरा ढुलान के लिये ₹45000/– प्रत्येक की मासिक दर से 14 वाहन उपलब्ध करवाये जाने का अनुबन्ध श्री किशोरी लाल शर्मा के साथ किया गया था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि यह ढुलान जिन 14 वाहनों में किया जाना प्रस्तावित था उनका पंजीकरण, बीमा तथा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र संविदा पत्र (Tender Documents) के साथ संलग्न किये गये थे। परन्तु जब इन वाहनों की पंजीकरण संख्या की भारत सरकार के परिवहन विभाग की वैबसाईट से जाँच की गई तो आश्चर्यजनक रूप से यह सभी वाहन मोटर कैब (एल. पी.वी.) [Motor Cab (LPV)] के रूप में पंजीकृत पाये गये हैं और यह तो सामान्य ज्ञान की बात है कि एल.पी.वी. का अर्थ लाईट पैसेंजर व्हीकल होता है। इससे स्पष्ट है कि इस संविदाकार

विशेष को अनुचित लाभ देने तथा अन्य संविदाकारों की तुलना में इसे अवैधानिक तरीके से वरीयता देने के उद्देश्य से ही उसके व्यावसायिक यात्री वाहनों के पंजीकरण, बीमा तथा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र संविदा के साथ स्वीकार किये गये हैं।

चूंकि यात्री वाहनों में कचरे का ढुलान सम्भव नहीं था इसीलिये जब ढुलान करने वाले वास्तविक वाहनों की जाँच कचरे की वजन पर्चियों से की गई तो पाया गया कि वास्तव में प्रस्तावित वाहनों के स्थान पर संदिग्ध रूप से निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार अन्य वाहनों का प्रयोग किया गया था। परन्तु इन वजन पर्चियों पर दर्ज वाहन संख्या भी जानबूझकर अधूरी दर्ज की गई है जो अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य इस सारी प्रक्रिया में किसी गम्भीर संदिग्धता की ओर इंगित करते हैं तथा अंकेक्षण का सुझाव है इसकी गहन विभागीय जाँच करवाई जाए व वस्तुस्थिति व वास्तविक स्थिति सामने लायी जाये और अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाये।

क्रम	संविदा के साथ दिये वाहनों का विवरण	कचरे की वजन पर्ची के अनुसार वास्तव में प्रयोग किये गये वाहनों का विवरण
1	HP01U0621	HP 4214 D
2	HP01U0618	HP 4630 E
3	HP01U0615	HP 4629 E
4	HP01U0612	HP 4217 D
5	HP01U0609	HP 4221 D
6	HP01U0607	HP 4213 D
7	HP01U0602	HP 4216 D
8	HP01U0596	HP 4215 D
9	HP01U0593	HP 4218 D
10	HP01U0605	HP 4210 D
11	HP01U0734	HP 4224 D
12	HP01U0745	HP 4212 D
13	HP01U0746	HP 4627 E
14	HP01U0736	HP 4631 E

7. **कचरा निस्तारण उपरान्त उत्पादित खाद का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जाना:–** वैज्ञानिक विधि से कचरा निस्तारण उपरान्त बायोडीग्रेडेबल कचरे से खाद का उत्पादन किया जाना अपेक्षित है परन्तु इन दो वर्षों में इस खाद के उत्पादन तथा बिक्री से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।
8. **एकल उपयोग प्लास्टिक खरीद योजना के अन्तर्गत कोई खरीद न करना:–** अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत सूचना के अवलोकन पर पाया गया है कि वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में एकल उपयोग प्लास्टिक खरीद योजना के अन्तर्गत कोई खरीद नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–112 दिनांक: 13/06/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नही हुआ था। अतः इन अनियमितताओं के बारे में विस्तृत विभागीय जाँच करके अपेक्षित अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(15.2) दैनिक भत्ते की गलत गणना के कारण यात्रा भत्ता दावे में ₹1092/– का अधिक व अनियमित भुगतान।

स्वच्छ भारत मिशन निधि – एकल नोडल खाता से किये गये व्यय के अंकेक्षण में पाया गया कि श्री अंकित शर्मा, समन्वयक (स्वच्छ भारत मिशन) को वर्ष 2023 के माह अप्रैल से जून के यात्रा भत्ता दावों का भुगतान करते समय निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार **₹1092/–** का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–101 दिनांक: 24/05/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा द्वारा पत्र संख्या: MCH/478 दिनाँक 03.06.2025 द्वारा सूचित किया कि इस राशि की वसूली रसीद संख्या 698/49 दिनांक 31.05.2025 द्वारा कर ली गई है जिसका सत्यापन अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया। अतः भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रम	दिनाँक/अवधि	दावा की गई दैनिक भत्ता राशि (₹)	वास्तविक दैनिक भत्ता राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	11.04.23 व 12.04.23	478.00	400.00	78.00
2	17.04.23 व 18.04.23	644.00	566.00	78.00

3	20.04.2023	190.00	151.00	39.00
4	09.02.23 व 10.02.23	644.00	566.00	78.00
5	31.01.23 व 02.02.23	434.00	356.00	78.00
6	09.01.23 व 06.02.23	468.00	390.00	78.00
7	09.05.23 व 11.05.23	540.00	462.00	78.00
8	02.05.23 व 08.05.23	696.00	618.00	78.00
9	12.05.2023	190.00	151.00	39.00
10	03.03.23 व 04.03.23	486.00	408.00	78.00
11	07.03.23 व 09.03.23	584.00	506.00	78.00
12	02.03.2023	244.00	205.00	39.00
13	10.05.23 व 24.05.23	472.00	394.00	78.00
14	16.06.2023	234.00	195.00	39.00
15	21.06.23 व 22.06.23	434.00	356.00	78.00
16	05.06.23 व 06.06.23	644.00	566.00	78.00
	कुल योग	**7,382.00**	**6,290.00**	**1,092.00**

(15.3) कचरा ढुलाई के लिये ₹19250/– के अनियमित व संदिग्ध भुगतान करने बारे।

माह 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि श्री गौरव कुमार सफाई ठेकेदार को वाउचर संख्या 1868 दिनांक 12.02.2024 द्वारा ₹19,250/– का एक विशेष भुगतान किया गया था जोकि कृष्णा अस्पताल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट प्लान्ट दंगनेड़ी तक 01.12.2023 तथा माह 01/2024 में गाड़ी द्वारा कचरा ढुलाई करते हुये 22 चक्करों के लिये ₹875/– प्रत्येक की दर से किया गया था। परन्तु प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त ठेकेदार को नगर परिषद के पत्र संख्या: MCH/Sanitation Tender/2023 dated 16.05.2023 द्वारा वार्ड 6 व 9 से कचरा संग्रहण, ढुलाई तथा निस्तारण हेतु ₹2,70,349/– की मासिक दर पर अनुबन्धित किया गया था। इस अनुबन्ध, जिसमें पहले ही कचरा ढुलाई का प्रावधान है, के दृष्टिगत उक्त ₹19,250/– का भुगतान न केवल अनियमित परन्तु संदिग्ध भी प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–114 दिनांक: 17/06/2025 द्वारा

मूल अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस प्रकरण की नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक जाँच करके अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई तथा यथाशीघ्र इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(15.4) सफाई कार्य के लिये पाँच अलग–अलग बिलों द्वारा ₹1.69 लाख के अनियमित व संदिग्ध भुगतान करने बारे।

नगर परिषद/निगम हमीरपुर द्वारा वर्ष 2023–24 में अपने 11 वार्डों में सफाई व्यवस्था हेतु 10 अलग–अलग ठेकेदारों को कुल ₹18,03,371/– की मासिक राशि के लिये अनुबन्धित किया गया था। अनुबन्ध पत्रों की शर्त संख्या 16 के अनुसार "शहर में स्थित सभी गलियों, नालियों, नालों आदि की सफाई ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी इसके अतिरिक्त झाड़ियों व पौधों की काटछाँट भी ठेकेदार को करनी होगी"। माह 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित चार अलग–अलग बिलों द्वारा श्री विनोद कुमार को इन्हीं कामों के लिये ₹1,69,000/– का विशेष भुगतान किया गया था। जब 10 ठेकेदार इस काम हेतु विशेष रूप से अनुबन्धित हैं तो श्री विनोद कुमार अलग से यह विशेष भुगतान अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–114 दिनांक: 17/06/2025 द्वारा मूल अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस प्रकरण की नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक जाँच करके अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई तथा यथाशीघ्र इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

Sr	Name of work	Award Letter No.& Date	W.No.	Awarded Amount(₹)
1	Removal of unwanted waste material after levelling of earth and trimming of plants, cutting of bushes by engaging labour and vehicle in adm. Residence of SDM and ADC.	MCH/NIQ/CIVIL Work/2023-2024-92 dated 10.01.2024	07	40900
2	Cutting and trenching of bushes, tree branches and trimming of plants,revoving of unwanted earth and laying of clean earth to raise the bed of plants etc.,	MCH/NIQ/CIVIL Work/2023-2024-91 dated 10.01.2024	07	32000

	levelling of bed and removing through vehicle the all waste/residual material and dispose the same at dumping/appro site in park & parking			
3	Cutting and trenching of bushes, tree branches and trimming of plants, removing of unwanted earth and laying of clean earth to raise the bed of plants etc., levelling of bed and removing through vehicle the all waste/residual material and dispose the same at dumping/appro site in (near Pucca Bhro)	MCH/NIQ/CIVIL Work/2023-2024-106 dated 17.1.24	01	25600
4	Cutting and trenching of bushes, tree branches and trimming of plants, removing of unwanted earth and laying of clean earth to raise the bed of plants etc., levelling of bed and removing through vehicle the all waste/residual material and dispose the same at dumping/appro site in park and parking	MCH/NIQ/CIVIL Work/2023-2024-90 dated 10.01.2024	02	70500
		Total		**169000**

(15.5) नगर परिषद/निगम के बिजली बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा माँग की गई "गत बकाया राशि" (Normal Arrears) के लिये ₹0.56 लाख का भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया कि चयनित माह 02/2024 तथा 10/2024 में नगर परिषद/निगम द्वारा बिजली खपत के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को कुल ₹5,60,916/– का भुगतान किया गया था जिसमें ₹5,05,025/– वर्तमान खपत (Current Charges) तथा ₹55,891/– गत बकाया (Normal Arrears) के लिये किया गया। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद/निगम द्वारा बिजली बिलों का भुगतान निरन्तर यथासमय किया जा रहा था इसके पश्चात भी विद्युत परिषद द्वारा गत बकाया राशि की माँग की गई, जिसकी किसी भी प्रकार की जाँच अथवा वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाये बिना ही भुगतान कर दिया गया है। नमूना अँकेक्षण जाँच हेतु चयनित माह 02/2024 तथा 10/2024 में पाये गये ऐसे भुगतानों में गत बकाया राशि के लिये किये गये ₹55,891/– के भुगतान का विवरण **परिशिष्ट "82"** पर संलग्न तालिका में दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–114 दिनांक: 17/06/2025 द्वारा मूल अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके

प्रत्युत्तर में आयुक्त द्वारा पत्र संख्या: 884/Audit Memo 2023-25/MCH/2025 दिनाँक 03.07.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16. निर्माण कार्यों में व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ:

(16.1) नगर परिषद/निगम द्वारा बिना बजट प्रावधान तथा समुचित निधि के ₹1151.01 लाख के निर्माण कार्यों के टेन्डर जारी करके आबंटित करना।

नगर परिषद/निगम के अवधि 04/2023 से 03/2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत निर्माण कार्यों के अभिलेख **(परिशिष्ट "83")** की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद/निगम द्वारा इस अवधि में बिना बजट प्रावधान तथा समुचित निधि के 197 निर्माण कार्यों के टैन्डर जारी करके आबंटित किया गया था जिनमें से निष्पादित किये गये अथवा निष्पादन हेतु शेष कार्यों के लिये 31.03.2025 तक ₹11,51,01,900/– का दायित्व शेष था। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम	**विवरण**	**निर्माण कार्यों की संख्या**	**कुल आबंटन राशि (₹)**
1	ऐसे कार्य जिनका निष्पादन पूर्ण होने पर मापन पुस्तिका में तो दर्ज कर लिया गया है परन्तु अभी तक भुगतान नहीं हुआ था।	8	2629216
2	ऐसे कार्य जिनका निष्पादन पूर्ण हो चुका परन्तु अभी तक न तो मापन पुस्तिका में दर्ज किये गये हैं और न ही भुगतान हुआ था।	90	52517023
3	ऐसे कार्य जिनका निष्पादन अभी तक आरम्भ नहीं किया गया था।	99	59955661
	कुल योग	**197**	**115101900**

जबकि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नगर निगम की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2025 को निगम के पास मात्र ₹9,38,98,141/– की कुल राशि शेष थी जिसमें से अनुदानों की ₹71,54,137/– तथा निगम निधि में ₹8,67,44,004/– राशि शेष है और स्पष्ट रूप से वेतन, पेंशन,

बिजली पानी के बिल, स्वच्छता सम्बन्धी व्यय जैसे अन्य वैधानिक पुनरावृति वित्तीय दायित्वों के दृष्टिगत नगर परिषद/निगम इस सारी की सारी राशि को इन निर्माण कार्यों पर तो व्यय नहीं किया जा सकता है। बिना किसी बजट प्रावधान तथा समुचित निधि के इन निर्माण कार्यों का आबंटन निश्चित रूप से संदिग्ध है। इनमें से अधिकतर कार्य संदिग्ध रूप से 08/2024 से 01/2025 के बीच की अवधि में आबंटित किये गये हैं जब यह लगभग सुनिश्चित हो चुका था कि नगर परिषद को शीघ्र ही निकट भविष्य में स्तरोन्नत करके नगर निगम बना दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि उच्चाधिकारियों की व्यय स्वीकृति से बचने के लिये बहुत से मामलों में एक ही कार्य को कई भागों में बांटा गया था। उदाहरण के लिये P/L Badminton Pitch flooring in town hall, Hamirpur के कार्य को दो भागों में बांटकर क्रमशः ₹4,92,000/– तथा ₹4,90,000/– के लिये 05.08.2024 तथा 06.08.2025 को आबंटित किया गया था। यह स्पष्ट रूप निदेशक शहरी विकास विभाग की व्यय स्वीकृति से बचने के लिये किया गया था क्योंकि तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी निर्माण कार्यों के लिये मात्र 5 लाख तक का व्यय स्वीकृति करने के लिये प्राधिकृत थे।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/रा॰लै॰प॰–शिमला/अंके. अधि. /2025/–123 दिनांकः 11/07/202 द्वारा आयुक्त को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.2) विविध गणितीय चूकों तथा नियमों की अवहेलना के कारण विभिन्न निर्माण कार्य बिलों में ₹0.47 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान।

निर्माण कार्य बिलों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित वर्णित विविध गणितीय चूकों तथा नियमों की अवहेलना के कारण ₹46565/– (27903+5273+4177+4942+4270) का अधिक व अनियमित भुगतान करके संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

1. ₹27903/– का अधिक भुगतान।

कार्य का विवरणः

Work	Channelization of drain/nallah,Sub Head:- Restoration of path & drain near Maya Hotel,W.No.-08,Hamirur.
Contractor	Sh. Manoj Kumar S/o Sh. Jagan Nath (G.C.)
Award letter & Date	MCH/Tender/CW/Vol-VIII-2024-25 Dated 29.08.2024
MB and Page	37/2024 page 2-3

वाउचर संख्या 1338 दिनांक 24.10.2024 द्वारा उपरोक्त बिल में निम्नलिखित तालिका में वर्णित गणितीय चूक के कारण कुल **₹27903/–** का अधिक भुगतान पाया गया है।

Sr.	Item No.	Brief Item Description	Quantity paid	Actual Quantity	Excess Qty. measured due to wrong calculations	Tendered Rate (₹)	Total Excess Payment (₹)
1	1	P/L concrete 1:4:8	39.26 cum	11.06 cum	28.2 cum	804.77	22695
2	2	P/L RCC Concrete 1:2:4	13.30 cum	12.60 cum	0.7 cum	7440.66	5208
						Total	**27903**

2. ₹5273/– का अधिक भुगतान।

कार्य का विवरण:

Work	C/o path and drain in ward no. 7 HBC Hamirpur (H.P.)
Contractor	Sh. Vinod Kumar (G.C.)
Award letter & Date	MCH/Tender/Award/Estimate, A 2023-24-2388 dated 29.11.2023
MB and Page	32/2023 page 29
Voucher and date	1955 dtd 22.02.2024

वाउचर संख्या 1955 दिनांक 22.02.2024 द्वारा उपरोक्त बिल में निम्नलिखित तालिका में वर्णित गणितीय चूक के कारण कुल **₹5273/–** का अधिक भुगतान पाया गया है।

Sr.	Item No.	Item Description	Quantity paid	Actual Quantity as per record entry	Excess Qty. calculation	Tendered Rate (₹)	Total Excess Payment (₹)
1	1	Earth work in excavation	24.31 cum	22.16 cum	2.15	103.52	**223**
2	2	P/L RCC 1:4:8	14.59 cum	13.30 cum	1.29 cum	3914.61	**5050**
						Total	**5273**

3. ₹4177/– का अधिक भुगतान।

कार्य का विवरण:

Work	Channelization by providing protection wall near session house, W.N. 02 MC Hamirpur
Contractor	Sh. Vinod Kumar (G.C.)

Award letter & Date	MCH/Tender/CW/Vol.-VI-2024-2025-1337 dated 22.08.2024
MB and Page	37/2024 page 7

वाउचर संख्या 1338 दिनांक 24.10.2024 द्वारा उपरोक्त बिल में निम्नलिखित तालिका में वर्णित गणितीय चूक के कारण कुल **₹4177/–** का अधिक भुगतान पाया गया है।

Sr.	Item No.	Item Description	Quantity paid	Actual Quantity as per record entry	Excess Qty. calculation	Tendered Rate (₹)	Total Excess Payment (₹)
1	2	Centering and shuttering including strutting ,	76.01 cum	67.18 cum	8.83 cum	473 (411.15+15% avove)	4177

4. **₹4942/– का अधिक भुगतान।**

कार्य का विवरणः

Work	Restoration of path by providing paver, drain etc. in existing road towards lalri near H/O shenshah W.N. 11 MC Hamirpur
Contractor	Sh. Shashi Kumar (G.C.)
Award letter & Date	MCH/Tender/CW/Vol.-V-2024-25-1222 dated 19.08.2024
MB and Page	37/2024 page 12

वाउचर संख्या 1338 दिनांक 24.10.2024 द्वारा उपरोक्त बिल में निम्नलिखित तालिका में वर्णित गणितीय चूक के कारण कुल **₹4942/–** का अधिक भुगतान पाया गया है।

Sr.	Item No.	Item Description	Quantity paid	Actual Quantity as per record entry	Excess Qty. calculation	Tendered Rate (₹)	Total Excess Payment (₹)
1	6	Providing and laying factory made chamfered edge cement concrete paver blocks 50mm thick	206.64 sqm	203.11 sqm	3.53 sqm	1400	4942

5. **तीन निर्माण कार्यों में वीपहोल के लिये कटौती न करके ₹4942/– का अधिक भुगतान।**

(क) निर्माण कार्य Channelization by providing protection wall near session house, W.N. 02 MC Hamirpur की मापन पुस्तिका 37/2024 पृष्ठ 7–8 की मद संख्या 4 में 100 मि.मी. ब्यास के 35 वीपहोल के लिये श्री विनोद कुमार संविदाकार को ₹13370/– का भुगतान किया गया था। यह

वीपहोल 1.50 मीटर मोटाई के कन्क्रीट डंगे में रखे गये थे। परन्तु इसके विरूद्ध कन्क्रीट की मद संख्या 3 में से कोई कटौती नहीं की गई थी। इस कारण निम्न गणना अनुसार कुल ₹2393/– का अधिक भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

Sr.	Calculation of quantity to be deducted from concrete	Rate of Concrete (1:4:8) item	Net deduction amount (₹)
1	35X 3.14X 0.05X0.05X1.5 =0.42 cum	₹5698.48	**2393**

(ख) निर्माण कार्य **Channelization of Nallaha/RCC hume pipe culvert and path etc. in Anu ward no-1 MC Hamirpur** की मापन पुस्तिका 32/2023 पृष्ठ 14–17 की मद संख्या 8 में 100 मि. मी. ब्यास के 18 वीपहोल के लिये श्री शशी कुमार संविदाकार को ₹4555/– का भुगतान किया गया था। यह वीपहोल 0.75 मीटर औसत मोटाई के कन्क्रीट डंगे में रखे गये थे। परन्तु इसके विरूद्ध कन्क्रीट की मद संख्या 3 में से कोई कटौती नहीं की गई थी। इस कारण निम्न गणना अनुसार कुल ₹846/– का अधिक भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

Sr.	Calculation of quantity to be deducted from concrete	Rate of Concrete (1:3:6) item	Net deduction amount (₹)
1	18X 3.14X 0.05X0.05X0.75 =0.12 cum	₹7051.52	**846**

(ग) निर्माण कार्य **R/o park and C/o R/Wall near ward no. 07 MC Hamirpur** की मापन पुस्तिका 36/2024 पृष्ठ 16–17 की मद संख्या 4 में 100 मि.मी. ब्यास के 20 वीपहोल के लिये श्री रजनीश ठाकुर संविदाकार को ₹7640/– का भुगतान किया गया था। यह वीपहोल 1.15 मीटर औसत मोटाई के कन्क्रीट डंगे में रखे गये थे। परन्तु इसके विरूद्ध कन्क्रीट की मद संख्या 3 में से कोई कटौती नहीं की गई थी। इस कारण निम्न गणना अनुसार कुल ₹846/– का अधिक भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

Sr.	Calculation of quantity to be deducted from concrete	Rate of Concrete (1:4:8) item	Net deduction amount (₹)
1	20X 3.14X 0.05X0.05X1.15 =0.181 cum	₹5698	**1031**

इस प्रकार वीपहोल की कटौती न करके इन संविदाकारों को तीनों निर्माण कार्यों के बिलों में कुल ₹4270/– (2393+846+1031) का अधिक भुगतान करके अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अनुभग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अनु• अधि•/रा•ले•प•/अंके. संख्या/07 दिनांकः 28/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः उपरोक्त वर्णित **₹46565/–** के अनियमित भुगतानों की प्रतिपूर्ती उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(16.3) 29 निर्माण कार्यों का निष्पादन में देरी होने पर भी संविदाकारों से अनुबन्ध की क्लॉज –2 के प्रावधानों के अनुसार ₹17.56 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की कटौती न करना

नगर निगम के अवधि 04/2023 से 03/2025 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था कि **"परिशिष्ट "84"** में वर्णित 29 निर्माण कार्य बिलों का आबंटन करते समय आबंटन पत्र में कार्य निष्पादन पूर्ण करने हेतु जो समय अवधि निर्धारित की गई थी उसमें कार्य पूरा नहीं किया गया था। इन सभी प्रकरणों में कार्य निष्पादन में देरी के लिये समय बढ़ौतरी के लिये न तो संविदाकार द्वारा किसी प्रकार का अनुरोध किया गया था और न ही नगर परिषद/निगम द्वारा समय विस्तार दिया गया है। इन संविदाकारों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध के क्लॉज 2 में दिये प्रावधान अनुसार इन सभी कार्यों का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व कार्य निष्पादन में हुई देरी के लिये "अनुमानित लागत के 1 प्रतिशत प्रतिदिन तथा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से" क्षतिपूर्ति राशि की कटौती अन्तिम बिल में से की जानी अपेक्षित थी जो कि नही की गई। इस अनियमितता के कारण अलग–अलग संविदाकारो को **₹17,55,868/–** का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/रा•ले•प•–शिमला/अंके. अधि./2025/–119 दिनांकः 04/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमित व अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.4) निर्माण कार्य निष्पादन में सक्षम प्राधिकारी की संशोधित प्रशासनिक तथा व्यय स्वीकृति (AA&ES) के बिना किया गया ₹69.08 लाख का अनियमित भुगतान

सी. पी. डबल्यू. डी. कोड 2014 के पैरा 2.3.5 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित निर्माण कार्य बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय स्वीकृति राशि (AA & ES) से यदि 10% प्रतिशत की प्रावधित मात्रा से अधिक राशि के लिये किया जाता है तो कुल व्यय राशि के लिये सक्षम प्राधिकारी की संशोधित स्वीकृति अपेक्षित है। नगर निगम हमीरपुर के अवधि 04/2023 से 03/2025 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था

कि **परिशिष्ट "85"** में वर्णित 12 निर्माण कार्य बिलों में कुल वास्तविक व्यय स्वीकृत राशि की तुलना में 10.65% तथा 418.89% (कुल ₹16,27,188/-) तक की अधिक राशि के लिये किया गया था परन्तु यह व्यय प्रावधित सीमा से अधिक होने पर भी सक्षम प्राधिकारी की संशोधित व्यय स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस कारण इन निर्माण कार्य बिलों में किया गया कुल ***₹69,07,789/-*** का कुल व्यय पूर्णतः अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–119 दिनांकः 04/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमितता के सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(16.5) निर्माण कार्यों के निष्पादन में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनियमित भुगतान करनाः–

सी. पी. डब्ल्यू. डी. कोड 2014 के पैरा 24.1.2.(ए) के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य की निष्पादित मात्रा/राशि में आये कम/अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात ही उस बिल भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर निगम हमीरपुर द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2025 के बीच निष्पादित तथा भुगतान किये गये निर्माण कार्य बिलों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था कि संलग्न **परिशिष्ट "86"** पर संकलित 172 प्रकरणों में निष्पादित निर्माण कार्य की कुल मात्रा व राशि अवार्ड की तुलना में अधिक अथवा कम होने पर भी इनके अन्तिम बिलों का भुगतान करने से पूर्व विचलन को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमति नहीं किया गया था। यह बहुत ही खेदजनक है कि इस सन्दर्भ में पिछले कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति दर्ज करने के बाद भी नगर निगम द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया है। अतः एक बार पुनः यह मामला प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाये जाने तथा भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–119 दिनांकः 04/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमितता के सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(16.6) Rule 16 (XVII) of Himachal Pradesh Mineral Policy, 2024 के अनुसार निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी/भुगतान के सत्यापन के बिना 178 बिलों में नियमों की अवहेलना करते हुये ₹824.62 लाख का अनियमित भुगतान।

अंकेक्षणावधि के लिये निर्माण कार्य बिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि इनके भुगतान के समय इनमें प्रयोग किये गये रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि जैसे क्षुद्र खनिजों के लिये न तो नियमानुसार ट्रान्जिट फॉर्म लिये गये थे और न ही रॉयल्टी के लिये कोई कटौती की गई थी। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व सीमित मात्रा में उपलब्ध खनिजों के संरक्षण एवं दोहन हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर नियम तथा निर्देश जारी किये गये हैं। इसी कारण इनके अवैध खनन तथा प्रयोग के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान भी है। किसी भी निर्माण कार्य में प्रयोग किये जा रहे क्षुद्र खनिजों जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ईंट इत्यादि का उत्खनन किसी वैध स्त्रोत से किया गया है अथवा नहीं इसके प्रमाण के रूप में वैध खदान/क्रशर लाईसैंस धारक द्वारा हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) (Himachal Pradesh Department of Industries – Geoligical Wing) द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 के नियम 77 व 79 के अनुसार फॉर्म "डबल्यू" (ट्रान्जिट पास) तथा फॉर्म "ऐक्स" (सप्लीमैन्ट्री ट्रान्जिट पास) (Form "W" (Transit Pass) and Form "X" (Supplementary Transit Pass)} जारी किये जाते हैं।

सरकारी राजस्व के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से किये गये वैध खनन के लिये रॉयल्टी वसूल की जाती है जिसकी दरें उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में प्रतिपादित की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्षुद्र खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिये वर्णित नियमों के अध्याय 7– PREVENTION OF ILLEGAL MINING, STORAGE AND TRANSPORTATION OF MINERALS –के नियम 71 व 72 में दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। यदि यह क्षुद्र खनिज सरकार द्वारा अनुमोदित खदान अथवा क्रशर से खरीदे गये है तो इनके लिये देय रॉयल्टी सरकार को जमा करवाने का दायित्व प्रयोगकर्ता के स्थान पर खदान अथवा क्रशर के लाईसैंसधारक का होता है जिसके लिये फॉर्म–डब्ल्यू व ऐक्स जारी किये जाते हैं। यदि उपयोगकर्ता के पास उक्त फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रयोग किये जा रहे क्षुद्र खनिज अवैध स्त्रोत से प्राप्त किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा मुकद्मा संख्याः 2395/2020 दिनांक 16.07.2020 में दिये गये निर्णय अनुसार "क्षुद्र खनिजों के अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य

से ठेकेदार द्वारा उपयोग किये गये क्षुद्र खनिजों के लिये फॉर्म–डब्ल्यू व ऐक्स प्रस्तुत नहीं करने पर सरकारी विभागों द्वारा उनके निर्माण कार्य बिलों के भुगतान नहीं करना है''।

इसी प्रकार Rule 16 (XVII) of Himachal Pradesh Mineral Policy, 2024 के अनुसार *"In order to avoid any mis-utilization of the Transit passes (W & X Forms), it shall be incumbent on the user agencies like HPPWD, NHAI, Jal Shakti Vibhag, HIMUDA and other such agencies, to ensure that the material is procured by the Contractor/Executing agencies from the legal mineral concession holder within a distance of 50 Kms (by road) and entertain only such transit passes for releasing payments etc. In case, the Contractor/Executing agencies submit transit passes of the legal source beyond a distance of 50 Kms (by road), such transit passes shall have to be authenticated/verified from the concerned Mining Officer prior to release of any payment".*

परन्तु वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया है कि नगर निगम द्वारा वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में निष्पादित करवाये गये 178 निर्माण कार्यों में से नमूना अंकेक्षण हेतु चयनित 23 निर्माण कार्य बिलों में 962.19 घनमीटर कन्क्रीट का प्रयोग किया गया था। यदि 23 कार्यों में ही इतनी मात्रा में कन्क्रीट प्रयोग की गई है तो 178 कार्यों में प्रयोग की गई मात्रा कई गुणा अधिक होगी। परन्तु इसमें प्रयोग किये गये रेत व बजरी जैसे क्षुद्र खनिजों के स्त्रोत की वैधता के प्रमाण के रूप में बिलों के साथ *फॉर्म ''डब्ल्यू'' तथा फॉर्म ''ऐक्स''*– संलग्न नहीं पाये गये हैं। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर इन ट्रान्जिट फार्मों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन निर्माण कार्यों का भुगतान रोका जाना अपेक्षित था। परन्तु नगर परिषद/निगम द्वारा इसकी अवहेलना करते हुये इन निर्माण कार्यों के लिये वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में कुल ₹8,24,61,755/– का अनियमित भुगतान जारी कर दिया गया था।

उपरोक्त वर्णित कारणों से इन कार्यों में प्रयोग किये गये क्षुद्र खनिजों की वैधता निश्चित रूप से संदिग्ध है तथा प्रतीत होता है कि नगर परिषद/निगम, जोकि एक सरकारी स्वायत्त संस्थान है, द्वारा उपरोक्त वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा ''हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, 2024'' के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये न केवल बिलों का अनियमित भुगतान किया गया है परन्तु साथ ही रेत, बजरी तथा पत्थर जैसे क्षुद्र खनिजों के अवैध खनन को प्रोत्साहित करने/किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–119 दिनांकः 04/07/2025 तथा 120 दिनांक 07.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमितता के सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करके कृत अनुपालना से

अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों की जानकारी में विशेषतया लाया जाता है ताकि इस बारे में हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) के अधिकारियों के साथ चर्चा उपरान्त इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाने के साथ–साथ नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई तथा भविष्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17. अचल सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न करना।

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद लेखा संहिता–1975 के नियम 152(1) के अनुसार परिषद के लिये प्रारूप आर–1 तथा आर–1 बी (R.I. and R.I.B.) के अनुसार अचल सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि इस नियम की अवहेलना करते हुये सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस बारे में गत कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति दर्ज करने पर भी नगर निगम द्वारा अनुपालना नहीं की गई है। अतः एक बार पुनः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

आयुक्त, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/रा॰ले॰प॰–शिमला/अंके. अधि./2025/–23 दिनांकः 01/02/2025 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद/निगम द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु नगर निगम द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है। अतः इसके बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करके कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19. लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

20 निष्कर्ष:– गत अनुच्छेदों में वर्णित अनियमितताओं से स्पष्ट है कि नगर निगम के लेखों के अनुरक्षण में अभी भी सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

सहायक नियंत्रक (ले.प.)
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

संयुक्त निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

अतिरिक्त निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

परिशिष्ट "1"

पैरा 1 (घ) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1975 से 3/1981

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	12 (सी)	निर्णीत	रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
2	15 (1, 2)	निर्णीत	जमीन को पट्टे पर दिये जाने सम्बन्धी औपचारिकताओं में कमी।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
3	27	निर्णीत	स्टॉक के उपभोग का सत्यापन वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1982

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	35 (डी)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा अभिलेख के रख–रखाव में औपचारिकता सम्बन्धी त्रुटियाँ	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 03/1985

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	17	निर्णीत	परिषद् में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को भुगतान के विरूद्ध 1/3 भाग सरकारी कोष में जमा करवाने का अभिलेख वांछित है।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

2	18	निर्णीत	विभिन्न प्रशासकों को ₹1950/– मानदेय का अनियमित भुगतान।	रसीद संख्या 773/03 दिनाँक 01.07.2025 द्वारा ₹1950/– की गई वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
3	25	निर्णीत	निर्माण कार्यों हेतु खरीदी गई सामग्री के उपभोग का सत्यापन वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
4	29 (ए. बी.)	निर्णीत	बिजली के बिलों में स्ट्रीट लाईट के लिये चार्ज की गई दरों का सत्यापन वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
5	30	निर्णीत	जलापूर्ती हेतु खरीदी गई सामग्री के स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में सुधार हेतु सुझाव।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
6	31	निर्णीत	सम्पत्ति रजिस्टर के अद्यतन बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
7	35	निर्णीत	अग्रिम भुगतान की गई राशियों का समायोजन अपेक्षित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 03/1987

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	5 (सी)	निर्णीत	स्टोर से जारी की गई लकड़ी के लिये ₹324.85 की वसूली शेष।	रसीद संख्या 773/04 दिनाँक 01.07.2025 द्वारा ₹325/– की गई वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
2	5 (डी)	निर्णीत	स्टोर से जारी रेत के लिये ₹52.50 की वसूली शेष।	रसीद संख्या 773/04 दिनाँक 01.07.2025 द्वारा ₹53/– की

				गई वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
3	5 (ई)	निर्णीत	स्टोर से जारी बजरी के लिये ₹264.60/– की वसूली शेष।	रसीद संख्या 773/04 दिनांक 01.07.2025 द्वारा ₹265/– की गई वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
4	10	निर्णीत	भविष्य निधि खाते का बैंक समाधान विवरण न बनाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
5	11	निर्णीत	रोकड़ बही तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख के रख–रखाव में अनियमितताएं।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
6	14	निर्णीत	प्रतिनियुक्ति पर आये सचिव की नियुक्ति से सम्बन्धित औपचारिकताएं वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
7	19	निर्णीत	कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण से सम्बन्धित औपचारिकताएं वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
8	20 (1)	निर्णीत	सीमेन्ट की खाली बोरियों बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
9	21 (1 से 13)	निर्णीत	स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित विविध अनियमितताएं।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1989

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	5 (ई)	निर्णीत	अनुदान रजिस्टर का अद्यतन न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
2	14	निर्णीत	मस्ट्रोल में किये गये कार्य का विवरण दर्ज न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
3	18	निर्णीत	निर्माण कार्य सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में त्रुटियों बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
4	20	निर्णीत	जलापूर्ती सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में त्रुटियों बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
5	25	निर्णीत	सम्पत्ति रजिस्टर के अद्यतन बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 03/1990

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	7 (10)	निर्णीत	निर्माण कार्य बिल में ₹320/– की वसूली शेष।	रसीद संख्या 773/05 दिनाँक 01.07.2025 द्वारा ₹320/– की गई वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
2	11 (ई)	निर्णीत	सम्पत्ति रजिस्टर का अद्यतन करने बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1993

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	12 (8)	निर्णीत	प्रभारी प्रशासक को भुगतान किये गये मानदेय के अभिलेख बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

(ज) लघु आपत्ति विवरणिका

क्रम	अवधि	मद संख्या	स्थिति	कृत अनुपालना का विवरण
1	04/1966 से 03/1970	1 (सी, डी), 2 से 12	निर्णीत	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
2	04/1970 से 03/1973	1 से 21	निर्णीत	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
3	04/1973 से 03/1975	2, 3, 8, 9 (2)	निर्णीत	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
4	04/1975 से 03/1981	6 (एच), 7 (1 से 7) 7, 9, 10	निर्णीत	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1999

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	7 (ख)	निर्णीत	पट्टे पर दी गई दुकानों के अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
2	7 (ग)	निर्णीत	पट्टेधारियों द्वारा छोड़ी गई दुकानों के विरूद्ध किराया वसूली शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
3	7 (घ)	निर्णीत	पट्टे पर दी गई दुकानों के अनुबन्ध पत्रों का नवीनीकरण न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।

4	10 (5)	निर्णीत	अनियमित व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
5	12 (क)	निर्णीत	नगर परिषद प्रशासकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा मानदेय दोनों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2006

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	4 (क)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति में अन्तर बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
2	4 (ख)	निर्णीत	बैंक समाधान विवरणी।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
3	5	निर्णीत	अनुदानों के सन्दर्भ में।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
4	6 (1–ख)	निर्णीत	बकाया दुकान किराये की वसूली बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
5	6 (1–ग)	निर्णीत	बकाया दुकान किराये की वसूली बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
6	6 (1–च)	निर्णीत	बकाया दुकान किराये की वसूली बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
7	6 (2)	निर्णीत	बकाया दुकान किराये की वसूली बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
8	6 (3)	निर्णीत	बकाया मनोरंजन कर की वसूली बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
9	6 (4)	निर्णीत	टाउन हाल के बकाया किराये की वसूली बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।

10	6 (5)	निर्णीत	पशुवध शुल्क के अभिलेख में त्रुटियों बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
11	6 (6)	निर्णीत	मदिरा बिक्री कर अधिरोपण में अनियमितताओं तथा कम वसूली बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
12	6 (7)	निर्णीत	तहबाजारी शुल्क की वसूली न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
13	6 (8–1)	निर्णीत	विश्राम गृह किराये की वसूली बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
14	6 (8–2)	निर्णीत	आरक्षण रजिस्टर का रख–रखाव।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
15	6 (8–3)	निर्णीत	विश्राम गृह किराये की ₹200/– की वसूली बारे।	रसीद संख्या 773/02 दिनांक 24.06.2025 द्वारा 200/– की वसूली किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
16	6 (9)	निर्णीत	रेहड़ी शुल्क का अधिरोपण न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
17	6 (10)	निर्णीत	गृहकर की बकाया वसूली।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित।
18	7 (1)	अनिर्णीत	श्री कुलदीप चन्द कार्य पर्यवेक्षक को वेतन में ₹1021/– का अधिक भुगतान।	
19	7 (5)	अनिर्णीत	श्री सुरेश चौहान, अभियन्ता को ₹15000/– के मानदेय का अनुचित भुगतान।	
20	7 (6)	अनिर्णीत	पृष्ठ 31 अनुच्छेद 7(6) अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।	

21	7 (7)	निर्णीत	कर्मचारियों वेतन में ₹282/– का कम भुगतान।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
22	7 (8)	निर्णीत	बकाया भुगतान का विस्तृत विवरण अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
23	7 (9)	अनिर्णीत	₹2850/– के संदिग्ध भुगतान बारे।	
24	7 (11)	निर्णीत	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती में ₹461/– की वसूली शेष।	रसीद संख्या 773/02 दिनांक 24.06.2025 द्वारा ₹461/– की वसूली किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
25	7 (13)	निर्णीत	₹2000/– के स्थाई अग्रिम का समायोजन शेष।	रसीद संख्या 773/01 दिनांक 24.06.2025 द्वारा 2000/– की वसूली किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
26	7 (14)	निर्णीत	भविष्य निधि पैन्शन ग्रैच्युटि खातों में कम राशि जमा करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
27	7 (15)	निर्णीत	पैन्शन ग्रैच्युटि खातों में कम राशि जमा करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
28	7 (16)	निर्णीत	विभागीय प्रभार को कम जमा करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
29	7 (17)	निर्णीत	असाधारण अवकाश की प्रविष्टियाँ सेवापंजी में दर्ज न करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
30	7 (18)	निर्णीत	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन शेष।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

31	8 (1)	निर्णीत	बिल की छाया प्रति पर हि. प्र. सिविल सप्लाई को भुगतान करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
32	8 (2)	निर्णीत	भुगतान आदेश पारित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
33	8 (3)	निर्णीत	₹23492/– के अनुचित भुगतान बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
34	8 (4)	निर्णीत	₹23884/– के कालातीत भुगतान बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
35	8 (5)	निर्णीत	₹3440/– के कालातीत भुगतान बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
36	8 (6)	निर्णीत	₹150000/– के निक्षेप कार्य अग्रिम के समायोजन बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
37	8 (7)	निर्णीत	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना सामग्री क्रय करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
38	8 (8)	निर्णीत	औपचारिकताओं का पालन किये बिना व्यय करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
39	8 (9)	निर्णीत	सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिये जाने सम्बन्धी अनियमितताएँ।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

40	8 (10)	निर्णीत	बिजली बिलों के भुगतान में अनियमितताएँ।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
41	8 (11–1)	निर्णीत	पायलट प्रोजैक्ट के सम्बन्ध में पाई अनियमितताओं बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
42	8 (11–2)	निर्णीत	प्रतिभूति राशि के बारे में।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
43	8 (12)	निर्णीत	स्ट्रीट लाईट बिलों का भुगतान न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	9 (क–1)	निर्णीत	विभागीय कार्यों के प्राक्कलन तैयार न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
45	9 (क–2)	निर्णीत	तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से न लेना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
46	9 (क–3)	निर्णीत	निविदाओं पर संविदाकारों की श्रेणी दर्ज न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
47	9 (क–4)	निर्णीत	निर्माण कार्यों की स्वीकृति सदन से न लेना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
48	9 (क–5)	निर्णीत	विभागीय औचित्य तैयार न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
49	9 (क–6)	निर्णीत	माप पुस्तिका में प्रविष्टियां अधूरी दर्ज करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

50	9 (क–7)	निर्णीत	माप पुस्तिका में टैस्ट चैक न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
51	9 (क–8)	निर्णीत	अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों की स्वीकृति न लेना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
52	9 (क–9)	निर्णीत	विभागीय भण्डार के अभिलेख में त्रुटियाँ।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
53	9 (क–10)	निर्णीत	एम ए एस का रख–रखाव सही ढंग से न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
54	9 (क–11)	निर्णीत	सर्विसेबल मैटिरियल को एम ए एस में दर्ज न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
55	9 (क–12)	निर्णीत	बिलों से आयकर की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
56	9 (क–13)	निर्णीत	निर्माण कार्य अभिलेख के रख–रखाव में त्रुटियाँ।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
57	9 (क–14)	निर्णीत	कार्य समापन पत्र जारी न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
58	9 (क–15)	निर्णीत	मुख्य कार्यों को सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

59	9 (क–16)	निर्णीत	निर्माण सामग्री खपत विवरणिका तैयार न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
60	9 (1)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹3623/– का अधिक भुगतान।	
61	9 (2)	अनिर्णीत	वॉयडस की कटौती न करके ठेकेदारों को ₹18290/– का अधिक भुगतान।	
62	9 (3)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹1918/– का अधिक भुगतान।	
63	9 (4)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹1373/– का अधिक भुगतान।	
64	9 (5)	निर्णीत	विभागीय निर्माण कार्य में सामग्री खपत के अभिलेख में त्रुटियाँ।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
65	9 (6)	निर्णीत	मस्ट्रोल में कार्य प्रगति के आधार पर भुगतान न करके ₹29578/– का अधिक भुगतान।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
66	9 (7)	निर्णीत	मस्ट्रोल में ₹1373/– का अधिक भुगतान।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
67	9 (8)	निर्णीत	विभागीय मजदूरों द्वारा किये गये कार्य में ₹11411/– का अधिक भुगतान।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
68	9 (9)	अनिर्णीत	ठेकेदारों को ₹7739/– का अधिक भुगतान।	

69	9 (10)	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताएँ वाँछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
70	9 (11)	अनिर्णीत	वाटर बॉर्न एग्रीगेट उपयोग का कटौती न करके ₹1056/- का अधिक भुगतान।	
71	9 (12)	अनिर्णीत	कटिंग इन अर्थ वर्क में ₹9927/- का अधिक भुगतान।	
72	9 (13)	अनिर्णीत	विभागीय निर्माण कार्य में ₹414/- का अधिक भुगतान।	
73	9 (14)(1,2)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹1152/- का अधिक भुगतान।	
74	9 (15)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹3673/- का अधिक भुगतान।	
75	9 (16)	अनिर्णीत	विभागीय निर्माण कार्य में ₹4040/- का अधिक भुगतान।	
76	9 (17)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹2121/- का अधिक भुगतान।	
77	9 (18)	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों में ₹39654/- का अधिक भुगतान।	
78	9 (19)	निर्णीत	विभागीय निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताएँ वाँछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
79	9 (20)(1 से 4)	निर्णीत	बेलदारों को ₹13230/- तथा ₹34944/- का अधिक भुगतान।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

80	9 (21)(1 से 4)	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों में ₹9517/– का अधिक भुगतान।	
81	9 (22)	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों में अधिक दरें लगाकर ₹32653/– का अधिक भुगतान।	
82	9 (23)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹6099/– का अधिक भुगतान।	
83	9 (24)	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों में ₹38078/– का अवैध भुगतान।	
84	9 (25)	निर्णीत	विभागीय निर्माण कार्य में सामग्री खपत में अनियमितताएं।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
85	9 (26)	निर्णीत	विभागीय निर्माण कार्य में संदिग्ध मद का निष्पादन।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
86	9 (27)(1 से 9)	निर्णीत	रैहन बसेरा निर्माण कार्य निष्पादन में अनियमितताएं।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
87	9 (28)	निर्णीत	निर्माण कार्यों का अभिलेख प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
88	9 (29)	निर्णीत	मस्ट्रोल में किये गये कार्य का विवरण दर्ज न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
89	10 (i to vii)	निर्णीत	वाहनों के अभिलेख के रख–रखाव में त्रुटियाँ।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

90	10 (1–क)	निर्णीत	लॉग बुक के रख–रखाव में त्रुटियाँ।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
91	10 (1–ख)	निर्णीत	लॉग बुक प्रविष्टियों का सत्यापन वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
92	10 (1–ग)	निर्णीत	टैंक क्षमता से अधिक तेल भरना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
93	10 (1–घ)	निर्णीत	वाहन ईंधन कम दर्शाने से ₹4851/– की वसूली अपेक्षित।	रसीद संख्या 773/08 दिनांक 01.07.2025 द्वारा ₹4851/– का सत्यापन कर लिया गया।
94	10 (2–क)	निर्णीत	अन्य विभागों द्वारा वाहनों का अनियमित प्रयोग।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
95	10 (2–ख)	अनिर्णीत	कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा वाहन का अनाधिकृत प्रयोग।	
96	10 (2–ग)	निर्णीत	वाहन प्रयोग हेतु अधियाचना न लेना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
97	10 (2–घ)	निर्णीत	यात्राओं का उद्देश्य न दर्शाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
98	10 (2–ङ)	निर्णीत	निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन के उपयोग से ₹28323/– की वसूली।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

99	10 (3)(क–1)	निर्णीत	लॉग बुक प्रविष्टियों का सत्यापन वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
100	10 (3)(क–2)	निर्णीत	टैंक क्षमता से अधिक तेल भरना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
101	10 (3)(क–3)	निर्णीत	औसत ईंधन खपत का सत्यापन न होना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
102	10 (3)(क–4)	निर्णीत	लॉग बुक प्रविष्टियों का सत्यापन वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
103	10 (4)	निर्णीत	लॉग बुक प्रविष्टियों का सत्यापन वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
104	10 (5)	निर्णीत	स्थानीय वी आई पी यात्राएं।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
105	10 (6)	निर्णीत	कार्यक्षेत्र से बाहर वाहन का प्रयोग करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
106	10 (7)	निर्णीत	सोमवार को वाहन प्रयोग करने पर ₹13638/– की वसूली।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
107	10 (8)	निर्णीत	अधिक दूरी दर्शाकर ईंधन खपत के लिये ₹167/– की वसूली।	रसीद संख्या 773/06 दिनांक 01.07.2025 द्वारा ₹167/– की

				वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
108	10 (9)	निर्णीत	अधिक दूरी दर्शाकर ईंधन खपत के लिये ₹1595/– की वसूली।	रसीद संख्या 773/07 दिनांक 01.07.2025 द्वारा ₹1595/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
109	10 (10)	निर्णीत	विविध।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
110	11 (1)	निर्णीत	सीमेन्ट खपत न दर्शाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
111	11 (2)	अनिर्णीत	₹949099/– का निर्माण सामग्री का सम्भावित गबन।	
112	11 (3)	अनिर्णीत	सीमेन्ट के बिना बजरी का फर्जी प्रयोग दर्शाना।	
113	11 (4)	अनिर्णीत	निर्माण सामग्री की बकाया मात्रा को समाप्त करना।	
114	11 (5)	अनिर्णीत	30 सीमेन्ट बैग का संदिग्ध गबन।	
115	11 (6)	निर्णीत	निर्माण सामग्री की खपत न दर्शाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
116	12 (1)	निर्णीत	नकद भुगतान करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

117	12 (2)	निर्णीत	व्यय स्वीकृति न लेना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
118	12 (3)	निर्णीत	बिना निविदाओं के क्रय करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
119	12 (4)	निर्णीत	स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में त्रुटियाँ।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
120	12 (5)	निर्णीत	स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में त्रुटियाँ।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	3	निर्णीत	अनुदान।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
2	4 (1)	निर्णीत	गृहकर एवं दुकान किराये की राशि वसूली हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
3	4 (2)	निर्णीत	गृहकर का निर्धारण नियमानुसार न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	4 (3)	निर्णीत	किराये की कम मांग एवं वसूली।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	4 (4)	निर्णीत	विश्राम गृह के किराये की वसूली न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
6	4 (5)	निर्णीत	वीडियो शुल्क की शेष राशि की वसूली न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

7	4 (6)	निर्णीत	शो टैक्स की वसूली न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
8	4 (7)	निर्णीत	रैहन बसेरा का आगन्तुक रजिस्टर तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
9	4 (8)	निर्णीत	शराब शुल्क की आय में निरन्तर कमी।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
10	4 (9)	निर्णीत	मोबाईल दूरभाष शुल्क की वसूली न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
11	4 (10)	निर्णीत	रद्दी की नीलामी न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
12	4 (11)	निर्णीत	व्यावसाय लाईसैन्सों में गत वर्ष की तुलना में कमी।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
13	4 (12)	निर्णीत	तहबाजारी शुल्क प्रतिदिन की अपेक्षा मासिक दर से वसूल करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
14	4 (13)	निर्णीत	सराय से कोई आय प्राप्त न होना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
15	5 (1)	निर्णीत	दैनिक वेतन भोगियों की ठेके पर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से तैनाती व बजट से अधिक व्यय।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
16	5 (2)	निर्णीत	ए सी पी एस के अन्तर्गत गलत वेतनवृद्धि के कारण ₹7829 का अधिक भुगतान।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

17	5 (3)	निर्णीत	गलत विशेष वेतन के फलस्वरूप ₹3000/– का अधिक भुगतान व वसूली।	स्वतः निर्णीत।
18	5 (4)	निर्णीत	वकील सिंह को ₹170 प्रतिमाह की दर से वर्दी भत्ते का अनियमित भुगतान।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
19	5 (5)	निर्णीत	गलत गणना के फलस्वरूप ₹201/– का अधिक भुगतान व वसूली।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
20	5 (6)	निर्णीत	सेवा पंजिकाओं का अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
21	6 (1)	निर्णीत	वास्तविक प्राप्ति रसीदें अपेक्षित।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
22	6 (2)	निर्णीत	₹2122 का सामान बिना संविदाओं के प्राप्त करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
23	6 (3)	निर्णीत	₹1093 वैट राशि अनियमित भुगतान।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
24	6 (4)	निर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
25	6 (6)	निर्णीत	स्टॉक/एम ए एस रजिस्टर में इन्द्राज न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
26	6 (7)	निर्णीत	₹30000 की प्रतिभूति राशि की वसूली न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
27	6 (8)	निर्णीत	पुराने बदले सामान के भण्डार इन्द्राज न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

28	6 (9)	निर्णीत	भण्डार में कम शेष दर्शाकर ₹405/– के दुरूपयोग की आशंका।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
29	6 (10)	निर्णीत	भण्डार में से जारी सामान के विरूद्ध पावतियां न लेना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
30	7 (1)	अनिर्णीत	अधिक गणना के कारण निर्माण कार्य में ₹5409/– का अधिक भुगतान।	
31	7 (2)	निर्णीत	बोल्डर की अधिक खपत।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
32	7 (3)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के विरूद्ध माप पुस्तक में प्रविष्टियों में लेखन सम्बन्धी त्रुटियां।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
33	7 (4)	निर्णीत	एम ए एस में निर्माण सामग्री की खपत न दर्शाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
34	7 (5)	अनिर्णीत	10 बोरी सीमेन्ट का अधिक उपयोग।	
35	7 (6)	अनिर्णीत	अधिक गलत दरों के कारण ठेकेदारों को ₹64039 का अधिक भुगतान।	
36	7 (7)	अनिर्णीत	सीमेन्ट के भण्डार रजिस्टर में 200 बोरी सीमेन्ट का संदिग्ध हस्तांतरण।	
37	7 (8)	निर्णीत	निर्माण कार्य के विरूद्ध ठेकेदारों के बिलों से ₹191040/– की प्रतिभूति की वसूली न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

38	7 (9)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के विरूद्ध बिक्री व आयकर की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
39	7 (10)	निर्णीत	अभिलेख उपलब्ध न करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
40	7 (11)	निर्णीत	डिमोलिशन के विरूद्ध प्राप्त सामान का विवरण प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
41	7 (12)	निर्णीत	शैडयूल दरों का सत्यापन दरों का सत्यापन न करवाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
42	7 (13)	निर्णीत	गलत गणना के कारण ₹60/– का अधिक भुगतानं।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
43	7 (14)	निर्णीत	एम ए एस में प्राप्त सामान की स्टॉक प्रविष्टियां न दिखाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	7 (15)	अनिर्णीत	वॉयड्स की कटोती न करके ₹6346 का अधिक भुगतान।	
45	7 (16)	निर्णीत	बिना कोटेशनो के निर्माण सामग्री क्रय करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
46	8 (1)	निर्णीत	औसत तेल खपत निर्धारित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
47	8 (2)	निर्णीत	नगर परिषद सीमा से बाहर यात्राओं के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न लेना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
48	8 (3)	निर्णीत	स्थानीय यात्राओं का यात्रा स्थान स्पष्ट न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

49	8 (4)	निर्णीत	एक यात्रा स्थान के लिये अलग–अलग दूरी दर्शाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
50	8 (5)	निर्णीत	दो गाड़ियों की औसत तेल खपत की गणना न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
51	8 (6)	निर्णीत	औसत तेल खपत में भिन्नता।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
52	8 (7)	निर्णीत	मीटर रीडिंग लॉग बुक में दर्ज न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
53	8 (8)	निर्णीत	इस क्रमांक का कोई पैरा मूल प्रतिवेदन में प्रारूपित नहीं है।	
54	9	निर्णीत	अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
55	10	निर्णीत	पैन्शन व उपदान निधि का शेयर केवल भरे गये पदों के विरूद्ध जमा करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	2 (ख–1)	निर्णीत	रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि को सत्यापित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
2	2 (ख–2)	निर्णीत	रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
3	2 (ग)	निर्णीत	निवेशित राशि का अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
4	3 (ख)	निर्णीत	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
5	3 (ग)	निर्णीत	सांसद निधि में शेष बची राशि बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

6	3 (घ)	निर्णीत	जिलाधीश से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
7	3 (ड)	निर्णीत	UIDSSMT से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
8	3 (च)	निर्णीत	निदेशक से सड़क मुरम्मत हेतु प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
9	3 (छ)	निर्णीत	आपदा राहत हेतु प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
10	3 (ज)	निर्णीत	सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट हेतु प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
11	3 (झ)	निर्णीत	राजीव गांधी शहरी नवीनीकरण सुविधा हेतु प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
12	4 (क)	निर्णीत	रसीदों का अनुरक्षण उचित ढंग से न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
13	4 (ख)	निर्णीत	गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
14	4 (ग–1,2)	निर्णीत	पार्किंग शुल्क का निर्धारण न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
15	4 (घ–1)	निर्णीत	गृहकर का निर्धारण नियमानुसार न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
16	4 (घ–2)	निर्णीत	गृहकर की कम मांग।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
17	4 (घ–3)	निर्णीत	गृहकर की ₹750/– की कम मांग।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

18	4 (ङ–1)	निर्णीत	दुकान किराये की मांग न उठाना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
19	4 (ङ–2)	अनिर्णीत	अवैध भूमि पर दुकान का निर्माण।	
20	4 (ङ–3)	निर्णीत	खुली नीलामी के बिना दुकानों का आबंटन करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
21	4 (ङ–4)	निर्णीत	₹198695/– दुकान किराये की मांग न उठाना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
22	4 (च–1,2)	निर्णीत	तहबाजारी की वसूल राशि को खाते/रजिस्टर में दर्ज न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
23	4 (च–3)	निर्णीत	तहबाजारी रजिस्टर का अनुरक्षण उचित ढंग से न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
24	4 (छ–1)	अनिर्णीत	मानचित्र शुल्क की कम वसूली।	
25	4 (छ–2)	निर्णीत	मानचित्र उपलब्ध न करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
26	4 (ज–1,2)	निर्णीत	व्यावसाय लाईसेंस शुल्क की ₹1800/– (1700+100) कम वसूली।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
27	4 (ज–3,4)	निर्णीत	जारी लाईसेंसों को रजिस्टर में दर्ज न करना तथा अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
28	4 (झ)	निर्णीत	मोबाईल संचार टॉवर स्थापना शुल्क।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
29	4 (ञ)	निर्णीत	शराब शुल्क की वसूली न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
30	4 (ट)	निर्णीत	बिजली शुल्क की वसूली न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

31	5 (क)	निर्णीत	बजट में निर्धारित राशि से अधिक व्यय।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
32	5 (ख)	निर्णीत	कुलदीप कुमार कार्य पर्यवेक्षक को वेतन में ₹11741/– का अधिक भुगतान।	रसीद संख्या 589/11 दिनांक 29.7.2015 ₹5000/–, रसीद संख्या 596/12 दिनांक 02.9. 2015 ₹5000/– तथा रसीद संख्या 589/11 दिनांक 03.11. 2015 ₹1741/– की राशि की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
33	6 (क)	निर्णीत	सदन की व्यय स्वीकृति उपलब्ध न करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
34	6 (ख)	अनिर्णीत	अधिक दर से क्रय करके ₹11013/– का अधिक भुगतान।	
35	6 (ग)	अनिर्णीत	संविदा नियमों के विरूद्ध वैट कर का ₹8316/– अधिक भुगतान।	
36	6 (घ)	अनिर्णीत	अनुबन्ध समाप्ति से पूर्व सफाई का ठेका राशि बढ़ाकर दुगनी करने के परिणामस्वरूप ₹21000/– का अधिक भुगतान।	
37	6 (छ–1)	निर्णीत	मस्ट्रोल में ₹5160/– की कम प्रगति।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
38	6 (छ–2)	निर्णीत	मस्ट्रोल में ₹3438/– की कम प्रगति।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

39	6 (छ–3)	निर्णीत	मस्ट्रोल में ₹4500/– की कम प्रगति।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
40	6 (ज–1)	अनिर्णीत	₹29701/– का अधिक भुगतान।	
41	6 (ज–2)	निर्णीत	भण्डार इन्द्राज व खपत के अभिलेख न दर्शाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
42	6 (ट)	निर्णीत	₹4040/– का अनियमित भुगतान।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
43	6 (ढ–1)	निर्णीत	पी वी सी पाईप खरीद में औपचारिकता पूरी न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	6 (ढ–2)	निर्णीत	पी वी सी पाईप स्टॉक प्रविष्टियों में त्रुटियाँ।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
45	6 (थ)	निर्णीत	पुराने भण्डार रजिस्टर से नये भण्डार रजिस्टर में सामान को स्थानान्तरित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
46	6 (द)	निर्णीत	इन्वैन्टरी रजिस्टर तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
47	6 (ध)	निर्णीत	कूड़ा कचरा प्रावधान में तैयार खाद का अभिलेख प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
48	7 (क)	अनिर्णीत	वॉयड्स की कटोती न करके ₹32870 का अधिक भुगतान।	
49	7 (ख)	अनिर्णीत	₹24319 का अधिक भुगतान।	
50	7 (ग)	अनिर्णीत	₹12962 का अधिक भुगतान।	
51	7 (घ)	अनिर्णीत	₹24586 का अधिक भुगतान।	
52	7 (ङ)	अनिर्णीत	₹12027 की अधिक खपत।	

53	7 (च–1)	निर्णीत	आयकर की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
54	7 (च–2)	निर्णीत	कार्य प्रगति की गणना न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
55	7 (च–3)	निर्णीत	बिना संविदा आमन्त्रित किये कार्य का निष्पादन।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
56	7 (छ)	निर्णीत	₹20719 की अधिक भुगतान व वसूली।	स्वतः निर्णीत।
57	7 (ज)	निर्णीत	आयकर व बिक्रीकर की वसूली न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
58	7 (झ)	निर्णीत	टैंडर नोटिस समाचार पत्र में विज्ञापित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
59	7 (ठ)	अनिर्णीत	₹24319 का दोहरा भुगतान।	
60	7 (ड)	निर्णीत	₹153 की अधिक भुगतान व वसूली।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
61	7 (ण)	निर्णीत	प्रामियम दर का औचित्य तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
62	7 (त)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में सीमेन्ट की निर्धारित मात्रा से कम खपत।	
63	7 (द–1)	निर्णीत	कार्य की विस्तृत पैमाईश न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
64	7 (द–2)	निर्णीत	टैंडर नोटिस समाचार पत्र में विज्ञापित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
65	7 (द–3)	निर्णीत	दरों का औचित्य तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

66	7 (द–4)	निर्णीत	आयकर व बिक्रीकर को सरकारी कोष में जमा न करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
67	7 (ध)	निर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
68	7 (न)	निर्णीत	भण्डार इन्द्राज व उपयोग न दर्शाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
69	8 (क–1)	अनिर्णीत	10 लीटर डीजल का दुर्विनियोजन।	
70	8 (क–2)	निर्णीत	वाहन की क्षमता अनुसार बजन न उठाने के कारण उपयोग न हो पाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
71	8 (ख)	निर्णीत	पुराने ट्रैक्टर की नीलामी न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
72	10 (क)	निर्णीत	पैन्शन की रोकड़ बही तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
73	10 (ख)	निर्णीत	बजट का 1 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार जमा/ हस्तांतरित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
74	10 (ग)	निर्णीत	व्यक्तिगत पैन्शन पड़ताल रजिस्टर का अधूरा होना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	3 (1)	निर्णीत	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र बारे	स्वतः निर्णीत।
2	3 (2)	निर्णीत	अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
3	4	निर्णीत	गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

4	4 (1)	निर्णीत	गृहकर का निर्धारण न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
5	4 (2)	निर्णीत	गृहकर का निर्धारण नियमानुसार करने हेतु सुझाव।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
6	4 (3)	निर्णीत	दुकान किराये की राशि वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
7	4 (4)	निर्णीत	टाउन हॉल के किराये की राशि कम वसूल करना।	रसीद संख्या 33/30 दिनांक 19.6.2012 द्वारा ₹4000/– वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
8	4 (5)	निर्णीत	रैहन बसेरा की वसूल राशि की प्रविष्टि रजिस्टर में न करनां	रैहन बसेरा रजिस्टर के पृष्ठ 11 पर प्रविष्टि का सत्यापन कर लिया गया।
9	4 (6)	अनिर्णीत	व्यावसाय लाईसेंस शुल्क की कम वसूली करना।	
10	4 (7)	आंशिक निर्णीत	मानचित्र शुल्क की कम वसूली करना।	प्रस्ताव संख्या 807/08 दिनांक 29.09.2009 की ₹1022/– तथा 02/2011 दिनांक 21.02.2011 की ₹3532/– कुल ₹4554/– की वसूली शेष है।
11	4 (8)	निर्णीत	बिजली शुल्क।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
12	4 (9–1)	निर्णीत	शराब शुल्क का रजिस्टर तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
13	4 (10)	निर्णीत	मोबाईल संचार टॉवर स्थापना शुल्क।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
14	4 (11)	निर्णीत	मनोरंजन कर की वसूली करने बारे सुझाव।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

15	4 (12)	निर्णीत	पशुवध शुल्क की वसूली करने बारे सुझाव।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
16	5	निर्णीत	चिकित्सा प्रतिपूर्ती दावे का अनुचित भुगतान।	रसीद संख्या 79/26 दिनांक 25.08.2012 द्वारा ₹128/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
17	6	निर्णीत	चालक को भुगतान किये गये वेतन में अनियमितताएं।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
18	7	अनिर्णीत	राशि ₹15614/– का सम्भावित दुर्विनियोजन।	
19	8	निर्णीत	राशि ₹62400/– का भुगतान से सम्बन्धित निविदाएं प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
20	8 (1)	निर्णीत	आयकर व बिक्री कर को सरकारी कोष में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
21	9	निर्णीत	गलत योग के कारण ₹142/– का अधिक भुगतान।	रसीद संख्या 79/26 दिनांक 25.08.2012 द्वारा ₹142/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
22	9 (1)	निर्णीत	आयकर व बिक्री कर को जमा करने सम्बन्धी चालान वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
23	10	निर्णीत	मस्टर रोल में कार्य प्रगति रिपोर्ट संलग्न न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

24	11 (1)	निर्णीत	बोर्डों व पोस्टरों की छपाई पर ₹1.11 लाख का अनियमित व्यय।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
25	11 (2)	निर्णीत	बोर्डों व पोस्टरों की छपाई पर ₹1.11 लाख का अनियमित व्यय।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
26	11 (3)	निर्णीत	बोर्डों व पोस्टरों की छपाई पर ₹1.11 लाख का अनियमित व्यय।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
27	12	अनिर्णीत	सीमेन्ट खरीद में राशि ₹4700/– का अधिक भुगतान।	
28	13	अनिर्णीत	सीमेन्ट का अनावश्यक क्रय करने के कारण ₹840/– का अधिक भुगतान।	
29	14	अनिर्णीत	सफाई ठेके की मासिक भुगतान राशि को अनियमित रूप से बढ़ाना।	
30	15	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में दिये गये ₹0.50 लाख अग्रिम का समायोजन अन्तिम बिल से न करके किया गया सम्भावित गबन।	
31	16	निर्णीत	आयकर व बिक्री कर को सरकारी कोष में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
32	17 (1)	निर्णीत	बिना तकनीकी स्वीकृति के ₹5.49 लाख के कार्य का निष्पादन करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

33	17 (2)	निर्णीत	सर्विसेबल मैटीरियल का लेखा प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
34	17 (3–क)	निर्णीत	प्रतिभूति राशि की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
35	18	अनिर्णीत	निर्माण कार्य अधिक दर लगाकर ₹2645/– का अधिक भुगतान करना।	
36	19	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹1095/– का अधिक भुगतान करना।	
37	20	निर्णीत	आयकर की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
38	20 (1)	निर्णीत	प्रतिभूति राशि की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
39	20 (2)	निर्णीत	सर्विसेबल मैटीरियल का लेखा प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
40	21	निर्णीत	प्रक्कलन तैयार न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
41	21 (1)	निर्णीत	आयकर बिक्रीकर की वसूली शेष।	रसीद संख्या 79/28 दिनांक 25.08.2012 द्वारा ₹2000/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।

42	21 (2)	निर्णीत	प्रतिभूति राशि की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
43	22	अनिर्णीत	आयकर की कम वसूली करना।	
44	22 (1)	निर्णीत	कार्य निष्पादन में मिट्टी की खुदाई की मद में औपचारिकताएं वांछित।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
45	22 (2)	निर्णीत	प्रतिभूति राशि की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
46	23	निर्णीत	नॉन शैडयूल आइटम की दर की गणना को अनुमोदित न करवाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
47	23 (1)	निर्णीत	प्रतिभूति राशि की कटौती न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
48	24	निर्णीत	लॉग बुक में वी आई पी डयूटी दर्शाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
49	25	निर्णीत	स्टॉक लेखे नियमानुसार तैयार न करना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
50	25 (1)	निर्णीत	बिजली स्टॉक का सत्यापन न करवाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
51	26	निर्णीत	स्टोर स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

52	26 (1)	निर्णीत	बिना माँग के स्टॉक का क्रय करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
53	27	निर्णीत	रद्दी की नीलामी न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	8(ख)	अनिर्णीत		
2	8(ग)	अनिर्णीत		
3	9(क)	अनिर्णीत		
4	9(ख)	अनिर्णीत		
5	9(ग)	निर्णीत	लाईसैंस शुल्क की कम वसूली	रसीद संख्या 75/38 दिनांक 04.08.2012 द्वारा ₹55/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
6	10	अनिर्णीत		
7	12	अनिर्णीत		
8	13	अनिर्णीत		
9	18(ख)	अनिर्णीत		
10	19(क)	अनिर्णीत		
11	19(ख)	अनिर्णीत		
12	20(ख)	अनिर्णीत		
13	22	अनिर्णीत		
14	23	अनिर्णीत		
15	25	अनिर्णीत		
16	26(क)	अनिर्णीत		
17	26(ख)	अनिर्णीत		

18	26(ग)	अनिर्णीत		
19	26(घ)	अनिर्णीत		
20	27(क)	अनिर्णीत	रद्दी की नीलामी न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
21	27(ख–1,2)	अनिर्णीत	स्टॉक लेखे नियमानुसार तैयार तथा सत्यापन न करना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	9(क)	अंशतः निर्णीत	₹122739/– में से ₹5850/– की वसूली कर ली गई है। ₹116889/– की वसूली शेष है।	
2	9(ख)	अनिर्णीत		
3	9(ग)	अनिर्णीत		
4	10	अंशतः निर्णीत	श्री महेन्द्र कुमार तथा महेन्द्र पाल से ₹5600/– की वसूली शेष है।	
5	12	अनिर्णीत		
6	14	अनिर्णीत		
7	15	अनिर्णीत		
8	16(क)	अनिर्णीत		
9	17	अनिर्णीत		
10	17(क)	अनिर्णीत		
11	18	निर्णीत	गाड़ियों की लॉग बुक में उचित तरीके से प्रविष्टियां न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
12	18(क)	निर्णीत	थ्री व्हीलर का प्रयोग न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
13	18(ख)	निर्णीत	25 लीटर डीजल के लिये अधिक भुगतान करना।	रसीद संख्या 768/09 दिनांक 10.07.2025 द्वारा ₹1000/– की

				वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
14	20	अनिर्णीत		
15	21	अनिर्णीत		

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	6(ग)	अनिर्णीत		
2	6(घ)	अनिर्णीत		
3	7	अनिर्णीत		
4	8(ख)	अनिर्णीत		
5	8(ग)	अनिर्णीत		
6	9(ख)	अनिर्णीत		
7	9(ग)	अनिर्णीत		
8	9(घ)	अनिर्णीत		
9	9(ङ–1)	अनिर्णीत		
10	9(ङ–3)	अनिर्णीत		
11	9(च)	अनिर्णीत		
12	10(1)	निर्णीत	गृहकर की वसूली शेष।	स्वतः निर्णीत।
13	10(2)	निर्णीत	तहबाजारी की वसूली शेष।	स्वतः निर्णीत।
14	11	अनिर्णीत		
15	12(1)	अनिर्णीत		
16	12(2)	अनिर्णीत		
17	12(4–1)	अनिर्णीत		
18	12(4–2)	अनिर्णीत		
19	12(5)	अनिर्णीत		
20	12(6)	अनिर्णीत		

21	12(7)	निर्णीत	श्री बुधी सिंह को गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान।	स्वतः निर्णीत।
22	12(8)	अनिर्णीत		
23	13	अनिर्णीत		
24	14(क)	अनिर्णीत		
25	14(ख)	अनिर्णीत		
26	15	अनिर्णीत		
27	16	अनिर्णीत		
28	17(1 से 3)	अनिर्णीत		
29	17(4)	अनिर्णीत		
30	17(5)	अनिर्णीत		
31	17(6)	अनिर्णीत		
32	17(7)	अनिर्णीत		
33	17(8)	अनिर्णीत		
34	17(9)	अनिर्णीत		
35	17(10)	अनिर्णीत		
36	19	अनिर्णीत		
37	20	अनिर्णीत		
38	21(क)(1 से 7)	अनिर्णीत		
39	21(ख)(1 से 4)	अनिर्णीत		
40	21(ग)(1 से 4)	अनिर्णीत		
41	22	अनिर्णीत		
42	23(क)	निर्णीत	औसत तेल खपत का निर्धारण न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
43	23(ख)	निर्णीत	लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

44	23(ग)	निर्णीत	वाहन संख्या एच पी 22– 0313 के तेल की मासिक खपत विवरणिका में अन्तर।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
45	24	अनिर्णीत		
46	25	अनिर्णीत		
47	27	अनिर्णीत		
48	28	अनिर्णीत		
49	29	अनिर्णीत		

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	4–5	अनिर्णीत		
2	6(ख)	अनिर्णीत		
3	8(ख–1)	अनिर्णीत		
4	8(ग)	अनिर्णीत		
5	8(घ)	अनिर्णीत		
6	8(ङ–2)	अनिर्णीत		
7	8(ङ–4)	अनिर्णीत		
8	8(ङ–6)	अनिर्णीत		
9	11(क)	अनिर्णीत		
10	11(ख)	अनिर्णीत		
11	12(क)	अनिर्णीत		
12	12(ख)	अनिर्णीत		
13	12(ग)	अनिर्णीत		
14	12(घ)	अनिर्णीत		
15	13(क)	अनिर्णीत		
16	13(ख)	अनिर्णीत		
17	13(ग)	अनिर्णीत		

18	14(क)	अनिर्णीत		
19	14(ख)	अनिर्णीत		
20	14(ग)	अनिर्णीत		
21	14(घ)	अनिर्णीत		
22	15(क–2)	अनिर्णीत		
23	15(क–4)	अनिर्णीत		
24	15(ख)	अनिर्णीत		
25	15(ङ)	निर्णीत	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
26	15(छ)	निर्णीत	कुलदीप चन्द कार्य पर्यवेक्षक का वेतन निर्धारित करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
27	15(ज)	निर्णीत	अंशदायी पैन्शन योजना में कम अथवा अधिक अंशदान कटौती करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
28	18	अनिर्णीत		
29	19	अनिर्णीत		
30	23	अनिर्णीत		
31	24(2)	अनिर्णीत		
32	24(5)	अनिर्णीत		
33	24(6)	अनिर्णीत		
34	25	अनिर्णीत		
35	26	अनिर्णीत		
36	28(1)	अनिर्णीत		
37	28(2)	अनिर्णीत		
38	28(3)	अनिर्णीत		
39	28(4)	अनिर्णीत		
40	28(क)	अनिर्णीत		

41	28(ख)	अनिर्णीत		
42	29	अनिर्णीत		

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2018 से 3/2019

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	4(1–क)	अनिर्णीत		
2	4(1–ख)	अनिर्णीत		
3	4(1–ग)	अनिर्णीत		
4	6(ख)	अनिर्णीत		
5	6(ग)	अनिर्णीत		
6	8(ख–1)	अनिर्णीत		
7	8(ख–2)	अनिर्णीत		
8	11(क)	अनिर्णीत		
9	11(ख)	अनिर्णीत		
10	12(क–1)	अनिर्णीत		
11	12(क–2)	अनिर्णीत		
12	12(ख)	अनिर्णीत		
13	13(क)	अनिर्णीत		
14	13(ख–1)	निर्णीत	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
15	13(ख–2)	निर्णीत	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना का लाभ न देना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
16	13(ग)	निर्णीत	कुलदीप चन्द कार्य पर्यवेक्षक का वेतन निर्धारित करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
17	13(घ–1)	अनिर्णीत		
18	13(घ–2)	अनिर्णीत		
19	17	अनिर्णीत		

20	18	अनिर्णीत		
21	19(क)	अनिर्णीत		
22	19(ख)	अनिर्णीत		
23	19(ग)	अनिर्णीत		
24	19(घ)	अनिर्णीत		
25	20	अनिर्णीत		

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2019 से 3/2021

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	11	निर्णीत	अनुदानों के अन्तशेष में अन्तर बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
2	12(क)	अनिर्णीत	नये भवनों के लिये गृहकर निर्धारण न करना।	
3	12(ख)	अनिर्णीत	गृहकर सूची व गृहकर रजिस्टर में दर्ज वसूली में अन्तर बारे।	
4	13(क)	अनिर्णीत	लाईसेंस नवीनीकरण न करना।	
5	14(क)	अनिर्णीत	तहबाजारी सूची व तहबाजारी रजिस्टर में दर्ज वसूली में अन्तर बारे।	
6	15(क)	अनिर्णीत	पशुबद्ध फीस की कम वसूली।	
7	16(1–क)	निर्णीत	श्रीमति उर्मिला देवी कनिष्ठ सहायक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व दिनांक से नियमितीकरण में अयिमितताओं बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
8	16(1–ख)	निर्णीत	श्रीमति उर्मिला देवी कनिष्ठ सहायक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

			दिनांक से नियमितीकरण में अयिमितताओं बारे।	
9	16(1–ग)	निर्णीत	श्रीमति उर्मिला देवी कनिष्ठ सहायक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व दिनांक से नियमितीकरण में अयिमितताओं बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
10	16(1–घ)	निर्णीत	श्रीमति उर्मिला देवी कनिष्ठ सहायक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व दिनांक से नियमितीकरण में अयिमितताओं बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
11	16(1–ड)	निर्णीत	श्रीमति उर्मिला देवी कनिष्ठ सहायक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व दिनांक से नियमितीकरण में अयिमितताओं बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
12	16(2)	निर्णीत	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की अनुपालना बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
13	16(3)	निर्णीत	अभिलेख में ओवर राईटिंग करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
14	16(4)	निर्णीत	वेतन सम्बन्धित समर्थित अभिलेख का अव्यवस्थित रख–रखाव एवं कृत प्रविष्टियों का समय समय पर सत्यापन न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
15	16(6)	निर्णीत	संशोधित पैन्शन भुगतान आदेश प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

16	16(6–क)	निर्णीत	संशोधित पेन्शन भुगतान आदेश प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
17	16(6–ख)	निर्णीत	पैन्शन भुगतान में विसंगतियों बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
18	16(6–ग)	निर्णीत	पैन्शन में ₹27/– के अधिक भुगतान बारे।	रसीद संख्या 773/10 दिनांक 02.07.2025 द्वारा इस राशि की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
19	17(क)	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों में विचलन बारे।	
20	17(क–1)	अनिर्णीत	विभागीय न्यायोचित दर प्रस्तुत न करना।	
21	17(क–2)	अनिर्णीत	10 प्रतिशत से अधिक विचलन बारे।	
22	17(क–3)	अनिर्णीत	अतिरिक्त प्रीमियम पर कार्य आबंटन करना।	
23	17(क–4)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹73166/– का अधिक भुगतान	
24	17(क–5)	अनिर्णीत	पूर्ण टैंडर प्रक्रिया को न अपनाना।	
25	17(क–6)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में ₹13635/– का अधिक भुगतान	
26	17(क–7)	अनिर्णीत	सर्विसेबल मैटिरियल को एम ए एस में दर्ज न करना।	
27	17(क–8)	अनिर्णीत	कार्य निष्पादन में देरी के लिये दण्ड राशि की वसूली न करना।	
28	17(ख)	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों में ₹21334/– का अधिक भुगतान	

29	19	निर्णीत	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं से बचने के लिये पीसमील खरीद करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
30	20	निर्णीत	निक्षेप कार्य का उपयोगिता प्रमाणपत्र वांछित।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
31	21(1)	अनिर्णीत	अग्रिम भुगतान के रजिस्टर का रख–रखाव उचित तरीके से न करना।	
32	21(2)	अनिर्णीत	अग्रिम भुगतान के अभिलेख को प्रस्तुत न करना।	
33	22	निर्णीत	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नोडल एजैन्सी लोक सम्पर्क विभाग हि प्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
34	23	निर्णीत	स्थिर मीटर रीडिंग एवं शून्य बिजली खपत होने पर भी बिजली बिलों का भुगतान करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
35	24	निर्णीत	सरकारी दिशा निर्देशों के विपरीत नकद भुगतान करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
36	25(क)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
37	25(ख)	निर्णीत	विद्युत कर की समुचित वसूली बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
38	25(ग)	निर्णीत	मुद्रित सामग्री के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव उचित तरीके से न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

39	25(ड)	निर्णीत	रोकड़ बही तथा अन्य अभिलेख की प्रविष्टियों को सत्यापित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
40	25(च)	निर्णीत	घर द्वार कचरा संग्रहण शुल्क की ₹400/– की कम वसूली।	स्वतः निर्णीत।
41	25(छ)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य अभिलेख प्रस्तुत न करना।	
42	25(ज)	निर्णीत	नियमानुसार रजिस्टरों का रख–रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
43	25(झ)	निर्णीत	जी पी एफ रजिस्टर का अद्यतन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	25(ञ)	निर्णीत	सेवा पुस्तिकाओं का उचित का रख–रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2021 से 3/2023

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	1 व 2	निर्णीत	प्रारम्भिक	कोई कार्यवाई अपेक्षित नही है।
2	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क।	भुगतान का सत्यापन कर लिया गया।
3	4.1	निर्णीत	वार्षिक खाते एवं वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	4.2(क, ,ख)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	4.2(ग)	निर्णीत	बैंक समाधान विवरणी	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	4.3	निर्णीत	CCBP बैंक खाते का शेष रोकड़ बही में दर्ज न करना।	इस बैंक खाते में कुल शेष ₹411252/– की राशि को 31.05.2025 को मुख्य रोकड़ बही

				पृष्ठ 107 पर सम्मिलित किये जाने का सत्यापन कर लिया गया है।
7	4.4	निर्णीत	विवाह पंजीकरण शुल्क बैंक खाते का शेष रोकड़ बही में दर्ज न करना।	इस बैंक खाते में कुल शेष ₹138982/– की राशि को 31.05.2025 को मुख्य रोकड़ बही पृष्ठ 107 पर सम्मिलित किये जाने का सत्यापन कर लिया गया है।
8	4.5	निर्णीत	स्वः स्त्रोत व अनुदान आय व्यय को शीर्षानुसार न दर्शाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
9	4.6	निर्णीत	रोकड़ बही प्रविष्टियों का सत्यापन शेष।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
10	4.7	निर्णीत	नगर परिषद का गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण	मात्र सूचनार्थ।
11	5(क)	निर्णीत	सावधि निवेश	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
12	5(ख–1)	अनिर्णीत	निवेश पर ₹7.79 लाख की राशि ब्याज के रूप में कम प्राप्त।	
13	5(ख–2)	अनिर्णीत	निवेश पर ₹4.96 लाख की राशि ब्याज के रूप में कम प्राप्त।	
14	5(ख–3)	निर्णीत	अतिरिक्त निधि को निवेशित करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
15	6(क)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति शहरी आजीविका केन्द्र	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
16	6(ख)	निर्णीत	बैंक समाधान विवरणी शहरी आजीविका केन्द्र	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

17	6(ग–1,2)	निर्णीत	शहरी आजीविका केन्द्र की रोकड़ बही के रखरखाव में अनियमितताएं।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
18	7(क)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति –NULM	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
19	7(ख–1)	निर्णीत	NULM की रोकड़ बही के रख–रखाव में अनियमितताएं।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
20	7(ख–2)	निर्णीत	NULM निधि से अनियमित व्यय।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
21	7(ख–3)	निर्णीत	NULM की रोकड़ बही तथा बैंक शेष में अन्तर।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
22	8(क)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति – PMAY	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
23	8(ख–1,2,3)	निर्णीत	PMAY की रोकड़ बही के रख–रखाव में अनियमितताएं।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
24	9	निर्णीत	वित्तीय स्थिति – पैन्शन व ग्रैच्युटी	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
25	10(1)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
26	10(2)	निर्णीत	अंकेक्षण पूर्व प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की ₹397.51 लाख राशि का अव्ययित शेष	कृत अनुपालना का सत्यापन तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
27	10(3)	निर्णीत	वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 में प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की ₹556.20 लाख राशि का अव्ययित शेष	कृत अनुपालना का सत्यापन तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

28	10(4)	निर्णीत	अनुदान राशियों में ₹79.18 लाख के अन्तर बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
29	10(5)	निर्णीत	अनुदानों से अधिक व्यय करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
30	10(6)	निर्णीत	अनुदान जारी किये जाने सम्बन्धी पत्र प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
31	10(7)	निर्णीत	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
32	10(8)	निर्णीत	अनुदान पंजिका के रखरखाव बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
33	11(1–क)	निर्णीत	गृहकर की बकाया ₹173.06 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
34	11(1–ख)	निर्णीत	गृहकर की माँग के सत्यापन बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
35	11(1–ग)	निर्णीत	बकाया गृहकर की गणना करके 31.03.2023 को मांग व प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
36	11(1–घ)	निर्णीत	गृहकर रजिस्टर तथा रोकड़ बही में दर्ज मासिक वसूली की राशि में अन्तर बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
37	11(2–क)	निर्णीत	दुकान किराया की बकाया ₹90.74 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
38	11(2–ख)	निर्णीत	दुकान किराया की माँग के सत्यापन बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
39	11(2–ग)	निर्णीत	दुकानों के किराये की प्रविष्टियों का सत्यापन वांछित।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

40	11(2–घ)	निर्णीत	किराया रजिस्टर तथा रोकड़ बही में दर्ज मासिक वसूली की राशि में अन्तर बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
41	11(3–क)	निर्णीत	तहबाजारी की बकाया ₹13.51 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
42	11(3–ख)	निर्णीत	तहबाजारी की मॉंग के सत्यापन बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
43	11(3–ग)	निर्णीत	तहबाजारी रजिस्टर तथा रोकड़ बही में दर्ज मासिक वसूली की राशि में अन्तर बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	11(3–घ)	निर्णीत	बकाया तहबाजारी की गणना करके 31.03.2023 को मांग व प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
45	11(3–ङ)	निर्णीत	तहबाजारी की प्रविष्टियों का सत्यापन वांछित।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
46	11(4–क)	निर्णीत	पार्किंग की बकाया ₹2.44 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
47	11(4–ख)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
48	11(5)	निर्णीत	मोबाईल टॉवर की बकाया ₹8.07 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
49	11(6–क)	निर्णीत	लाईसैंस शुल्क के अभिलेख के रख रखाव में त्रुटियां।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
50	11(6–ख)	निर्णीत	लाईसैंस शुल्क रजिस्टर तथा रोकड़ बही में दर्ज मासिक वसूली की राशि में अन्तर बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

51	11(7–क)	निर्णीत	घर द्वार कचरा सन्ग्रहण शुल्क की बकाया ₹32.17 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
52	11(7–ख)	निर्णीत	घरद्वार कचरा सन्ग्रहण शुल्क रजिस्टर तथा रोकड़ बही में दर्ज मासिक वसूली की राशि में अन्तर बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
53	11(8)	निर्णीत	विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि ₹0.20 लाख की प्रविष्टि रोकड़ बही में न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
54	11(9)	निर्णीत	घरद्वार कचरा सन्ग्रहण शुल्क से प्राप्त राशि ₹6200 की प्रविष्टि रोकड़ बही में न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
55	11(10)	निर्णीत	विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹1600 की वसूली न करना।	रसीद संख्या 471/99, 479/9 तथा 479/43 द्वारा विवाह पंजीकरण राशि की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
56	11(11)	निर्णीत	विज्ञापन शुल्क की 2021–22 में कोई वसूली न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
57	11(12)	निर्णीत	पालतू शुल्क की कोई वसूली न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
58	11(13–क, ख)	निर्णीत	बिजली शुल्क वसूली के अभिलेख में त्रुटियों बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

59	11(15—क, ख)	निर्णीत	शराब शुल्क वसूली के अभिलेख में त्रुटियों बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
60	11(16—क, ख, ग)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
61	12(1)	निर्णीत	सामग्री की मात्रा का विभाजन करके क्रय करने बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
62	12(2)	निर्णीत	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नोडल एजैन्सी लोक सम्पर्क विभाग हि प्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
63	12(3)	निर्णीत	सरकारी दिशा निर्देशों के विपरीत नकद भुगतान करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
64	12(4)	निर्णीत	सी एल सी शहरी आजीविका केन्द्र को कमीशन के रूप में ₹400/— का अधिक भुगतान।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
65	12(5)	निर्णीत	जी एस टी की अधिक भुगतान की गई राशि ₹540/— की वसूली/समायोजन न किये जाने बारे।	रसीद संख्या 773/09 दिनांक 02.07.2025 द्वारा इस राशि की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
66	12(6)	निर्णीत	स्थिर मीटर रीडिंग एवं शून्य बिजली खपत होने पर भी बिजली बिलों का भुगतान करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

67	12(7)	अनिर्णीत	राशि ₹0.69 लाख के लोहे के रैम्प चोरी होने पर नियमानुसार की गई कार्रवाई से अवगत न करवाना।	
68	12(8)	निर्णीत	सीमेंन्ट क्रय ₹0.70 लाख के सन्दर्भ में वास्तविक बिल प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
69	12(9)	निर्णीत	Solid Waste Management Project दुगनेड़ी से अल्ट्राटैक सीमेन्ट फैक्टरी वा अन्य स्थानों पर भेजे गये कूड़ा कर्कट के भुगतान ₹1.90 लाख से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
70	12(10)	निर्णीत	वस्तुओं/सेवाओं के क्रय से सम्बन्धित औपचारिकताएं सही रुप से पूर्ण न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
71	12(11)	निर्णीत	वास्तविक भुगतान रसीदे प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
72	12(12 व 13) प्रारूपित नहीं हैं।			
73	12(14)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
74	13(1)	निर्णीत	जल प्रभार ₹0.65 लाख की वसूली न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

75	13(2)	अनिर्णीत	मदों के भुगतान हेतु निर्धारित रेट से अधिक रेट लगाये जाने के कारण ₹18071 के अधिक अनुचित भुगतान बारे।	
76	13(3)	अनिर्णीत	निष्पादित मदों की मात्रा की गलत गणना के कारण ₹0.84 लाख का अधिक अनुचित भुगतान किये जाने बारे।	
77	13(4)	निर्णीत	रॉयल्टी की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
78	13(5)	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों पर आबन्टित राशियों से अधिक/कम राशियों का भुगतान करना एवं विचलन को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाना।	
79	13(6)	निर्णीत	निर्माण कार्यों का समापन निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
80	13(7)	निर्णीत	तुलनात्मक विवरणियां कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
81	13(8)	अनिर्णीत	संविदाकारों से निर्माण कार्य निष्पादन के दौरान प्रयोग हुये सीमेन्ट स्टील आदि के क्रय बिल प्राप्त न करना व खपत के सन्दर्भ में विवरणियां तैयार न करना।	

82	13(9—क)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
83	13(9—ख)	निर्णीत	निर्माण कार्य के निष्पादन से पूर्व इस सन्दर्भ में नगर परिषद सभा के द्वारा पारित प्रस्ताव अवलोकन हेतु प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
84	13(9—ग)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
85	14(1—क)	निर्णीत	वेतन के भुगतान से सम्बन्धी अनियमितताएं।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
86	14(1—ख)	निर्णीत	श्री संजय कुमार पठानिया, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹2412 का अधिक वेतन भुगतान	रसीद संख्या 773/09 दिनांक 02.07.2025 द्वारा इस राशि की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
87	14(2—क)	निर्णीत	अवकाश खातों को अपडेट न करना।	
88	14(2—ख)	निर्णीत	अवकाश खातों मे सही शेष न दर्शाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
89	14(2—ग)	निर्णीत	अर्जित अवकाश खातों में जमा न देना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
90	14(3—क)	निर्णीत	सेवा पजिकाओं का सत्यापन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
91	14(3—ख)	निर्णीत	वेतन निर्धारण का सत्यापन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

92	14(3–ग)	निर्णीत	श्रीमति अनीता लिपिक के नियमतीकरण बारे स्थिति स्पष्ट न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
93	14(3–घ)	अनिर्णीत	श्री कुलदीप चन्द कार्य निरीक्षक के मूल वेतन बारे स्थिति स्पष्ट न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
94	14(3–ङ)	निर्णीत	वार्षिक वेतनवृद्धि के उपरान्त निर्धारित वेतन के अनुसार भुगतान न करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
95	14(3–क, ख) (क्रमाँक दोहराया गया है)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
96	14(4)	निर्णीत	स्थापना पर ₹114.30 लाख का अनियमित व्यय करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
97	14(5)	निर्णीत	नगर परिषद् निधि में से पैन्शन के भुगतान हेतु ₹64.60 लाख हस्तांतरित करना।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
98	14(6)	निर्णीत	जी पी एफ/सी पी एफ के अभिलेख के रखरखाव एवं भुगतान सम्बन्धी अनियमितताएं।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
99	15(1)	निर्णीत	वाहन की मासिक औसत ईंधन खपत की गणना से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
100	15(2)	निर्णीत	सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी द्वारा वाहनों के चलन से सम्बन्धित प्रविष्टियों का सत्यापन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

101	15(3)	निर्णीत	₹1720/– मूल्य के शेष ईंधन को कम आगे ले जाना।	रसीद संख्या 768/08 दिनांक 09.07.2025 द्वारा वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
102	15(4)	निर्णीत	ईंधन का शेष गलत दर्शाने बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
103	15(5)	निर्णीत	लम्बी समय अवधि से वाहनों का उपयोग न करने बारे।	आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
104	15(6)	निर्णीत	अवधि 04/2019 से 03/2021 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 18 (ङ) में लॉगबुक सम्बन्धी अनियमितताओं तथा ₹3329 की वसूली बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
105	16(1)	निर्णीत	स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करवाये जाने बारे।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
106	16(2)	निर्णीत	इनवैन्टरी रजिस्टर का रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
107	17(क)	निर्णीत	अग्रिम राशियों का अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
108	17(ख)	निर्णीत	नगर परिषद् अधिकारियों व कर्मचारियों से मकान किराया भत्ते की देयता बारे।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
109	17(ग)	निर्णीत	सरकार को देय देनदारियों सम्बन्धी अभिलेख का रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
110	17(घ–1, 2, 3)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
111	18 व 19	निर्णीत	मात्र सूचनार्थ।	

अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों का सार

अवधि 03/2023 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	689
4/23 से 3/25 के दौरान लगाए गए पैरे (+)	64
कुल	753
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे (–)	475
शेष	278